



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2024 - 2025



अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED
DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**

(A Government Undertaking)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)
श्री विजयपुरम

37वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024 - 2025

विषय सूची

पृष्ठ सं.

निदेशक मण्डल का गठन	01
निदेशकों की रिपोर्ट	03
लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट	17
लेखा परीक्षक के निष्पक्ष रिपोर्ट का संलग्नक (ख)	29
लेखा परीक्षक के निष्पक्ष रिपोर्ट का संलग्नक (ग)	30
महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	33
तुलन—पत्र	34
लाभ एवं हानि वित्तीय	35
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (नोट 1—30)	38—61
मात्रात्मक विवरण 'अनुलग्नक—क'	62
लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट	64
महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	73
समेकित तुलन पत्र	74
समेकित लाभ तथा हानि लेखा	75
समेकित नकद प्रवाह विवरण	76
समेकित वित्तीय विवरण (नोट 1—30)	78—99

निदेशक मण्डल



डॉ. चंद्र भूषण कुमार, भा.प्र.से.
अध्यक्ष



श्रीमती चंचल यादव, भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक




श्री अर्जुन शर्मा, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक



श्रीमती पल्लवी सरकार, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक



श्रीमती ज्योति कुमारी, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक



श्री प्रवेश रंजन झा, दानिक्ष
कार्यकारी निदेशक



अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास लिमिटेड (अनिडको)

निदेशक मण्डल

क्र.सं.	निदेशक मण्डल	पदनाम
1.	डॉ. चंद्र भूषण कुमार, भा.प्र.से.	अध्यक्ष
2.	श्रीमती चंचल यादव, भा.प्र.से.	प्रबंध निदेशक
3.	श्री अर्जुन षर्मा, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
4.	श्रीमती पल्लवी सरकार, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
5.	श्रीमती ज्योति कुमारी, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
6.	श्री प्रवेष रंजन झा, दानिक्स	कार्यकारी निदेशक

कम्पनी सचिव : श्री बासुकी नाथ साह

मुख्य वित्तीय अधिकारी : सीएमए पी. रघु राम

बैंकर्स : इण्डियन बैंक, श्री विजय पुरम
भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम
ऐक्सेस बैंक, श्री विजय पुरम
केनरा बैंक, सचिवालय शाखा, श्री विजय पुरम

पंजीकृत कार्यालय : विकास भवन
पोस्टबॉक्स सं. 180
श्री विजय पुरम— 744 101
दूरभाष: 03192 — 232098, 236242, 246028
फैक्स: 03192 — 232076, 232501
ई—मेल: aniidco@gmail.com
वैबसाइट: <http://aniidco.and.nic.in>

**अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)**

सदस्यों के लिए निदेषक मण्डल की रिपोर्ट

निदेषकगण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 37 वीं वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इस कंपनी की कुल बिक्री ₹517.72 करोड़ रिकॉर्ड किया गया जबकि पिछले वर्ष की कुल बिक्री ₹ 490.08 करोड़ थी। कंपनी का कराधान से पहले लाभ ₹44.41 करोड़ से वृद्धि होकर ₹ 57.43 करोड़ हुई है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2024–2025 के कार्य और वित्तीय परिणाम का विवरण इस प्रकार है।

(₹ लाख में)

मुख्य परिणाम	2024-25	2023-24
कुल बिक्री	51,772.49	49,008.23
वर्ष का लाभ (कर से पूर्व)	5,743.28	4,440.99
वर्ष का लाभ (कर से पश्चात)	4,350.69	3,331.60

निगम द्वारा भुगतान की गई लाइसेंस षुल्क, उत्पाद षुल्क तथा मूल्यवर्धित कर का विवरण इस प्रकार है:—

(₹ लाख में)

वर्ष	2024-25	2023-24
लाइसेंस 'षुल्क	354.32	329.02
उत्पाद 'षुल्क	16338.25	12807.46
मूल्य वर्धित कर	2871.95	2809.54
कुल राषि	19564.52	15946.02

संचालन

1. आई.एम.एफ.एल. प्रभाग

आई.एम.एफ.एल. प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹.लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	29105.73	28034.37
अन्य आय	172.15	184.36
कुल आय	29277.88	28218.73
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	22738.66	22642.32
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	450.71	413.87
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	572.52	504.37
मूल्यहास	1.17	0.82
कुल व्यय	23763.06	23561.38
संचालन से लाभ / (हानि)	5514.82	4657.35
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	878.87	999.97
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ / (हानि)	4635.95	3657.38

बक्री में वृद्धि और चेन्नई से श्री विजय पुरम तक परिवहन लागत में वृद्धि के कारण डिवीजन की बिक्री ₹ 280.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 291.05 करोड़ हो गई है और परिचालन लाभ ₹ 46.57 करोड़ से घटकर ₹ 55.15 करोड़ हो गया है।

(2). पेट्रोलियम प्रभाग

निगम द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में नौ आई.ओ.सी खुदरा दुकानें और चार उपभोक्ता दुकानें संचालित कर रहा है। निगम बिल्लीग्राउंड, फरारगंज और कार निकोबार में तीन नए पी.ओ.एल आउटलेट खोलने की प्रक्रिया में है।

पेट्रोलियम प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	19044.64	17449.27
अन्य आय	10.64	11.66
कुल राजस्व	19055.28	17460.93
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	18250.59	16699.28
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	318.65	322.05
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वतरण	290.38	274.33
मूल्यहास	56.31	39.59
कुल व्यय	18915.93	17335.25
संचालन से लाभ/ (हानि)	139.35	125.68
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	575.07	622.41
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ/ (हानि)	(435.72)	(496.73)

इस प्रभाग ने समीक्षा वर्ष के दौरान 236.16 लाख लीटर पेट्रोलियम उत्पाद की ब्रिकी की जबकि पिछले वर्ष यह ब्रिकी 210.99 लाख लीटर की थी। हालाँकि बिक्री की मात्रा में मामूली वृद्धि की गई है, लेकिन बढ़ी हुई परिचालन व्यय को पूरा करने की मात्रा में नहीं।

(3). पर्यटन प्रभाग

निगम के पर्यटन प्रभाग के क्रियाकलाप में होटल मेगापोड रिसॉर्ट, डॉलफिन रिसॉर्ट तथा हॉर्नबिल नेस्ट का संचालन शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों में होटल में पर्यटकों की ठहरने का प्रतिष्ठत इस प्रकार है:

इकाई	2024-25	2023-24
मेगापोड रिसॉर्ट	49.21	52.75
डॉलफिन रिसॉर्ट	55.27	54.65
हॉर्नबिल नेस्ट	46.59	40.67

पर्यटन प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1629.66	1596.79
अन्य आय	11.21	10.73
कुल राजस्व	1640.87	1607.52
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	336.20	519.56
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	452.02	431.87
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	841.42	724.93
मूल्यहास	40.27	40.27
कुल व्यय	1699.71	1716.63
संचालन से लाभ/ (हानि)	(28.84)	(109.11)
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	49.21	56.96
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ/ (हानि)	(78.05)	(166.07)

डिवीजन के अधिभोग और टर्नओवर में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़े हुए परिचालन व्यय को पूरा करने की मात्रा में नहीं।

(4). दुर्घट प्रभाग

निगम, द्वीपों में दुर्घट तथा दुर्घट उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ हैं। प्रभाग के पिछले दो वर्षों के निष्पादन व क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:

दुर्घट प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1473.74	1433.27
अन्य आय	.	.
कुल राजस्व	1473.74	1433.27
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1026.96	1099.14
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	63.17	74.99
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	291.42	233.42
मूल्यहास	19.05	23.16
कुल व्यय	1400.60	1430.71
संचालन से लाभ/ (हानि)	73.14	2.56
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	44.50	51.12
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ/ (हानि)	28.64	(48.56)

व्ययसायिक लाभ ₹ 2.56 लाख से बढ़कर ₹ 73.14 लाख हो गया है। यह बिक्री बढ़ने और खर्च घटने से हुआ है।

(5). ऋण तथा वित्तीय प्रभाग

निगम अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को किराये पर वाहन उपलब्ध करा रहा है।

ऋण एवं वित्त का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	96.42	58.81
अन्य आय	.	.
कुल राजस्व	96.42	58.81
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.01	0.01
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	13.12	19.43
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	6.12	0.08
मूल्यहास	52.17	27.48
कुल व्यय	71.42	47.00
संचालन से लाभ/ (हानि)	25.00	11.81
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	2.91	2.10
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ/ (हानि)	22.09	9.70

चालू वर्ष में नये वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण टर्नओवर में वृद्धि हुई है।

(6). परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग की आय में पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि के पट्टे से प्राप्त पट्टा किराया शमिल है।

परियोजना प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	400.39	388.06
अन्य आय	0.36	.
कुल राजस्व	400.75	388.06
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.07	.
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	43.50	13.08

प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	350.32	84.96
मूल्यहास	.	.
कुल व्यय	393.89	98.04
संचालन से लाभ / (हानि)	6.86	290.02
कम: कॉर्प ओवरहेड्स	12.09	13.84
कॉर्पोरेट ओवरहेड के बाद लाभ / (हानि)	(5.23)	276.18

(7). निगमित कार्यालय

निगमित कार्यालय नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और निगम के सभी प्रभागों की निगरानी करता है। सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को निगमित कार्यालय की आय के रूप में दिखाया जाता है। निगमित व्यय को उनके टर्नओवर के आधार पर परिचालन प्रभाग के बीच वितरित किया जा रहा है।

निगमित कार्यालय का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)*	21.92	47.67
अन्य आय	1554.32	1169.73
कुल राजस्व	1576.24	1217.40
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.10	0.68
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	1132.68	1293.49
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	396.18	415.17
मूल्यहास	33.70	37.06
कुल व्यय	1562.66	1746.40
संचालन से लाभ / (हानि)	(13.58)	(529.00)

(*षीत भण्डार से आय)

सावधि जमा निवेश पर ब्याज में वृद्धि और ब्याज सहित आयकर वापसी के कारण अन्य आय में वृद्धि हुई है।

भविष्य की संभावित क्रियाकलाप

पर्यटन और ढांचागत परियोजनाओं का विकास

द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) के निर्णयों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में (पीपीपी) पर इको-पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निगम को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार परियोजनाओं के कार्यान्वयन और (एनएससीबी) परियोजनाओं के विकास के लिए निगम को परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

- लॉन्च आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में फोर आईलैंड इको टूरिज्म रिसॉर्ट

लॉन्च आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में पीपीपी आधार पर इको टूरिज्म रिसॉर्ट्स के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज को लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ने 03.04.2025 को अपनी बैठक में और वित्त सचिव की अध्यक्षता में पीपीपीएसी ने 02.05.2025 को अपनी बैठक में क्रमशः एवेस और स्मिथ द्वीप तथा लॉन्च आइलैंड और शहीद द्वीप के पीपीपी आधार पर विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तदनुसार, लेनदेन सलाहकार डेलॉइट के परामर्श से बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये 31.07.2025 तक जारी कर दिए जाएँगे।

- मेगापोड रिसॉर्ट का विकास

मेगापोड रिसॉर्ट को पीपीपी के आधार पर एक प्रमुख होटल शृंखला को शामिल करके 5—सितारा लक्जरी रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, मेसर्स डेलॉइट टच टोहमात्सू इंडिया एलएलपी को लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग ने 03.04.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेगापोड रिसॉर्ट के पुनर्विकास के प्रस्ताव को सार्वजनिक—निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर अनुमोदित किया। तदनुसार, लेन—देन सलाहकार डेलॉइट के परामर्श से बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये 31.07.2025 तक जारी कर दिए जाएँगे।

- **ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना**

ग्रेट निकोबार द्वीप के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की परियोजना की कल्पना की है। ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की इंटरलिंक्ड परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) की स्थापना के अलावा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, पावरप्लांट और टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है।

नीति आयोग द्वारा नियुक्त मेसर्स ईसीओएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने परियोजना के लिए मसौदा मास्टर प्लान तैयार किया और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ईआईए अध्ययन किया। परियोजना के लिए ईसीसीआरजेड और एफसी मंजूरी अक्टूबर/ नवंबर, 2022 के दौरान एमओईएफ एंड सीसी द्वारा दी गई है।

निगम ने टाउनशिप परियोजना के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु विस्तृत मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने हेतु मेसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है, जो अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने क्रमशः बंदरगाह, हवाई अड्डे और विद्युत संयंत्र के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एनटीपीसी को जिम्मेदारी सौंपी है।

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक**

माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 1943 में नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराने की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर रॉस द्वीप का नाम बदलकर “नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप” कर दिया और सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। अनिडको ने इस राष्ट्रीय स्मारक की विकास योजना तैयार करने के लिए मेसर्स मीनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना की विकास योजना में डीपीआर, व्यवहार्यता, परियोजना संरचना, आरएफपी और द्वीप पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं को अंतिम रूप देने जैसे घटक शामिल हैं।

- सलाहकार विस्तृत विकास योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसके बाद पीपीपी/ईपीसी पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष एजेंसियों की नियुक्ति के लिए आरएफपी आमंत्रित किया जाएगा।

- **पैकेज द्वीप समूह/11 स्थलों का समग्र विकास**

- नीति आयोग और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से यूटी प्रशासन ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इको टूरिजम परियोजनाओं के विकास के दूसरे चरण के रूप में 11 अतिरिक्त द्वीपों/स्थलों का समग्र विकास करने का निर्णय लिया है। उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर, मध्य अंडमान में मायाबंदर, रंगत और नॉर्थ पैसेज द्वीप और दक्षिण अंडमान में स्थलों की पहचान की गई है। द्वीपों में इन चायनित किए गए द्वीपों/स्थलों के समग्र और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के समग्र इरादे पर विचार किया जा रहा है।
- नीति आयोग द्वारा नियुक्त मेसर्स (ईसीओएम) ने भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन, पर्यावरण संवेदनशीलता विश्लेषण, बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन आदि किया है और परियोजनाओं की पहचान के लिए मसौदा मास्टर प्लान तैयार किया है। रंगाचांग और रंगाचांग विस्तार में गोल्फ कोर्स परियोजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने और गुडविल एस्टेट में एक इको टूरिज्म रिसॉर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया

गया है। तदनुसार, गोल कोर्स की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है और गुडविल एस्टेट में एक इको टूरिज्म रिसॉर्ट के लिए बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

- **स्वराज द्वीप के राधानगर बीच का विकास**

पर्यटन विभाग अंडमान और निकोबार प्रशासन ने (पीपीपी) पर इको टूरिज्म के विकास के लिए स्वराज द्वीप में राधानगर के समुद्री तट के किनारे 18 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। निगम ने इन-हाउस कंसल्टेंट्स के माध्यम से राधानगर बीच के लिए विकास योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

- **विरासत पर्यटन सर्किट— चौथम, वाइपर और एनएससीबी द्वीप**

अंडमान और निकोबार प्रशासन चौथम, वाइपर और नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को जोड़ने के लिए एक विरासत पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित विरासत पर्यटन सर्किट का प्राथमिक उद्देश्य चौथम, वाइपर द्वीप और एनएससीबी द्वीप के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करना है। अनिडको ने विकास योजना तैयार करने के लिए मेसर्स आईडेक को आमंत्रित किया है और सलाहकार ने साइट की जांच शुरू कर दी है।

बोर्ड की बैठक

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की पाँच बैठकें दिनांक 7 जून 2024, 23 सितंबर 2024, 18 अक्टूबर 2024, 24 दिसंबर 2024 तथा 13 मार्च, 2025 को आयोजित की गई जिसकी सूचना तथा बैठक की कार्यवृत्त में यथोचित रिकॉर्ड किया गया।

वार्षिक विवरण का सांराष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के उप-खंड 3 के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक विवरण का सांराष इस रिपोर्ट के अनुलग्नक। में संलग्न किया गया है।

निगमित समाजिक दायित्व

निगम द्वारा अपने अर्जित लाभांश में से सामाजिक कार्यों के लिए योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तीय वर्ष 2024–2025 दौरान निगम ने स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देने, कुपोषण की रोकथाम, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपायों के लिए 39.03 लाख रुपये की राशि के लिए विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की हैं।

कंपनी के निगमित समाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा की गई पहल इस रिपोर्ट के अनुबंध II में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम 2014 में निर्धारित प्रारूप में दी गई है तथा यह विवरण कंपनी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संबंधित पार्टी से लेन-देन

कंपनी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टी से लेन-देन, करार नहीं की है।

कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेष

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा न ही किसी प्रकार का निवेष, ऋण, अग्रिम दिया गया और नहीं गारंटी दी है और न ही अन्य निकाय कॉर्पोरेट प्रदान नहीं की हैं।

सहायक कंपनी

दिनांक 31.03.2023 तक कंपनी के अधीनस्थ एक सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अंतर्गत कोई भी सहायक कंपनी नहीं है। सहायक कंपनियों के व्यवसाय के प्रकृति में किसी भी प्रकार का मुख्य बदलाव नहीं पाया गया। अधिनियम की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए कंपनी के सहायकों की वित्तीय विवरणों के मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरण की फार्म संख्या ए.ओ.सी-1 में संलग्न किया गया है।

अधिनियम की धारा 136 में दर्शाए गए प्रावधान का अनुसरण करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरणों, समेकित वित्तीय विवरण सहित संबंधित दस्तावेजों को सभी सदस्यों को भेजा जाएगा तथा इसे वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

निदेशकगणों की उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के उपबंधों के अनुसार निदेशकगण निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

आपके निदेशक मण्डल यह पुष्टि करते हैं कि :—

- वार्षिक लेखा की तैयारी में सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू मानक लेखा विधि का पालन किया गया है।
- वे ऐसे लेखा विधि पद्धति का चुनाव व उनका तर्क संगति से प्रयोग किए हैं जो निर्णय एवं अनुमान लगाने पर संतुलित तथा ठीक हैं, ताकि हम वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों को सत्य तथा सही रूप में प्रस्तुत कर सकें और इस अवधि में कंपनी के लाभ तथा हानि को भी दर्शा सकें।
- कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं कमियों से बचने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्डों के देखरेख तथा रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती रहीं।
- उन्होंने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- कंपनी ने सुसंगत पद्धतियों का चयन की है जिससे कि उपयुक्त सभी विधि में दर्शाए गए प्रावधानों की स्वीकृति सुनिष्चित किया जा सके तथा यह पद्धतियां योग्यपूर्ण व पर्याप्त हों।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण अनुबंध III में संलग्न है।

गुणवत्ता में वृद्धि

आपके निगम के प्रबंधन द्वारा निगम के उत्पादों की गुणवत्ता और दिए जा रहे सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकीय अधिकारियों कार्यकुषलता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक मेसर्स बाबू और बदात, सनदी लेखाकार, जो आपके कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक है, आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत हो रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकरूप में नियुक्त किया गया हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उनकी पर्याप्तता

अनिडको द्वारा इन द्वीप समूह में पर्यटन, मदिरा, पेट्रोल, इस्पात, हवाई टिकट सेवाएं, ऋण तथा वित्त सहित सार्वजनिक-निजि साझेदारी के साथ पर्यटन परियोजनाओं का विकास जैसे क्रियाकलापों के साथ बहुआयामी व्यवसाय आरंभ किया है।

पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति सुनिष्ठित करने के लिए एक पद्धति को लागू किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मेसर्स रमेश सी गुप्ता, सनदी लेखाकार, श्री विजय पुरम को नियुक्त किया जिन्होंने वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा की है तथा मेसर्स रमेश सी गुप्ता कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी नियुक्त किया गया है।

मानव संसाधन

निगम की सफलता का श्रेय लोगों को जाता है और पूर्ण विश्वास है कि केवल कर्मचारी ही एक संगठन का कर्णधार होता है और इस दिशा में मुख्यभूमि से विशेषज्ञों को बुलाकर उनके अंदर छिपे प्रतिभाओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संगठन के कार्य निष्पादन, निगम के प्रति विश्वास उत्पन्न करने तथा कार्य को अंजाम देने की स्वतंत्रता जैसी माहौल पैदा करने पर हम विशेष बल दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये सभी प्रयास अनिडको परिवार, जिनके कर्मचारियों की संख्या 300 के लगभग है, को मदद करेगी और इस स्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। निगम के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से निगम ने एक्स.एल.आई संस्था, जमशेदपुर के परामर्श द्वारा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आधार पर प्रोत्साहन योजना तैयार किया गया है।

आवधिक जमा की स्वीकृति

समीक्षा वर्ष के दौरान निगम ने न ही जनता के किसी आवधिक जमा को स्वीकार की अथवा न ही नवीकरण किया है।

निदेशक मण्डल में फेरबदल

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों में फेरबदल किया गया :—

1. डॉ. चंद्र भूषण कुमार, भा.प्र.से को श्री केशव चंद्र, भा.प्र.से के स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
2. सुश्री चंचल यादव, भा.प्र.से को श्री ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश, भा.प्र.से के स्थान पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्हें सुश्री नंदिनी पालीवाल, भा.प्र.से के स्थान पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
3. सुश्री ज्योति कुमार, भा.प्र.से और श्री प्रवेश रंजन झा भा.प्र.से को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है तथा डॉ. सत्येन्द्र सिंह दुरस्वावत, भा.प्र.से, डॉ. अमन गुप्ता, भा.प्र.से, श्रीमती नंदिनी महाराज, भा.प्र.से, श्री सी. अरविंद और श्री विश्वेन्द्र कार्यकारी निदेशक के पद से मुक्त हो गए हैं।
4. बोर्ड ने श्री केशव चंद्र, भा.प्र.से, सुश्री नंदिनी पालीवाल, भा.प्र.से., श्री ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश, भा.प्र.से, डॉ. सत्येन्द्र सिंह दुरस्वावत, भा.प्र.से, डॉ. अमन गुप्ता, भा.प्र.से, श्रीमती नंदिनी महाराज, भा.प्र.से, श्री सी. अरविंद तथा श्री विश्वेन्द्र द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए सेवाओं के लिए आभार व्यक्त की हैं।

ऊर्जा संरक्षण

यह कम्पनी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़ा हैं और दूध प्रस्करण तथा पैकिंग को छोड़कर किसी भी क्रियाकलापों में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अतः कंपनी के उत्पादों के लिए ऊर्जा की खपत बहुत ही कम हैं। फिर भी कंपनी ने इसके लिए उचित प्रबंध किए हैं और ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग हैं। विकास भवन और दुग्ध संयंत्र, डेयरी फार्म में क्रमशः 40 केडल्यूपी और 34 केडल्यूपी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए।

प्रौद्योगिकी सविलयन

आपके निगम किसी भी विदेशी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हैं। सभी तकनीकों का विकास यहीं पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विदेशी मुद्रा विनियम

वर्ष 2024–2025 के दौरान अर्जित तथा निर्गम विदेशी मुद्रा

अर्जित : वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा — शून्य

निर्गम: वर्ष के दौरान — शून्य

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले सभी भौतिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है और उन्हें नियमित आधा पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति जोखिम सहनशीलता निर्धारित करने के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों की देख रेख करती है और प्रबंधन के माप और स्थापित स्तरों पर समग्र जोखिम सहनशीलता की तुलना की समीक्षा करती है। व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को नियमित आधा पर कम करने वाली कार्रवाईयों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विचार किया जाता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष के अंत के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

आभारोक्ति

समीक्षा वर्ष के दौरान आपके निदेशकगण सभी व्यवसाय सहयोगियों, ग्राहकों, बैंकर्स, शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े लोगों का खुले दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं।

आपके निदेशकगण गृह मंत्रालय, निगमित मामले से संबंधित मंत्रालय और सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण विषेषकर माननीय उपराज्यपाल महोदय और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को भी उनके द्वारा पूरे वर्ष दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

श्री विजय पुरम

दिनांक: 23/07/2025

— हस्त/—

— हस्त/—

(निदेशक)

(प्रबंध निदेशक)

फार्म न. एम जी टी – 9
 वार्षिक लाभ का सारांश
 दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा नियम 12(1) के अनुपालन अनुसार)
 (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014)

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

- I) सी आई एन:—**U74999AN19985GC000028**
- II) पंजीकरण दिनांक:— **28.06.1988**
- III) कंपनी का नाम:— अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड
- IV) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :— सरकारी कंपनी
- V) पंजीकृत कार्यालय तथा संपर्क विवरण का पता: विकास भवन, श्री विजय पुरम, डाक पेटी संख्या 180,
 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह — 744101
 दूरभाष संख्या: 03192—246028
 वेबसाइट: <http://aniidco.and.nic.in>
- VI) क्या कंपनी सूचीबद्ध है: नहीं
- VII) नाम: पंजीयक तथा स्थानातरण अभिकर्ता का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, यदि कोई,—
 उपर्युक्त नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप :

कंपनी के कुल बिक्री का 10 प्रतिशत अथवा अधिक अंषदान देने वाले सभी व्यवसाय क्रियाकलापों को दर्शाया जाएगा ।

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पादों/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का प्रतिष्ठत
1.	सामग्रियों तथा निर्मित वस्तुओं का व्यापार	46308, 47300, 10501 आदि	100

III. सहायक, सहयोगी कंपनी का विवरण :

क्रम संख्या	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	सहायक व सहयोगी कंपनी	षेयर का प्रतिष्ठत	उपर्युक्त धारा
1.	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (ए एफ एल)	U05001AN1991SG C000035	सहायक	100	2(87)

IV. शेयर रखने की विधि :

भारत का राष्ट्रपति : 85 प्रतिष्ठत
 उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह : 15 प्रतिष्ठत

V. निदेशकों का शेयर तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर (01.04.2024)	वर्ष के दौरान जोड़ा गया शेयर		
	निदेशक का नाम	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	सुश्री नंदनी पल्लीवाल	1	0	1	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2025)	0	0	0	0
2.	श्री विश्वेन्द्र	1	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2025)	0	0	1	0
3.	श्री ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2025)	1	0	1	0
4.	सुश्री ज्योति कुमारी	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31/03/2025)	1	0	1	0

VI. ऋणग्रस्तता :

कंपनी के ऋणग्रस्तता में शामिल बकाया ब्याज/बीमाकिंक परंतु भुगतान के लिए देय नहीं : शून्य

VII. निदेशकों का पारिश्रमिक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

- क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक: ₹ 49,737/-
- ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक: ₹ 1,29,896/-
- ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक: शून्य

VIII. जुर्माना/दंड : शून्य

निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी के निगमित समाजिक जिम्मेदारी की संक्षिप्त रूपरेखा

अनिडको का निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित नीति कंपनी के वेबसाइट में दर्शाया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के अंतर्गत दर्शाए गए नियमों के तहत यह गतिविधियां प्रारंभ किया जाएगा। निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े परियोजना/कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप केवल अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ही संचालित किया जाएगा। निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ के न्यूनतम 2 प्रतिशत तथा अधिकतम 3 प्रतिशत की दर से निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सी.एस.आर. गतिविधियां पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत संस्था अथवा कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी अथवा सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत अथवा पिछले तीन वर्षों से अनुरूप कार्यक्रम व परियोजनाएं संचालित कंपनी/संस्था/स्वायत्त निकाय/सरकारी विभाग द्वारा आरंभ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने निगमित समाजिक दायित्व के अंतर्गत क्रियाकलापों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृपोषण की रोकथाम, पर्यावरणीय स्थिरता आदि से जुड़े कार्यों में किए गए।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश	प्रबंध निदेशक	3	1
2	श्री अर्जुन शर्मा	कार्यकारी निदेशक	3	2
3	श्रीमती ज्योति कुमारी	कार्यकारी निदेशक	3	1

- कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किए जाने पर वेब-लिंक प्रदान करें।
<https://aniidco.and.nic.in>
- कार्यकारी सारांश प्रदान करेनियम 8 के उप-नियम (3)के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ, यदि लागू हो तो। उपयुक्त नहीं
- (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभधारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार : ₹ 4069.63 लाख
(ख) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतधारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार ₹ 81.39 लाख
(ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो। : शून्य
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)} : ₹ 81.39 लाख

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही लाख ₹ 39.03 लाख परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य दोनों)

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: उपयुक्त नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च किए:

गए राशि का विवरण (ए)+(बी)+(सी): ₹ 39.03 लाख

(ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)		
	धारा 135की उपधारा (6)के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		
राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि
33,03,000	6,00,000	25.04.2025	42,36,000

सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : उपयुक्त नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण

क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6)के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशियदि कोई हो	आगामी वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमीयां द कोई हो
					राशि (रुपये में)	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष - 1	51,99,839/-	36,13,864/-	15,85,975/-	.	.	.
2	वित्तीय वर्ष - 2
3	वित्तीय वर्ष - 3	30,35,000/-	.	30,35,000/-	.	.	.

8. क्या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूँजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि ? : नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें

कंपनी ने आवश्यक राशि खर्च करने के लिए सभी प्रयास किए। सीएसआर समिति की बैठकें 3 जून 2024, 12 अगस्त 2024 और 13 फरवरी 2025 को हुई और विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई। हालांकि, कुछ प्रस्तावों पर निर्णय अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और चालू वर्ष के दौरान इस पर विचार किया जाएगा। वर्ष के दौरान 53.06 लाख रुपये की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को मंजूरी दी गई। 53.03 लाख में से, 14 लाख रुपये एक फाइबर बोट के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन तकनीकी सुरक्षा अनुपालन के कारण इसका निर्माण नहीं किया गया था। 6,00,000— रुपये की एक चालू परियोजना के लिए अप्रयुक्त राशि को अप्रैल, 2025 के दौरान एसबीआई, श्री विजयपुरम के एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा शेष अप्रयुक्त राशि 42,36,000 रुपये को धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित किया जाना है।

-हस्त/-
(चंचल यादव)
प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष, सी एस आर समिति

अनुलग्नक-III

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट परे उल्लेखित योग्य राय पर स्पष्टीकरण

1. पीईटी बोतलों का परीक्षण चेन्नई स्थित सरकारी प्रयोगशाला से करवाया गया है और उन्होंने पुष्टि की है कि नमूनों में एथिल अल्कोहल की मात्रा भारतीय मादक पेय मानकों के अनुसार घोषित मात्रा की सहनशीलता सीमा के भीतर है। निगम ने इन पीईटी बोतलों के स्टॉक की बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री विजयपुरम से संपर्क किया था और वित्त वर्ष 2024–25 में उत्तर की प्रतीक्षा है। इसलिए निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान किसी भी इन्वेंट्री को राइट–ऑफ नहीं माना है। स्टॉक को राइट–ऑफ करने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।
2. निगम का पीओएल प्रभाग, भारतीय तेल निगम (आईओसी) से प्राप्त होने वाले ₹ 106.49 लाख के दावे पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ नियमित रूप से विचार कर रहा है और उसका निपटारा किया जाना है। यह जुलाई 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए माल डुलाई समानीकरण से संबंधित है।
3. निगम ने अगस्त 2020 से मार्च 2024 की अवधि के लिए ₹581.70 लाख का प्रोफार्मा चालान जारी किया है, जिसका भुगतान निगम खाते से किया गया था, और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, उद्योग विभाग से अनिड्को को धनराशि प्राप्त होगी, परंतु आज तक उद्योग विभाग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
4. निगम ने आग, चोरी और सेंधमारी के जोखिमों के विरुद्ध अपनी इन्वेंट्री, परिसंपत्तियों और नकदी का बीमा कराया है। हालाँकि, वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी को ध्यान में रखा गया है और वित्त वर्ष 2025–26 से जोखिम मूल्यांकन नीति तैयार की जाएगी।
5. लीजहोल्ड संपत्तियों के नवीनीकरण पर किया गया व्यय, भवन के विस्तार और नए निर्माण को छोड़कर, “भवन की मरम्मत और रखरखाव” के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।
6. कंपनी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है। वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों की समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए वार्षिक रिटर्न में जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय उनका ध्यान रखा जाएगा।

लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

समन्वित विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के सदस्यगण

योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2024 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी") का संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याखात्मक जानकारी का सारांश शमिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, 2013 ("अधिनियम") आवश्यक तरीके से और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। भारत में, 31मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, इविवटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह।

योग्य राय के लिए आधार

1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के नोट 14 और इन्वेंटरी के मूल्यांकन के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी ऐतिहासिक लागत या अनुमानित शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन करना जारी रखे हुए है।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार, पीईटी बोतलों (2 लीटर से कम पानी, पेय पदार्थ और अल्कोहल उत्पादों के लिए) के निर्माण, भंडारण, आयात, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियामक कार्रवाई के कारण कंपनी के पीईटी-पैकेज्ड सामानों के एक बड़े हिस्से की स्थानीय बाजार में बिक्री नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त के बावजूद, और पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी दर्ज किए जाने के बावजूद, कंपनी ने चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में कोई इन्वेंटरी राइट-डाउन दर्ज नहीं किया है। प्रबंधन रिकॉर्ड के अनुसार, 31.03.2025 तक ऐसी प्रभावित इन्वेंटरी का मूल्य ₹46.26 लाख है।

तदनुसार, समापन स्टॉक ₹46.26 लाख से अधिक बताया गया है, और परिणामस्वरूप, वर्ष का शुद्ध लाभ भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

2 वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) से ₹ 106.49 लाख की राशि प्राप्त दावे के रूप में रिपोर्ट की गई है। हालाँकि, हमारे संज्ञान में लाया गया है कि आईओसी ने कंपनी द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने या अपर्याप्त होने का हवाला देते हुए इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। परिणामस्वरूप, इस राशि की वसूली को लेकर काफी अनिश्चितता है। प्राप्त राशि की प्रकृति, आधार और पुष्टि के संबंध में पर्याप्त विवरण और पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या राशि वास्तव में वसूली योग्य है या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त राशि और लाभ में ₹106.49 लाख की वृद्धि हो सकती है।

3 "जीएनआई-उद्योग अनिड्को के लिए समझौते" (संदर्भ: पी-255/4/2023-प्रबंधक-परियोजनाएं-जीएनआई अनिड्को एएन-भाग(2)) के अनुच्छेद 3.2(i) के अनुसार, कंपनी पूंजीगत व्यय को छोड़कर, 20: के प्रशासनिक शुल्क और लागू जीएसटी के साथ वास्तविक परियोजना-संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की हकदार है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि कंपनी ने समझौते की शर्तों के अनुसार प्रशासन को औपचारिक कर चालान जारी नहीं किए हैं और अगस्त 2020 से मार्च 2024 की अवधि के लिए केवल ₹ 581.70 लाख की राशि का एक प्रोफार्मा चालान जारी किया है। परिणामस्वरूप, इस अवधि के लिए पुस्तकों में कोई राजस्व मान्यता प्राप्त नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्त दोनों को वास्तविक रूप से कम करके आंका गया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक रिपोर्ट किए गए वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति में गड़बड़ी हुई है।

- 4 कंपनी शारब वितरण, पर्यटन विकास और नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित कई क्षेत्रों में काम करती है। इनमें से प्रत्येक खंड में विशिष्ट परिचालन, नियामक और वित्तीय जोखिम हैं। हालाँकि, कंपनी इन खंडों से संबंधित जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए कोई औपचारिक जोखिम रजिस्टर या जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज नहीं रखती है।
- 5 कंपनी ने लीजहोल्ड संपत्तियों और मेगापोड रिसॉर्ट के नवीनीकरण पर ₹ 119 लाख सहित महत्वपूर्ण व्यय किए हैं, जो पूंजीगत प्रकृति के हैं। हालाँकि, इन राशियों को लेखांकन मानक (एएस) 10 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत करने के बजाय 'भवन की मरम्मत और रखरखाव' के अंतर्गत राजस्व में गलत तरीके से लगाया गया है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लाभ और अचल संपत्तियों दोनों को संबंधित राशि से कम करके आंका गया है, जो परिसंपत्ति पहचान और पूंजीकरण पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने का संकेत देता है।
- 6 जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में दर्ज आउटपुट सप्लाई और जीएसटीएन पोर्टल तथा कंपनी की लेखा पुस्तकों के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस में विसंगतियाँ पाई गई हैं। पर्याप्त दस्तावेजीकरण और मिलान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ' अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत और अन्य लेखांकन सिद्धांत।

इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियांवयन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण घमिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की यूक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋुटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत के चार्डड अकाउन्टेंट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमने अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह आपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियांवयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋुटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राष्ट्रीय एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋद्धि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल हैं।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करना, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
- शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन प्रदान करना कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करना, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से ऐसी संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लिखित निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उसके आकार, जटिलता और संचालन को देखते हुए अपर्याप्त है। वर्तमान ढाँचे में वैधानिक अनुपालन, इन्वेंट्री नियंत्रण एवं मूल्यांकन, तथा राजस्व निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त गुंजाइश नहीं है, जिससे अनदेखे महत्वपूर्ण गलतबयानी और आंतरिक नियंत्रण के कमज़ोर होने का जोखिम पैदा होता है। इसके अतिरिक्त, चौथी तिमाही की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जो एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करती है जो त्रुटियों या अनियमितताओं का समय पर पता लगाने और उन्हें सुधारने में बाधा डालती है।
2. वित्तीय विवरणों में “उचंत खाता (क्रेडिट)“ के अंतर्गत ₹ 35.40 लाख और “पीएमएफ (उचंत) खाता“ के अंतर्गत ₹ 0.42 लाख की राशि शामिल है, जो बैलेंस शीट की तिथि तक बकाया है। प्रबंधन ने इन शेष राशियों की प्रकृति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। पर्याप्त जानकारी और दस्तावेजीकरण के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक है या नहीं। तदनुसार, हम वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।
3. हम 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्वों से संबंधित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी का सीएसआर दायित्व ₹81.39 लाख था, जिसमें से ₹ 33.03 लाख सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए गए और ₹6.00 लाख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत आवश्यक नामित सीएसआर बैंक खाते में जमा किए गए।

शेष ₹42.26 लाख की अप्रयुक्त राशि किसी भी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है। तदनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर उक्त राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया है, हालाँकि नियत तिथि समाप्त नहीं हुई है।

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि, यद्यपि वह वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करने का इरादा रखती है, वह इस अव्ययित राशि को कुछ चिन्हित स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगी। यह कंपनी की सीएसआर नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत और धारा 135(5) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जो स्थानीय परिचालन क्षेत्र को प्राथमिकता देने पर बल देता है।

4. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कंपनी ने विक्रेताओं से प्राप्त पुष्टिकरणों और प्राप्त सीमा तक संकलित आंकड़ों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। हालाँकि, पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम ऐसे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में हुई देरी, ब्याज की संबंधित देयता और एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 6(ए) देखें।)
5. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में “नीति आयोग परियोजना” पर ₹232.45 लाख खर्च किए थे। प्रबंधन के माध्यम से हमें सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने बाद में इस परियोजना के लिए एक अलग कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त की है। हालाँकि, हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक, हमारे सत्यापन के लिए कोई औपचारिक संचार, संशोधित कार्यान्वयन ढाँचा, या जिम्मेदारियों के हस्तांतरण, पहले से खर्च की गई लागतों के निपटान, या नवनियुक्त एजेंसी को धन के पुनर्आवंटन का विवरण देने वाला कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या पहले से किए गए व्यय को नई एजेंसी द्वारा मान्यता दी जाएगी, प्रतिपूर्ति की जाएगी या नियमित किया जाएगा। ऐसी जानकारी और पर्याप्त सहायक दस्तावेजों के अभाव में, हम उक्त व्यय की मान्यता और वर्गीकरण की उपयुक्तता, या परियोजना के संबंध में कंपनी की वसूली और किसी भी निरंतर दायित्वों पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

6. कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड में निवेश किया है और उसे ऋण और अग्रिम राशि प्रदान की है। 31 मार्च 2025 तक, सहायक कंपनी को काफी संचित घाटा हुआ है और इसका संचालन लंबे समय तक बंद रहा है, जिससे एक चालू व्यवसाय के रूप में इसके जारी रहने की क्षमता पर काफी संदेह पैदा हो गया है। प्रबंधन ने कहा है कि सहायक कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, इन निवेशों और अग्रिमों के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। हालाँकि, भारतीय लेखा मानक एएस 36 (परिसंपत्तियों की हानि) के अनुसार औपचारिक उचित मूल्यांकन या हानि आकलन के अभाव में, और प्रावधान के आधार का समर्थन करने वाले पर्याप्त दस्तावेजों के बिना, हम कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधान की उपयुक्तता और पर्याप्तता का आकलन करने में असमर्थ हैं।

हम यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि सहायक कंपनी पर कोई और वित्तीय जोखिम नहीं है, प्रबंधन द्वारा कोई औपचारिक पुनरुद्धार या निकास रणनीति तैयार नहीं की गई है। हमारे विचार से, कंपनी के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह सहायक कंपनी के पुनर्गठन, निपटान या समापन जैसे विकल्पों का एक संरचित मूल्यांकन करे ताकि उचित समापन सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसी भी संभावित दायित्व या अनुपालन जोखिम से बचा जा सके।

7. कंपनी ने वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में निवेश पर हुए नुकसान के लिए ₹6 लाख का प्रावधान स्वीकार किया है। हालाँकि, इस प्रावधान का समर्थन करने के लिए शेयरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। ऐसे मूल्यांकन के अभाव में, हम प्रावधान की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तदनुसार, हम निवेश पर हानि के प्रावधान, उक्त निवेश के वहन मूल्य और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव के लिए आवश्यक संभावित समायोजनों, यदि कोई हों, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. पिछले वर्षों के खातों में बिना उचित पहचान या समाधान के अनलिंक्ड डेबिट और क्रेडिट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे असमाधानित शेषों का अस्तित्व लेखांकन और समाधान प्रक्रियाओं में कमजोरी को दर्शाता है और वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत खाता शेषों की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। इन मदों के लिए पर्याप्त औचित्य और समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत संबंधित खाता शेषों की सटीकता और पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

9. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 13(ए) में वर्णित है, ऋण और वित्त विभाग लेखांकन प्रणाली में उधारकर्ता-वार आधार पर आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण नहीं रखता है। इसके बजाय, बनाए गए रजिस्टर के आधार पर वर्ष के अंत में समेकित जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर अस्तित्व की समीक्षा करने की मानक प्रथा आरबीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों का पता लगाने के लिए प्रतिभूति के मूल्य और उसके मूल्य का पालन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने आरबीआई मानदंडों के अनुसार आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आवश्यक प्रतिभूति मूल्यांकन के प्रावधानों की सटीकता और पूर्णता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।

10. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4(बी) में बताया गया है, ₹150.39 लाख का अनुदान-सहायता शेष चालू वर्ष के साथ-साथ कई पूर्ववर्ती वर्षों के बैलेंस शीट में असमायोजित रहा है। प्रबंधन ने इस शेष राशि के अस्तित्व और सटीकता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि रिपोर्ट की गई राशि में कोई समायोजन आवश्यक है या नहीं। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अनुदान-सहायता रिकॉर्ड का व्यापक समाधान करे, जो उचित दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित हो, और सत्यापित पुष्टिकरणों और अनुमोदनों के आधार पर वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन लागू करे।

11. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के रिकॉर्ड की समीक्षा की। (पीओएल) प्रभाग ने स्वराज द्वीप (हैवलॉक) भंडारण सुविधा में भौतिक स्टॉक और बहीखातों के बीच विसंगतियाँ पाईं। भौतिक सत्यापन में 3,480.626 लीटर हाई-स्पीड डीजल और 3,010.680 लीटर अनलेडेड पेट्रोल की कमी पाई गई। हमें सूचित किया गया है कि जिम्मेदार कर्मचारी ने विसंगतियों को स्वीकार किया है और निगम ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। वित्तीय विवरणों में इन कमियों का लेखा “कर्मचारियों से प्राप्तियां” के अंतर्गत किया

गया है। हालाँकि लेखांकन प्रक्रिया का खुलासा किया गया है, लेकिन मूल समस्या इन्वेंट्री प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करती है कृपिश रूप से स्टॉक निगरानी, आवधिक समाधान और प्रभागीय स्तर पर अभिरक्षा नियंत्रण के क्षेत्रों मेंक्जिससे निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा में नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

12. जमा, अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और व्यापार देय के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की मौजूदा प्रणाली अपर्याप्त है। अधिकांश मामलों में, ऐसी बाहरी पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप, हम एसए 505 – बाह्य पुष्टिकरण के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे, और इसलिए इन शेषों के अस्तित्व, सटीकता या पूर्णता, या किसी भी संभावित समायोजन या प्रकटीकरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है। परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियों और अन्य चालू देनदारियों के लिए पुष्टिकरण प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किया जा सका।
13. हम वित्तीय विवरणों के नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ अचल संपत्तियाँ, जिनमें वाहन भी शामिल हैं, जिनका निर्धारित उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है, बिना किसी अतिरिक्त मूल्यव्याप्ति के अवशिष्ट मूल्य पर रखी जाती हैं। भारतीय लेखा मानक एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, मूल्यव्याप्ति तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि संपत्ति की मान्यता रद्द न हो जाए, और उन संपत्तियों के लिए जो अपने उपयोगी जीवन के बाद भी उपयोग में रहती है, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, जिसके अनुसार मूल्यव्याप्ति लगाया जाएगा। वर्तमान प्रथा के परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक एएस 16 का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों का मूल्य ₹68.02 लाख अधिक और संचित मूल्यव्याप्ति कम दर्शाया गया है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड से उचित अनुमोदन प्राप्त करके, ऐसी अप्रचलित संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें औपचारिक रूप से बहु खाते में डालने के लिए एक बार की व्यापक समीक्षा करे।
14. हमने पाया कि कंपनी वर्तमान में अपनी अधिशेष निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा में निवेश करती है। हालांकि, ऐसे अधिशेष निधियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन या निदेशक मंडल द्वारा कोई औपचारिक निवेश नीति तैयार और अनुमोदित नहीं की गई है। प्रलेखित निवेश नीति के अभाव में, जोखिम मूल्यांकन, विविधीकरण, परिपक्वता अवधि, तरलता प्रबंधन और उपज अनुकूलन के संबंध में परिभाषित मानदंडों का अभाव है। एक औपचारिक निवेश नीति स्थापित करने से अधिशेष निधियों की सुरक्षा करते हुए निगम के वित्तीय उद्देश्यों के साथ पारदर्शिता, स्थिरता और संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
15. हम वित्तीय विवरणों के नोट 10(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एक लंबित मध्यस्थता मामले का वर्णन करता है जिसमें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा मई 1992 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा शामिल है, जो इक्विटी भागीदारी योजना के तहत ₹10 प्रति शेयर के 33,000 इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद से संबंधित है। कंपनी ने इस दावे के संबंध में ₹5.39 लाख का प्रावधान स्वीकार किया है। यह मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुसरण में मध्यस्थता के अधीन है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

1. अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) की अपेक्षा के अनुसार, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, “अनुलग्नक ए” में एक विवरण देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर “अनुलग्नक बी” में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे

ख) उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है:

ग) उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं:

घ) उपरोक्त योग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि लागू हो

ङ) उपरोक्त योग्य राय और योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

च) हमें सूचित किया गया है कि निवेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार है।

छ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, “अनुलग्नक सी” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ट के साथ धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 27 (i) (ए) और (बी) और 27 (V) का संदर्भ लें।
- (ii) कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है, दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए
- (iii) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।
- (iv) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोटों के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, को (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे वह उधार ली गई निधियों से हो या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थः।

(ए) किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा

(बी) किसी भी तरह से (“अंतिम लाभार्थी”) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या

(सी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

(डी). लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपर्युक्त (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 29 (iv) में कहा गया है:

(ए). पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

(बी) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

(vi). हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला तथा लेखापरीक्षा परीक्षण को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25/07/2025

(सी ए इमरान हाशिम बादात)

पार्टनर

सदस्यता सं. 065814

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX8079

"अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) (क) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है हालांकि, भौतिक सत्यापन और पुस्तक रिकॉर्ड के रिकॉर्ड का मिलान नहीं किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
- (घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (i)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) जैसा कि हमें समझाया गया है और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। प्रबंधन द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई छोटी-मोटी विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और पीओएल, आरओएल, स्वराज द्वीप में ₹ 4.94 लाख की कमी के कुछ मामलों को छोड़कर, लेखा पुस्तकों में उचित तरीके से निपटा गया है। इन कमियों की पहचान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई थी और प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और वसूली कार्यवाही सहित उचित कार्रवाई की गई है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय, चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित/असुरक्षित ऋण नहीं दिया है, इसलिए आदेश के उप-खंड 3(iii)(ए), 3(iii)(बी), और 3(iii)(सी), लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है।

(v) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के अंतर्गत कवर किया गया जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा किसी विवाद के कारण भविष्य निधि, आयकर के निम्नलिखित बकाया जमा नहीं कराए गए हैं:

प्राधिकारी का नाम	देय का प्रकृति	राशि	अवधि	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है।
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	21,29,568.00	2001-04	माननीय उच्च न्यायालय – श्री विजयपुरम।
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	22,60,043.00	2005-09	ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	2,25,80,280.00	2017-18	सीआईटी (अपील)–एनएफएसी

नोट: माननीय उच्च न्यायालय, श्री विजयपुरम के निर्देशों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) प्राधिकरण द्वारा राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और मामला बैलेंसशीट तिथि तक लंबित है।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बहियों में आय के रूप में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेन-देन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(X)(ए) लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(X)(बी) लागू नहीं होता है।

(xi) (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी लेखापरीक्षा के दौरान नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है। हमारी लेखापरीक्षा

प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने 4.94 लाख रुपये की राशि के स्टॉक की कमी के मामलों की पहचान की है जो कंपनी के कर्मचारियों के कारण पाए गए थे। प्रबंधन ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लॉअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii)(ए), 3(xii)(बी) एवं 3(xii)(सी) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू है तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरण प्रकट किया गया है।

(xiv) हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षा ढाँचे में वैधानिक अनुपालन, इच्छेंट्री नियंत्रण और मूल्यांकन, तथा राजस्व निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त कवरेज का अभाव है। इसके अलावा, चौथी तिमाही की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिससे आंतरिक नियंत्रण निगरानी की समयबद्धता और प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ए के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय नियम के तहत कोई पंजीकरण नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।

(xvii) हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी पर 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ` 81.39 लाख का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्व था। कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर ` 33.03 लाख खर्च किए और कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत आवश्यक सीएसआर बैंक खाते में ' 6.00 लाख जमा किए।

(ख) शेष ' 42.26 लाख की अप्रयुक्त राशि किसी भी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है। तदनुसार, कंपनी को उक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी ने अभी तक यह स्थानांतरण नहीं किया है, हालाँकि नियत तिथि समाप्त नहीं हुई है।

बाबू और बादात
चार्टड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25 / 07 / 2025

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. **065814**
यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX8079

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ख')

(अन्य विधि एवं विनायमक आपेक्षित के संबंध में जारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ
2 का हवाला लें)

क्र.सं.	दिशा—निर्देश	की गई कार्रवाई	स्टैडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के सभी प्रक्रिया करने की पद्धति है। यदि हां, तो विवरण दें।	सभी लेखांकन लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह कार्य टैली सोल्योषन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आई टी साप्टवेयर पैकेज के माध्यम से की जा रही है। इसलिए लेनदेन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण नहीं की जा सकती है।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज इत्यादि के मामलों में छूट दी गई है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	प्रतिवेदित वर्ष के दौरान किसी भी ऋण को पुनर्गठित नहीं किया गया।	शून्य
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्ति को उसकी अवधि और स्थिति के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	इस प्रकार के मामले प्रकाश में नहीं आया है।	शून्य

बाबू और बादात
चार्टड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 25/07/2025

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ग')

हमने दिनांक 31 मार्च 2025 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित कंपनी के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कर लिया है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वे भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण का रख-रखाव करें। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम कंपनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के आधार पर उचित आव्यासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करते तथा उनका क्रियांवयन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तिओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा समयानुसार वित्तीय संबंधित सूचना की तैयारी आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कि हमारी लेखा परीक्षा में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने यह लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 143(10) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है जिसमें यह आपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण पर उचित तर्कसंगत आव्यासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर उनको क्रियान्वित करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋण्टि न हो।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

अस्वीकरण में दर्शाए गए मामलों पर हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति पर पर्याप्त सुसंगत लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखा पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय:

एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर लेखा सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि हमें वित्तीय विवरणों पर उचित आव्यासन प्रदान कर सके। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित नीतियां व कार्यप्रणाली शामिल हैं :

- (1) कंपनी के परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड, रख-रखाव, उनसे संबंधित लेन-देन तथा निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर आशवासन प्रदान करना।
- (2) भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय लेन-देन पर उचित आव्यासन देना।

(3) वित्तीय विवरण पर समय समय पर प्रभावित होने वाले आप्राधिकृत अधिकरण अथवा संरक्षण, प्रयोग अथवा कंपनी के परिसम्पत्तियों को निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर उचित आष्वासन प्रस्तुत करना।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय विवरण के सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलों प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

योग्य राय

हमारे जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

1. हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षा ढाँचे में वैधानिक अनुपालन, इन्वेंट्री नियंत्रण और मूल्यांकन, तथा राजस्व निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त कवरेज का अभाव है।
2. स्वराज द्वीप (हैवलॉक) पीओएल सुविधा में स्टॉक विसंगतियाँ पाई गई। हालाँकि इन कमियों को स्वीकार किया गया, “कर्मचारियों से प्राप्तियों” के रूप में दर्ज किया गया और वसूली की कार्यवाही शुरू की गई, फिर भी यह मामला इन्वेंट्री पर आंतरिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कमजोरी को दर्शाता है। नियंत्रण की यह विफलता बार-बार होती प्रतीत होती है और विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों पर स्टॉक निगरानी, मिलान में प्रणालीगत कमियों को उजागर करती है। यह निवारक और जासूसी नियंत्रणों, दोनों की प्रभावशीलता पर चिंताएँ पैदा करता है और अपर्याप्त विभागीय निगरानी और जवाबदेही का संकेत देता है। हमारी राय में, कंपनी ने इन्वेंट्री प्रबंधन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली नहीं बनाए रखी है, जिसका प्रभाव परिसंपत्तियों की सुरक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है।
3. हम वित्तीय विवरणों के नोट 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें व्यापारिक प्राप्तियों और संग्रहण पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों की चर्चा की गई है। कंपनी के पास अतिदेय प्राप्तियों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप संग्रहण में देरी हुई और ऋण जोखिम में वृद्धि हुई।
- 4) “उचंत खाते” के अंतर्गत ` 35.40 लाख और “पीएमएफ (उचंत) खाते” के अंतर्गत ` 0.42 लाख का असमाधानित शेष अज्ञात पक्षों से प्राप्तियों को दर्शाता है। यह ग्राहक प्राप्ति पहचान और समाधान पर नियंत्रण में कमी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक प्राप्तियों का अपूर्ण समाधान होता है।

“भौतिक कमजोरी” वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिससे इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में एक भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकता है।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपरोक्त योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के

लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है और भौतिक कमजोरी ने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और तदनुसार हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक संशोधित रिपोर्ट जारी की है।

बाबू और बादात
चार्टड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25/07/2025

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX3855

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय कोलकाता ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, के धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण की टिप्पणी ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रेपोर्टिंग ढांजे के अनुसार 31 मार्च 2025, को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की तयारी करना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंदन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनके द्वारा 25 जुलाई 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा के ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समानविधि विकास निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों के कार्य-पत्रों तक पहुंच नहीं है और कुछ लेखा अभिलेखा की चुनिन्दा चुनिन्दा जाँच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान मे ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम के धारा 143(6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या अनुपूरक को उत्पत्त हो।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थानः

दिनांकः

(उदय शंकर प्रसाद)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
सेन्ट्रल: कोलकाता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2025 का तुलन पत्र

(रुपय में)

	नोट संखा	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
इक्विटी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूँजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	28,939.88	25,589.10
गैर-मौजूदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	181.45	179.03
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	1,223.68	1,261.34
चालू देय			
व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम	6	216.44	236.23
(ख) अन्य		2,776.34	2,165.91
अन्य चालू देय	7	2,169.30	1,815.04
अल्पावधि प्रावधान	8	7,229.51	13,861.12
	कुल		
		43,833.61	46,204.78
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थाई परिसम्पत्ति			
— संपत्ति संयंत्र उपकरण	9	2,333.30	2,337.77
—अवास्तविक		4.52	3.66
—पूँजीगत कार्य प्रगति पर		-	74.35
गर-चालू निवेश	10	-	-
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	32.34	26.19
अस्थागित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	291.01	349.50
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	9.76	14.62
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	7,449. 75	5202.01
व्यापार प्राप्य	15	1,294.52	1315.40
नकद तथा बैंक शेष	16	22,743.83	20,307.14
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	9,666.48	16,463.22
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	8.10	110.92
	कुल		
		43,833.61	46,204.78

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ 1 से 30
ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात

(चार्टर्ड अकाउटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पाटनर

सदस्यता सं. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25 / 07 / 2025

स्थान : श्री विजय पुरम

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX8079

-हस्त/-

पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-

बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

-हस्त/-

प्रवेष रंजन झा
(निदेशक)

-हस्त/-

चंचल यादव
(प्रबंध निदेशक)

DIN: 10942830

DIN: 07487074

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

(₹ लाख में)

	नोट संखा	वर्ष का अंत में 31.03.2025	वर्ष का अंत में 31.03.2024
आय			
परिचालन से राजस्व	19	51,772.49	49,008.23
अन्य राजस्व	20	1,748.68	1,376.47
		53,521.17	50,384.70
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	1,013.59	1,230.21
व्यापार के लिए स्टाक की खरीद	22	43,250.70	36,220.83
तैयार माल की सूची परिवर्तन, कार्य प्रगति, व्यापार स्टाक			
कार्य प्रगति, व्यापार स्टाक	23	(2,189.76)	3,202.67
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2,473.83	2,568.78
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	9	202.47	168.38
संचालन एवं अन्य व्यय	25	3,026.70	2,552.84
		47,777.89	45,943.71
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		5,743.28	4,440.99
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		15.92	1.49
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		5,759.20	4,442.49
घटाएः चालू कर का प्रावधान		1,442.34	1,195.03
घटाएः किए गए आस्थगित कर का प्रावधान		58.49	-
जोड़ेः अस्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान		92.32	
जोड़ेः अस्थगित कर के लिए प्रावधान लिखित / बनाया गया		-	84.14
विनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान.		4,350.69	3,331.60
प्रति शेयर का लाभः मूल तथा मिश्रित	कुल		
	26	369.60	303.70

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियां 1 से 32

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)

पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814

स्थानः श्री विजय पुरम

दिनांकः 25 / 07 / 2025

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX8079

-हस्त/-

पी. रघु राम

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-

बासुकी नाथ साह

(कंपनी सचिव)

-हस्त/-

प्रवेष रंजन झा

(निदेशक)

DIN: 10942830

-हस्त/-

चंचल यादव

(प्रबंध निदेशक)

DIN: 07487074

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

विवरण	वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में
	31.03.2025	31.03.2024
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहल शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं		
<u>समायोजन के लिए:</u>		
मूल्यहास	5,743.28	4,440.99
सावधि जमा पर ब्याज	202.47	168.38
अशोध्य तथा संदर्भपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	(1,328.95)	(1,164.35)
बटटे खाते पर डालने का प्रावधान	-	8.29
लीज़ किराये पर आ	15.92	1.49
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूंजी में परिवर्तन	(399.65)	(388.06)
	4,233.07	3,066.74
<u>समायोजन के लिए:</u>		
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	2,247.73	3,421.64
व्यापार प्राप्त में कमी / (वृद्धि)	20.88	(364.68)
संभूति ब्याज में कमी / (वृद्धि)	15.23	(244.81)
चालू ऋण एवं अग्रिम कमी / (वृद्धि)	6,712.76	(1,875.27)
अन्य चालू देय में वृद्धि / (कमी)	356.68	236.85
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	590.65	(668.54)
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी / (वृद्धि)	87.58	139.94
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(7,981.63)	(1,124.40)
ऋण एवं वित्त प्रभाग से अल्पावधि ऋण में कमी / (वृद्धि)	4.86	10.62
लाभांश कर में कमी / (वृद्धि)	83.98	-
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	1876.33	2,124.39
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पटटे के किराया का आय	399.65	388.06
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(37.66)	295.01
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी / (वृद्धि)	(6.15)	26.53
अचल परिसम्पत्ति में जोड़ना (शुद्ध)	(201.38)	(384.06)
पूंजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	74.35	2.10
सावधिक जमा पर ब्याज	1,328.95	1,164.35
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री	2.54	2.35
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	1,560.30	1,494.34
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
प्रस्तावित लाभांश	(999.93)	-
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	(999.93)	-
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	2,436.69	3618.55
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	20,307.14	16688.59
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	22,743.83	20,307.14
	2,436.69	3,618.55

31-03-2025 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इंस्ट्रियूट ऑफ चार्टड अकाउटेन्ट आफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।
- कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां पर आवश्यक हुआ, पुनः संगठित/पुनःव्यस्थित किया गया है जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण में समरूपता लाया जा सके।
- नकद तथा नकद तुल्य में शामिल है:

		(₹ लाख में)
अनुसूचित बैंकों में शेष		राशि
अन्य बैंक षेष	766.12	1,265.10
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	21,824.11	18,945.07
हाथ में उपलब्ध नकद	7.81	16.44
	145.79	80.53
कुल	22,743.83	20,307.14

- अल्पावधि जमा के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गांरंटी निधि में ₹ 31.06 लाख शामिल है।
(पिछले वर्ष ₹ 28.63 लाख)

यह नकद प्रवाह विवरण समसंख्यक दिनांक पर जारी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात

(चार्टर्ड अकाउटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)

पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25 / 07 / 2025

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGX8079

-हस्त/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-
प्रवेष रंजन झा
(निदेशक)
DIN: 10942830

-हस्त/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

-हस्त/-
चंचल यादव
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 07487074

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ नोट 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा व्याख्यात्मक सूचना का सारांश

1. निगमित जानकारी:

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संमित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) को द्वीपसमूह के तीव्र आर्थिक विकास के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 28 जून 1988 को शमिल किया गया था। निगम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का समग्र और सतत विकास करना है। अनिडका निम्नलिखित व्यवसाय में लगा हुआ है:

- पेट्रोलियम उत्पाद, भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), दूध और दूध उत्पादों का व्यापार।
- श्री विजय पुरम में मेगापोड रिजॉर्ट और हॉर्नबिल रिजॉर्ट और स्वराज द्वीप द्वीप में डॉल्फिन रिजॉर्ट का संचालन।
- पीपीपी मोड के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

2. लेखा के आधार:

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन संभूति तथा अनिवार्य लेखा मानकों के आधार पर देष की सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाए गए लेखा नीतियों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण में सभी तथ्यों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 133 के अंतर्गत (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 (संषोधित) मानक नियम से जुड़े सभी संबंधित प्रावधान तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की घोषणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को बिमाकिं आधार तैयार किया गया तथा पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कंपनी द्वारा नियमित रूप से लेखा नीतियों का प्रयोग किया गया।

अधिनियम के अनुसूची III के अनुसार कंपनी के सामान्य संचालन प्रणाली के तहत सभी परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य प्रकृति के आधार पर कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर चालू प्रयोजन में संचालित 12 माह तक प्राप्त किया जाता है।

3. आंकलन का प्रयोग :

आंकलन के लिए आंकलन से पूर्व किए जाने वाले आंकलन से संबंधित पूर्वानुमान की आवश्यकता होती हैं जो वित्तीय वर्ष के संभावित परिसम्पत्ति तथा देयता के राष्ट्रीय तथा कारोबार वर्ष के दौरान संभावित राजस्व तथा व्यय की संभावित राशि को प्रभावित कर सकें। यद्यपि, यह आंकलन प्रबंधन के चालू गतिविधियों के आधार पर होता है जिस कारण वास्तविक आंकलन में अंतर होता है। वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के बीच विभिन्नता, कार्यान्वयन होने की अवधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बैलेंस शीट में लागत में से संचित मूल्यहास और हानि हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाए जाते हैं। किसी परिसंपत्ति की लागत में उसका क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए वर्तमान स्थान और कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शमिल होती है। अचल परिसंपत्तियों के मद से संबंधित बाद के व्यय, यदि कोई हों, को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों को उसके पहले से निर्धारित प्रदर्शन मानक से अधिक बढ़ाते हैं।

5. प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति:

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में कम्प्युटर साप्टवेयर सहित तीन वर्षों के ऋण अवधि को लागत पर आंका जाता है।

6. मूल्यहास / ऋणपरिषोधन :

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अधीन निर्धारित दर के आधार पर अचल सम्पत्तियों पर वास्तविक लागत पर मूल्यहास दिया गया है। परिसम्पत्तियों को भट्टे पर डालने का मूल्य दिनांक 01 अप्रैल 2014 से पहले तक प्राप्त किया जाता है तथा इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अनुसार

निर्धारित प्रयोग को मूल्यहास में आंका जाता है। अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि के मामलों में मूल्यहास उसके वृद्धि के तारीख से यथानुपात दर पर की जाती है। बिक्री किए गए अचल परिसम्पत्तियों के मामलों में मूल्यहास उसके बिक्री की तारीख से पूर्व तारीख तक यथानुपात दी गई है। परिसम्पत्ति, जिनका वास्तविक लागत रु. 5000/- से कम होने पर मूल्यहास शत प्रतिशत के रूप में आंका जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का हानिकरण:

लेखा मानक 28 के अनुसार सम्पत्ति के वहन राशि को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक तथा बाहरी कारक के आधार पर परिसम्पत्ति को क्षतिपूर्ण माना जाता है, जब उसे ले जाने की लागत वसूली योग्य से अधिक हो। वसूली योग्य राषि परिसम्पत्तियों के शुद्ध विक्रय कीमत तथा प्रयोग की जानी वाली मूल्य से अधिक है। मूल्य का निर्धारण अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह से वर्तमान मूल्य को घटाकर किया जाता है। संपत्ति के हानि निर्धारण के लिए संपत्ति को खण्ड में विभाजित किया जाता है जिससे कि यह नकदी प्रवाह पर अलग से पहचाना जा सके।

8. निर्माण के दौरान व्यय:

नए इकाई तथा वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने पर, संस्थापन के तिथि से खर्च की गई सभी पूर्व संचालित व्यय को पूंजी में परिणत कर उसे यथानुपात आधार पर अचल सम्पत्तियों में की लागत में शमिल किया गया है।

9. निवेश:

दीर्घ अवधि निवेश को लागत पर दर्शया गया है। अस्थाई प्रकृति निवेशों को छोड़कर प्रत्येक दीर्घ अवधि निवेश की मूल्य में कमी को अस्वीकार करने के लिए प्रावधान रखा गया।

10. सम्पत्ति सूची:

कच्चा माल तथा भण्डार, जिसके मूल्य को परम्परागत लागत में आंका गया है, को छोड़कर सम्पत्ति सूची के मूल्यों को परम्परागत लागत के क्रम में आंका गया है तथा शुद्ध वसूली योग्य कीमत पर आंका गया। परम्परागत लागत में खरीद लागत तथा अन्य कोई लागत, जो इस सम्पत्ति को इसके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में खर्च किया गया, का जोड़ शमिल है।

सामान्यतः विक्रय कीमत ही शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है जिसमें विक्रय के लिए अनुमानित खर्च को घटाया जाता है।

11. राजस्व स्वीकृति:

क) समानों की बिक्री

वस्तुओं के बिक्री की मान्यता वस्तु की जोखिम तथा स्वामित्व खरीदारों तक पहुंचने के पश्चात् आंका जाता है। मेगापोड रिसॉर्ट, दूध तथा दूध उत्पादों को छोड़कर बिक्री को सामान्यतः व्यापार में शुद्ध छूट के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ख) सेवाओं से राजस्व

सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता जब कभी दिए गए सेवा के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ग) संभूति आधार पर ब्याज तथा कमीषन का निर्धारण किया गया है।

निवेश से लाभांश, भुगतान की प्राप्ति सुनिष्चित होने के आधार पर मान्यता दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार इस्पात एवं आई एम एफ एल उत्पादों के विक्रय कीमत का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री भारतीय तेल निगम द्वारा निर्धारित विक्रय कीमत के आधार पर होता है जबकि दूध के मामले, व अन्य वस्तुओं व सेवाओं को विक्रय कीमत का निर्धारण कंपनी द्वारा की जाती है।

12. विदेशी मुद्रा का कारोबार:

(i) प्रारंभिक स्वीकृति:

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा के आधार पर किया गया है, विदेशी मुद्रा की राषि तथा लेन-देन के समय मुद्रा की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार रिकॉर्ड किया गया अथवा कारोबार के समय उनके अनुमानित वास्तविक दर पर रिकॉर्ड किया गया।

(ii) परिवर्तन : विनिमय में अंतर

तुलन पत्र पर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति तथा देयता को अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर तथा वहां से विनिमय हानि/लाभ के आधार पर अचल परिसम्पत्ति पर समायोजित किया गया हैं अथवा मामले के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा पर चार्ज किया गया ।

13. कर्मचारियों के लाभ:

- (क) भविष्य निधि का निर्धारण अंशदान योजना के अंतर्गत किया गया हैं तथा वर्ष के दौरान किए गए अंशदान को वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में चार्ज किया गया हैं ।
- (ख) डिपोसिट लिंक बीमा क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में अंशदान के रूप में मान्यता दी गई हैं।
- (ग) कर्मचारियों को वर्ष के अंत में देय अप्रयोज्य अवकाश मूल्य को वास्तविक आधार पर छुट्टी भुनाने का प्रावधान दिया गया है ।
- (घ) यह कम्पनी उपदान निधि में अंषदान करती हैं, जो वित्तीय वर्ष 2015–16 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक सामूहिक उपदान पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर किया गया । वर्ष 2016–17 से भारतीय जीवन निगम को वास्तविक आधार पर भुगतान की जाती हैं ।
- (ङ) “कर्मचारियों को कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन” कंपनी के कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया गया ।
- (ङ) कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी से संबंधित देय संबंधित परिवार के आश्रित सदस्यों एवं उनके वेतनमान के अनुसार, बिना व्यतीत किए गए छुट्टी यात्रा रियायत लाभ के आधार पर वर्ष के अंत तक बिमाकिंक आधार पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है ।

14. सरकारी अनुदान तथा छूट:

अनुदान तथा छूट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त आश्वासन तथा दिए गए शर्तों के अनुपालन पर ही सरकार द्वारा अनुदान एवं छूट की स्वीकृति दी जाती है ।

जब अनुदान अथवा छूट, व्यय से संबंधित वस्तुएं पर होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति, संबंधित व्यय पर कटौती कर दर्शाया जाता है । यद्यपि अनुदान अथवा छूट सम्पत्ति से संबंधित होने पर इसका मूल्य सम्पत्ति लाने में हुए खर्च से घटाया जाता है ।

15. कर

कर में प्रचलित कर तथा आस्थगित कर शमिल है । प्रचलित कर वह राशि है जो आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित की जाती है । प्रचलित कर का निर्धारण अनुमानित कर योग्य आय पर कर की दर तथा विधि के आधार पर किया जाता है ।

कर योग्य राशि तथा प्रतिवेदित वर्ष के आय के अंतर को मूल्यांकन करते हुए आस्थगित कर का निर्धारण किया जाता है तथा उसके पश्चात् कर की दर तथा कर से संबंधित विधि प्रयोग करते हुए कर की गणना को तुलन पत्र पर दर्शाया जाता है ।

16. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय का खुलासा करने में कोई त्रुटि या चूक को चालू वर्ष में सुधारा/समायोजित किया गया तथा शुद्ध प्रभाव लाभ एवं हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है ।

17. आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति पर प्रावधान:

पूर्व वित्तीय परिणाम के फलस्वरूप वर्तमान में इन पर होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए संभावित खर्च का प्रावधान रखा गया है तथा इनसे संबंधित आंकलन भी किया जा सकता है । प्रत्येक तुलनपत्र तिथि में इन प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सही आंकलन का पता लगने के लिए इसे समायोजित किया गया है । यदि संभावित दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होने पर इस प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है । आकस्मिक देयता के लिए संभावित दायित्व अथवा वर्तमान में इन दायित्वों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकने का प्रावधान रखा गया है । वित्तीय विवरण में आकस्मिक परिसम्पत्तियों आंका नहीं गया है । परंतु आकस्मिक परिसम्पत्तियों को निरंतर निर्धारित किया जाता है तथा

अंतःप्रवाही सुनिश्चित होने पर इन सम्पत्तियों तथा संबंधित आय को परिवर्त्तन हुए कार्यकाल के दौरान दर्शाया जाता है।

18. लाभांश तथा उसके कर:

निदेशकों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लाभांश का प्रावधान लेखा में रखा जाता है, बर्षते कि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो। लाभांश वितरण कर अलग से दर्शाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

19. प्रति शेयर का अर्जन :

मुख्य रूप में प्रति शेयर की गणना, अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्यूटि शेयरों के शुद्ध-भार औसतन से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान मिश्रित अर्जित प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान शेयर धारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि शेयर धारकों की संख्या के आधार पर कर सभी मिश्रित इक्विटी शेयरों में समायोजित किया जाता है।

20. नकद प्रवाह विवरण:

नकद प्रवाह के प्रतिवेदन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें कर से पूर्व लाभांश का समायोजन बिना नकद प्रवाह प्रकृति के लेन-देन की साथ किया जाता है। कंपनी के नियमित रूप से राजस्व सूजन, वित्तीय तथा निवेश से संबंधित कार्यकलापों को अलग-अलग किया जाता है। तुलन पत्र पर नकद तथा नकद तुल्य राशि बैंक में नकद/चेक तथा अल्पावधि निवेश सहित 12 माह व उससे कम मूल्य के मूल परिपक्वता भी शमिल है।

21. ए.एस.17 के अनुसार खण्डीय रिपोर्टिंग नीति:

(i) खण्ड की पहचान:

मूलभूत खण्ड

व्यवसायिक खण्ड

कंपनी का व्यवसाय उनके उत्पादों के प्रकृति के अनुसार सुव्यवस्थित एवं प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक खण्ड अपने अपने उत्पादों के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है।

द्वितीय खण्ड

भौगोलिक खण्ड

कंपनी के लिए भौगोलिक खण्ड उपयुक्त नहीं हैं

(ii) सामान्य लागत का आबंटन

सामान्य बांटने योग्य लागत को प्रत्येक प्रभाग के तुलनात्मक अंषदान के अनुसार कुल लागत को आंबटित किया जाता है।

(iii) बिना आबंटित मद्दें:

निगमित तथा अन्य व्यवसायिक खण्ड में सामान्य निगमित आय तथा व्यय संबंधित सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिसे किसी अन्य व्यवसायिक खण्ड में आंबटित नहीं किया गया हो।

22. पूर्ण करना: पिछले वर्ष की गणना:

पिछले वर्ष की गणना को आष्यकतानुसार पुनःवर्गीकृत एवं पुनःसुव्यवस्थित किया गया है जिससे कि चालू वित्तीय वर्ष में उससे तुलना कर सके।

23. पूर्ण करना:

वित्तीय विवरण में दिए रूपयों के अंकों को पूरा कर नजदीकी ₹ 1/- में बदल दिया है। जहाँ पर आवश्यक हुआ मात्रात्मक अंकों को नजदीकी इकाई में परिणत कर लिया गया।

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट संख्या: 2 <u>प्राधिकृत</u> 100 के 50,00,000 इक्विटी शेयर कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि ₹100 का ₹10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006) जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया	5,000.00	5,000.00
	1,097.01	1,097.01
	1,097.01	1,097.01
कुल नोट सं. 2(क) इक्विटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरुआत एवं समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया वर्ष के प्रारंभ में शेष वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर वर्ष के अंत में शेष	1,097.01	1,097.01
	-	-
	-	-
	1,097.01	1,097.01
नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण		
क्र. सं	शेयरधारक का नाम	शेयर का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	85
2	उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।	15
		933,348
		163,658
नोट संख्या: 3 <u>सामान्य आरक्षण</u>	आरक्षण तथा अधिशेष	
वर्ष के प्रारंभ में		25,589.10
कम: प्रस्तावित लाभांश में स्थानांतरण		999.93
जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण		4,350.69
वर्ष / अवधि के अंत में		28,939.86
ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष		22,257.50
वर्ष के प्रारंभ में		0.02
जोड़े: वर्ष / अवधि के लिए लाभ		4,350.69
घटाए: विनियोग		3,331.60
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण		4,350.69
वर्ष / अवधि के अंत में		0.02
		28,939.88
		25,589.10

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2025
नोट संख्या – 4 <u>क्रेडिट गांरंटी कोष</u> प्रारंभिक शेष जोड़े: पिछले लेखा के अनुसार सृजित आय जोड़ वर्ष के दौरान जोड़ कुल निधि घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से	28.64 - 2.42 31.06 - 31.06	
<u>सहायता अनुदान</u> <u>जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति</u> घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	4(च) 150.39 - 150.39	28.64 150.39 150.39
कुल	181.45	179.03

नोट 4 (क): क्रेडिट गांरंटी निधि: पिछले वर्षों में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपाद्धिक सुरक्षा के बदले में गांरंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रेनित शेष ₹ 28.64 लाख थी। उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई। इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गांरंटी दिनांक 31.03.2025 तक ₹ 31.06 लाख है।

नोट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित शेष (₹ 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 190.00 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2025 तक ₹ 175.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹150.39
नोट संख्या:5	दीर्घअवधि प्रावधान		
छुट्टी भुनाने का प्रावधान		1,141.24	1,154.89
उपदान का प्रावधान		67.16	75.26
छुट्टी यात्रा रियायत /ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान		15.27	31.18
मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान		0.01	0.01
नोट संख्या 6	व्यापार देय	कुल	1,223.68
व्यापार देय			-
1) सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)		216.44	236.23
2) अन्य व्यापार देय		2,776.34	2,165.91
		2,992.78	2,402.14

नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय ₹ 216.44 लाख थी। (पिछले वर्ष ₹ 236.23)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	1-2 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	216.44				216.44
(ii) अन्य	2,744.33	1.78	11.96	18.27	2,776.34
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2960.77	1.78	11.96	18.27	2,992.78

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1-2 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	236.23				236.23
(ii) अन्य	2041.60	92.74	25.01	6.55	2,165.91
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2277.83	92.74	25.01	6.55	240.14

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
<u>नोट संख्या 7 अन्य चूल देयता</u> अग्रिम के रूप में प्राप्त आय अन्य देय जमा देय अन्य उपभोक्ताओं से अग्रिम	21.35	21.35 13.43
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क	48.95	
व्यय के लिए बकाया देय	56.26	
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि / प्रतिभूति	68.54	
जमा अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेयरों पर प्रतिक्रय	5.39	
ब्याज कर देय	73.97	
सुक्ष्म ऋण योजना	0.04	
अन्य	34.62	287.77 10.00
मत्स्य निदेशक को जमा देय	7(क)	305.90 10.00
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम		1,836.75
कुल		2,169.30
		1,815.04

नोट 7(क): कंपनी ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से ₹ 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम के चालू खाते में रखा गया है।

नोट – 8		अल्पावधि प्रावधान		
कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए प्रावधान सीएसआर		266.79	141.58	
व्यय के लिए प्रावधान		42.36	-	
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान		46.28	42.41	
एल टी सी / ए एफ सी पी का प्रावधान	8 (क)	15.34	15.81	
<u>अन्य</u>				
कर के लिए प्रावधान				
– निर्धारण वर्ष 2017–18		1477.61		
– निर्धारण वर्ष 2021–22		741.75		
– निर्धारण वर्ष 2022–23		884.06		
– निर्धारण वर्ष 2023–24		1,117.95		
– निर्धारण वर्ष 2024–25		1,195.03		
– निर्धारण वर्ष 2025–26		1,442.34		
		6,858.74	13,661.32	
	कुल	7,229.51	13,861.12	

नोट 8(क): भारतीय चार्डट अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत / वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिंक मूल्यांकन किया गया ।

नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : ₹ 131.16 लाख ।

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	ग्राहक ब्लॉक			दिनांक 01.04.2024 तक मूल लागत			दिनांक 31.03.2025 तक समायोजन			मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक	
		दिनांक 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान समाप्तित	वर्ष के दौरान समायोजन	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 01.04.24 समिति मूल्यहास	प्रदान किया गया	समायोजित व स्थानांतरित	दिनांक 31.03.2025	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 31.03.2024	शुद्ध ब्लॉक			
क	वास्तविक परिसंपत्ति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	पुनि	59.48	-	59.48	-	-	-	-	59.48	-	59.48	59.48			
2	मवन	2,494.90	24.81	2,519.71	793.57	82.21	875.78	1,643.93	-	-	1,701.32				
3	कछात, कमोटा, तथा तेसा में पी.ओ.एल.टैक	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	संयंत्र और मशीनरी	701.81	-	701.81	480.17	33.54	513.71	188.10	188.10	221.64					
5	फर्मिचर तथा फिल्चर	239.82	4.80	244.62	197.57	8.27	205.84	38.78	38.78	42.23					
6	वाहन	1024.16	134.48	0.74	1,157.91	776.03	54.87	830.89	327.01	327.01	248.13				
7	कायालय समग्री	23.16	0.44	-	23.60	17.05	1.06	18.11	5.49	5.49	6.11				
8	विद्युतिकरण संस्थान तथा उपकरण	140.58	6.29	-	146.87	106.18	5.90	112.08	34.78	34.78	34.40				
9	कम्प्युटर	201.37	26.47	1.80	226.03	176.93	13.38	190.31	35.73	35.73	24.46				
10	क्रोंकरी	19.92	-	-	19.92	19.92	-	19.92	-	-	-				
11	लेनिन	21.25	-	21.25	21.25	21.25	-	21.25	0.00	0.00	-				
	कुल वास्तविक परिसंपत्तिया	4,926.45	197.29	2.54	5,121.20	2,583.67	199.23	-	2,787.89	2,333.30	2,337.77				
ख	अस्पष्ट परिसंपत्तियाँ														
	सापेक्षरक्ष	43.15	4.09	-	47.25	39.49	3.24	-	42.73	4.52	3.66				
	पूर्जीगत कार्रा प्रगति पर	74.35	-	74.35	-	-	-	-	-	-	74.35				
ग	कुल परिसंपत्ति (कोड्डग)	5,043.95	201.38	76.89	5,168.45	2,623.16	202.47	-	2,830.63	2,337.82	2415.79				
	प्रियंका राज	1,661.25	281.07	1.15	5,043.95	2,750.77	162.29	2,628.16	2,715.78	2,628.16	2,601.62				

रसमानातांत्रिका का उत्तर का नहीं। पारस्पर्य लिखकन
4.2014 प्रारंभ हुआ है। अतः पूर्ण परिस्थितियों को समाप्त मूल्य रु.1 में
दर्शायें। उक्त संपत्ति पर कोई मूल्यवास नहीं लगाया गया है।
पूर्ण का वितरण नोट 17(५) पर दर्शाया गया है।

नोट (V): नाना का पास 20,00,008 रुपये हैं जिसमें से 2/9 हजार रुपये का नल्ल दरावा नहीं है।
नोट (VI): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से पट्टट के आधार पर कुछ परिस्थितियों निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्राप्त की गई।

क) हानिविल नेट : भास्तिक पट्ट का किराया ₹. 0.20 लाख सहित कर प्रत्ययत 20 प्रतिशत लाभशा | पट्टा दिनांक 07.09.2029 तक प्रभावी रहेगा | एक जात की विक्री प्रत्यक्षरणा, कर के बाद दाम का अंवर्दन 20 प्रतिशत | यह पट्टा दिनांक 31.05.2031 तक प्रभावी रहेगा |

पर्टटा दिनांक 12.10.2024 तक प्रभागी रहेगा। पर्टटा दिनांक 30 वर्षात्मक प्रभागी रहेगा।

卷之三

(₹ लाख में)

	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश		
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति ₹.10 का 9,67,000 शेयर है	69.65	-
(रु.10 का 33,000 इकिवटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित है) घटाएः अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर हानि का प्रावधान	69.65	-
(2) लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में ₹. 10 का 4,00,000 इकिवटी शेयर है जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया । 400000 इकवटी शेयर पूर्ण लागत पर भुगतान घटाएः लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान	40.00	-
(3) वेबकॉन कन्सलटिंग (इंडिया) लिमिटेड में ₹.10 की प्रति शेयर सहित प्रति ₹.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इकिवटी शेयर	6.00	-
घटाएँ: वेबकॉन कंसलिटंग इंडिया लिमिटेड पर हानि के लिए प्रावधान	6.00	6.00
कुल		6.00

नोट 10 (i): इस कंपनी के पास अण्डमान मत्स्य लिमिटेड, श्री विजय पुरम में प्रति ₹10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इकिवटी शेयर है। जिसमें से ₹10/- 33,000 इकिवटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इकिवटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कंल राशि ₹5.39 लाख है। (सकल राशि ₹ 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अंतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखा गया है।

नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इकिवटी शेयर में प्रति ₹10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इकिवटी शेयर खरीद कर ₹ 40 लाख निवेश किया है। परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

नोट 10(iii): कंपनी ने 2012 के दौरान ₹10/- रुपये प्रति शेयर के 30,000 पूर्ण भुगतान वाले इकिवटी शेयरों की सदस्यता लेकर वेबकॉन कंसलिटिंग (इंडिया) लिमिटेड के इकिवटी शेयरों में 6 लाख रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयरों पर विस्तृत जानकारी की कमी, किसी भी लाभांश की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति और इस तथ्य के कारण कि निवेश गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में हैं, जिनका कोई बाजार मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, प्रबंधन ने निवेश पर संभावित नुकसान के लिए प्रावधान बनाने का निर्णय लिया है।

नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
<u>सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
कर्मचारियों को कम्प्युटर अग्रिम	1.78	1.37
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	-	0.58
<u>असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>	30.56	24.24
प्रतिभूति जमा		
<u>असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया</u>		
कर्मचारियों के अग्रिम	1.31	
घटाएः प्रावधान	1.31	-
जमा प्राप्त (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया)	5.88	
घटाएः प्रावधान	5.88	-
कुल	32.34	26.19
नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		
क. आस्थगित कर ऋण		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	9.51	11.42
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	516.99	527.57
कुल	526.50	538.99
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	179.94	163.17
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	55.55	26.32
कुल	235.49	189.49
शुद्ध आस्थगित कर ऋण (परिसम्पत्तियां)	291.01	349.50
आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।		

		वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में
		31.03.2025	31.03.2024
नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)			
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	13.39		
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	-		
घटाएः उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	3.63	9.76	14.62
ख) संबंधित पार्टी को ऋण			
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00		
घटाएः प्रावधान किया गया	132.00	-	-
कुल		9.76	14.62

नोट: 13 (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना' के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रेनित सकल प्रारंभिक शेष ₹151.39 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल राशि शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य थी)। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹6.97 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹14.33 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹0.00373 (पिछले वर्ष 0.03406 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए 1.06 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष 1.45 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया।

नोट: 13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को रु. 132 लाख आवधिक ऋण की मंजुरी दी थी जिसे लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधित ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर ₹8.45 करोड़ की गई (पिछले वर्ष 7.25 करोड़)।

नोट संख्या 14: सम्पत्ति सूची			
<u>कच्चा सामग्री</u>			
कच्चे दूध	96.33		
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	70.15	166.48	113.93
<u>आंतिम सामग्री</u>			
निर्मित दूध	31.72		
पनीर	0.07		
दही	0.14		
गाय दूध	3.50	35.43	27.11
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>			
पेट्रोलियम उत्पाद	506.90		
जोड़े: पारगमन भण्डार	69.41		
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	6,022.21		
जोड़े: पारगमन भण्डार	594.20		
<u>भण्डार तथा कलपुर्जे – दुग्ध संयंत्र</u>			
कुल	7,449.75	5,202.01	

नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।

नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)			
क. विचारयुक्त सामग्री			
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	939.56		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह से कम संदेहास्पद	584.39	1,294.52	1,315.40
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	229.43		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह से कम	-		
घटाएः अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	229.43	-	-
कुल	1,294.52	1,315.40	

भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / जंगलीघाट)	1.05	1.98
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / मोहनपुरा)	0.97	2.10
भारतीय स्टेट बैंक, (हैंडो)	1.03	3.14
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	0.96	1.95
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	1.00	14.29
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	22.05	19.74
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / सेल्फ सर्विस यूनिट)	1.02	4.85
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	32.83	34.36
ऐक्सेस बैंक	79.34	209.62
	766.12	1265.10
<u>गैर-अनुसूचित बैंकों पर खाता शेष</u>		
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	7.81	16.44
	37.81	16.44
<u>हाथ में चेक</u>		
<u>हाथ में नकद</u>		
प्रधान कार्यालय में	0.25	0.48
हाथ में डाक टिकट	-	-
दुकान में नकद	145.54	80.05
	145.79	80.53
	919.72	1362.07
ख. अन्य बैंकों में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	2,800.00	-
केनरा बैंक	1700.09	6900.00
इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम	150.43	19.38
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3,300.00	-
बैंक आफ बरोदा	5,000.00	5000.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	-	1,300.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री विजय पुरम	4,790.91	2,937.65
आई सी आई सी आई बैंक	150.00	89.24
एचडीएफसी बैंक	2,002.11	1,505.00
एक्सेस बैंक	994.00	742.00
जोड़: उन पर व्याज अर्जित	436.57	451.80
	21,824.11	18,945.07
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	22,743.83	20,307.14
नोट 16 (क) : इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा ₹ 31.06 लाख शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 28.63 लाख)		
नोट 17: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	0.58	0.30
कर्मचारियों का कम्प्युटर अग्रिम	0.80	2.50
सिविल कार्य के लिए अग्रिम	30.65	136.78
भारतीय तेल निगम से प्राप्य दावा	106.48	37.59
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम	4.81	4.38
नीति आयोग परियोजना	232.45	267.08
भारतीय तेल निगम (कैपीटल फैक्टरिंग)	21.89	21.89
प्रीपेड खर्च	1.50	0.00
आई जी एस टी	0.00	1.13
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी	1.38	14.44
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)		

(₹ लाख में)

		वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
–निर्धारण वर्ष 2017–18	1,520.79		
–निर्धारण वर्ष 2021–22	747.04		
–निर्धारण वर्ष 2022–23	983.78		
–निर्धारण वर्ष 2023–24	1,295.26		
–निर्धारण वर्ष 2024–25	1,435.96		
–निर्धारण वर्ष 2025–26	1,629.52		
		7,612.35	14,695.01
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान			
जोड़: वर्ष के दौरान	0.00	0.00	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम (नोट 17 क)		1,327.48	703.61
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		302.26	469.04
अन्य अग्रिम (नोट 17 ख)		23.84	25.49
<u>सुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</u>			
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया ।।</u>			
कदी की कमी की भरपाई की जाएगी	10.18		
घटाए: प्रावधान	10.18	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	4.34		
घटाए: अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	4.34	0.00	0.00
सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम	4.19		
घटाए: प्रावधान	4.19	0.00	0.00
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम	5.19		
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	5.19	0.00	0.00
पटटे पर प्राप्य योग्य किराया (नोट 17 डी)	107.99	0.00	0.00
घटाए: पटटे के किराए के लिए प्रावधान	107.99	0.00	0.00
जमा भविष्य निधि (नोट 17 ई)	43.90		
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	43.90	0.00	0.00
संबंधित पार्टी का ऋण तथा अग्रिम ग			
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण	33.00		
जोड़: वर्ष 2002–03 तक ब्याज देय	8.23		
घटाए: प्रावधान	41.23	0.00	0.00
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य	15.74		
घटाए: प्रावधान	15.74	0.00	0.00
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण	165.00		
घटाए: वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	0.00		
घटाए: प्रावधान	165.00	0.00	0.00
कुल		9,666.48	16,463.22

नोट 17 (क): नोट 9(ii) देखें

नोट 17(ख): निगम ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका के एक भाग के रूप में, निगम ने संबंधित विभागों की ओर से महत्वपूर्ण व्यय किया है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के समग्र विकास के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर उद्योग निवेशालय के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में व्यय का अग्रिम के तहत दिखाया गया है। एक बार फंड जारी होने या एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संबंधित विभागों द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने की उम्मीद है। फंड जारी होने और एमओयू पर हस्ताक्षर लंबित होने के कारण, इन व्ययों को वित्तीय विवरणों में अग्रिम के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

नोट 17(ग): वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आईएएफएल दुकान रंगत के विरुद्ध 56.88 लाख रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसमें से 31 मार्च 2025 तक 33.07 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है।

नोट 17(घ): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पटटे पर दिया गया। हैवलॉक रिथ्ट भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 90 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ' 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पटटे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अण्डमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पटटे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

नोट 17(ड): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, श्री विजय पुरम ने वर्ष 2001–2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, श्री विजय पुरम में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुनःनिर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, श्री विजय पुरम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005–2009 की अवधि तक के लिए ₹ 22.60 संलग्न की तथा उपायुक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।

नोट 17 (छ): कंपनी के शात प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान व्याजमुक्त असुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रेनित शेष रु. 165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शात प्रतिशत प्रावधान भी है।

	(₹ लाख में)	वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में
		31.03.2025	31.03.2024
नोट 18: अन्य चालू परिस्थितियां आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)		8.10	110.92
कुल		8.10	110.92

नोट 19: संचालन से राजस्व

विवरण	सकल बिक्री			
	वर्ष के अंत में	%	वर्ष के अंत में	%
	31.03.2025		31.03.2024	
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,122.15		1,134.22	
दही	66.90		69.04	
अन्य दुग्ध उत्पादों	284.70		230.03	
	1,473.75	3	1,433.29	3
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	29,105.15		28,034.54	
पी.ओ.एल	19,043.71		17,451.89	
	48,148.86	93	45,486.43	93
उप कुल (क)	49,622.61		46,919.72	
सेवा (ख)				
पर्यटन	1,612.08		1,582.05	
अन्य				
आवधिक ऋण पर व्याज	1.04		2.24	
पट्टे पर दिए गए भूमि का किराया	399.65		388.06	
बर्फ संयंत्र/शीत भण्डार	21.64		22.04	
किराया प्रभार/ कार किराया	95.38		56.55	
अन्य आय	20.09		37.58	
उप कुल (ख)	2,149.88	4	2,088.52	4
सकल कुल घ (क+ख)	51,772.49	100	49,008.24	100

नोट (क) व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीम के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मदों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।

नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ लॉक के विक्रय भी सम्मिलित हैं।

		वर्ष के अंत में 31.03.2025 (₹)	वर्ष के अंत में 31.03.2024 (₹)
नोट 20: अन्य आय			
<i>i) पद्धति व्याज से आयरु</i>			
सावधि जमा पर व्याज		1,328.95	1,164.35
पूँजी निवेष पर व्याज		-	4.56
कर्मचारियों को दिए गए त्रैण पर व्याज		0.20	0.33
धारा 244ए के तहत आयकर वापसी पर व्याज		224.42	
<i>iii) अन्य</i>			
परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ			4.95
कमी/अन्य वसूली			
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पीओएल	162.12		
नकदी क्षति	2.50		
परिवहन प्रभार	19.29		
कर्मचारियों के खान-पान पर खर्च	10.24	194.15	200.86
रद्द किया गया प्रभार		0.96	1.42
कुल	1,748.68		1,376.47
नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत			
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर		1,011.19	1,044.07
खान-पान प्रभाग के लिए प्रावधान		2.76	186.14
कुल	1,013.95		1,230.21
नोट 22: स्टॉक की खरीद			
आई एम एफ एल		6,248.45	4,449.56
जोड़े सामग्रियों की पारगमन लागत		594.20	633.63
पेट्रोलियम उत्पाद		18,143.94	16,550.76
जोड़े: सामग्रियों की पारगमन लागत		69.41	124.53
परिवहन भाड़ा		1,502.13	1,325.87
लाइसेंस शुल्क		354.32	329.02
आयात अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क		16,338.25	12,807.46
कुल	43,250.70		36,220.83
नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक			
सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)			
निर्मित सामग्री	35.43		
स्टॉक इन ट्रेड	7,192.70	7,228.13	5,038.37
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)			
निर्मित सामग्री	27.11		
स्टॉक इन ट्रेड	5,011.26	5,038.37	8,241.04
कुल	(2,189.76)		3,202.67
नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय			
वेतन		1,991.15	1,764.58
भविष्य निधि, पैशन कोष तथा छुट्टी के वेतन		175.72	180.91
उपदान	24(क)	35.13	152.68
बोनस		220.71	104.57
प्रशिक्षण पर व्यय		0.80	0.98
कर्मचारियों के कल्याण पर		1.37	0.68
कर्मचारियों के आवास पर किराया		3.60	3.45
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	24(ख)	20.12	3.18
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	24(ग)	25.95	375.75
कुल		2,473.83	2,568.78

	वर्ष के अंत में 31.03.2025 (₹)	वर्ष के अंत में 31.03.2024 (₹)	(₹ लाख में)
नोट 24(क): उपदान बीमाकिंक धारणा विवरण मोर्टालिटी दर निकासी दर छूट की दर वेतन वृद्धि नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियात देयता (ए.एस.15 के अनुसार) छुट्टी यात्रा रियायत देयता कर्मचारियों की संख्या बीमाकिंक धारणा छूट की दर मुद्रास्फीर्ति की दर मोर्टालिटी बीमाकिंक देयता	2024-25 LIC (2006-08) अंतिम 1% to 3% आयु पर निर्भर 7.25% प्रतिवर्ष 6.25%	2023-24 LIC (2006-08) अंतिम 1% to 3% आयु पर निर्भर 7.25% प्रतिवर्ष 6.25%	
	220	235	
	6.5% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष.	
	6.00% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष	
	IALM(2006-08) अंतिम	IALM(2006-08) टंतिम	
	₹ 30.61 लाख	₹ 46.99 लाख	
नोट 24(ग): छुट्टी नकदीकरण छुट्टी नकदीकरण दायित्व विवरण कर्मचारियों की संख्या कुल मासिक वेतन कुल नकदी योग्य छुट्टी सामान्य सेवानिवृत्त आयु	2024-25 219 ₹127.62 लाख 44787.25 60वर्ष	2023-24 236 ₹123.48 लाख 48854.5 60वर्ष	
बीमाकिंक धारणा छूट की दर वेतन मे वृद्धि का दर निकासी दर मोर्टालिटी	6.5% प्रतिवर्ष 10.00% प्रतिवर्ष 2.00% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष 10.00% प्रतिवर्ष 2.00% प्रतिवर्ष	
अवकाश का बिमाकिंक छूट मूल्य	IALM2006-08 अंतिम	IALM2006-08 अंतिम	
	₹ 1187.52 लाख	₹ 1,197.30 लाख	
कंपनी द्वारा बीमाकिंक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है । वर्ष की पुरुआत में संचित प्रावधान ₹.1197.30 लाख थी । उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 35.73 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 26.72 लाख) । वर्ष के दौरान प्रावधान 25.95 लाख की है । मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 1187.52 लाख आंका गया ।			
नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय नोट 25(क): संचालन, बिक्री तथा वितरण पर खर्च भण्डार एवं कलपूर्जी का उपभोग ऊर्जा एवं इधन विद्युत इधन प्रभार किराया कार्यालय का किराया किराया मरम्मत एवं रख-रखाव — कम्प्युटर की मरम्मत एवं रखरखाव — वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव — भवन की मरम्मत एवं रखरखाव — फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	336.05 160.05 127.45 1.72 312.77 26.37 9.13 215.10 0.90	355.82 141.42 160.37 1.07 283.91 16.38 9.68 55.16 2.94	

(₹ लाख में)

	वर्ष क अंत में 31.03.2025 (₹)	वर्ष क अंत में 31.03.2024 (₹)
– मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	56.64	57.09
सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय	4.04	1.99
बीमा	34.92	24.21
पट्टे के किराए पर ब्याज और जुर्माना	195.42	-
संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	0.64	-
दर एवं कर	64.79	73.06
जल प्रभार	25.99	21.45
भण्डार दुलाई पर व्यय	8.36	13.07
कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट	62.95	58.29
स्वच्छता	28.67	23.67
बागवानी पर व्यय	-	0.24
घाट पर व्यय	0.11	0.05
पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च	50.14	39.68
क्रॉकरी प्रभार	0.42	0.13
वर्दी एवं पोशक	2.59	5.06
ओउट सोर्सिंग जनशक्ति	632.26	552.11
व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार	3.04	40.55
बैंक प्रभार	33.76	36.27
पहरा व निगरानी	103.13	90.05
निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च	81.39	70.17
हिन्दी सप्ताह पर खर्च	0.32	-
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क	0.18	0.25
विविध	0.76	0.65
जीएसटी क्रेडिट	314.29	248.61
जलपान पर व्यय	10.35	15.77
कुल	2,904.70	2,399.17
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च		
निदेशकों के बैठक से संबंधित शुल्क	1.80	1.64
छपाई व लेखन सामग्रियां	25.54	31.11
डाक व टेलीग्राम	1.19	1.06
टेलीफोन / टैलेक्स / फेक्स	25.22	27.62
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	3.61	2.71
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय	8.68	25.27
व्यवसायिक प्रभार	35.93	29.58
यात्रा पर व्यय	16.04	22.62
नोट 25(ग): अन्य व्यय	118.01	141.61
प्रावधान		
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	-	2.29
निवों के हानि के लिए प्रावधान	-	6.00
	-	8.29
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)		
– वैद्यानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.00	
– कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50	
– अन्य सेवाएं	0.30	
– आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय		
ग का कुल	3.99	12.05
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग)	3,026.70	2,552.84

	वर्ष के अंत में 31.03.2025 (₹)	वर्ष के अंत में 31.03.2024 (₹)
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि	4,350.69	3,331.60
इक्विटी शेयरों की औसतन संख्या	10.97	10.97
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	396.60	303.70
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	100	100

नोट: 27 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी व्यय

(क) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	81.39	69.39
व्यय की गई राशि	39.03	70.17
वर्ष के अंत में अतिरिक्त राशि	(42.36)	0.78
सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	0	0
पिछले वर्ष सहित वर्ष के अंत में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	(42.36)	0.78
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
उपगत देयता के संबंध में किया गया प्रावधान	42.36	0

(ख) प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	42.36	0
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	0	0
समापन शेष	42.36	0

(ग) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
स्वास्थ्य संवर्धन	30.00	52.00
शिक्षा का संवर्धन	4.53	15.00
पर्यावरण स्थिरता	-	3.17
आजीविका संवर्धन परियोजना	4.50	-
कुल	39.03	70.17

नोट: 28 पूंजीगत कार्य प्रगति

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(₹ लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(₹ लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	.	14.68	.	59.67	74.35

नोट 29 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेष तिथि	दाव की गई राशि (₹)	अपील संख्या/तिथि	सहमत राशि (₹)	आकस्मिक देयता (₹)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2009-10 तथा 2019-20	टी डी एस/टी सी एस रिटर्न	₹ 40,44,690/-	टी डी एस/टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	शून्य	₹ 40,44,690/-	टी सी (आई टी) फेसलेस
2017-18	31/03/2023	2,25,80,279/-	आईटीबीए/एएसटी/एस/216/2022-23/1051825817 (1)	शून्य	₹ 2,25,80,279/-	केन्द्र आयकर (ए) कोलकाता
				कुल	₹ 2,66,24,969/-	

ख) दिनांक 31.03.2025 तक न्यायालय में लंबित मामले का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय) (₹)
धन वाद संख्या 66/2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	₹ 9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	₹ 22,60,043/-
2284/2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	₹ 5,47,46,091/-
आईडी केस संख्या 3	श्रम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम जी पी मणि एवं अन्य	आकलन नहीं किया गया
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय, श्री विजय पुरम	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	₹ 51,33,379/-

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अंडमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादनों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कंपनी को सहायता के रूप में ₹ 3,30,000/- की राशि प्रति 'शेयर ₹10 की दर से 33,000 इक्विटी शेयर इन 'शर्टों पर निवेश किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेश किए गए सभी शेयरों को वापस ले लेगा। इस दिष्टा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने शेयर वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था। उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिष्ठत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है। मैसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹ 3,30,000 का उक्त षेयर वापस किया और अंडमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेश के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को दर्शया गया है। कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹ 5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है।

नोट 29 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके की अनुमानित राशि : ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष शून्य) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹ शून्य थी। (पिछले वर्ष: ₹ 74.35लाख) थी।

नोट 29 (iii) कंपनी द्वारा जारी गारंटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ₹11.47 लाख की क्रेडिट गारंटी दी है जो क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा सुरक्षित है।

नोट 29 (iv) लाभांशः

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 5/2/2016 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, निगम पीएटी का 30% या निवल संपत्ति का 5% जो भी अधिक हो, न्यूनतम लाभांश घोषित करता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रस्तावित लाभांश 15.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.00 करोड़ रुपये) है, जो वार्षिक आम बैठक के अनुमोदन के अधीन है।

नोट 29 (v) अग्रिम करः

वित्तीय विवरण में ' 6,858.74 लाख का असमायोजित "आयकर प्रावधान" दर्शाया गया है, जिसे "अल्पकालिक प्रावधान" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जबकि ' 7,612.35 लाख का "आयकर का अग्रिम भुगतान" दर्ज किया गया है। इसे "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" के अंतर्गत दर्ज किया गया है। निर्धारण वर्ष 2017–18 को छोड़कर, जो वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) (फेसलेस) के समक्ष अपील के अधीन है, निर्धारण वर्ष 2020–21 तक के सभी निर्धारण वर्षों के लिए आकलन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत अंतिम रूप दे दिए गए हैं। निगम ने इन राशियों को "अग्रिम आयकर" के विरुद्ध समायोजित कर दिया है।

नोट 29 (vi) सहायक कंपनीः

दिनांक 19.08.2004 से अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2025 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है।

पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹ 132 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के 'संबंधित पार्टी' के ऋण शीर्ष पर दर्शाया गया है। उक्त राशि सहित वर्ष 2002–03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अषोध्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है। तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजुरी 'शून्य' थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया शेष ₹ 1,65 लाख थी (पिछले वर्ष ₹ 165 लाख)। कंपनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ₹ 33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002–03 तक संचित ब्याज ₹ 8.23 लाख थी। असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान षत् प्रतिष्ठत रखा गया।

नोट 29 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवधक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग)ः

क. 'षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ₹ 1,42,92,360/- पिछले वर्ष ₹ 1,47,82,251/-
a. ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम	: ₹ 1,45,56,258/- (पिछले वर्ष ₹ 1,51,39,485/-)
ग. 'षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिष्ठत	: 98.90% (पिछले वर्ष 97.64%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राशि	
i. उपमानक	: ₹ 2,67,189/- (पिछले वर्ष ₹ 4,58,525/-)
ii. संदेहपूर्णः	: ₹ 8,25,171/- (पिछले वर्ष ₹ 11,23,726 -)
iii. परिसंपत्तियों की हानि	: ₹ 1,32,00,000/- पिछले वर्ष ₹ 1,32,00,000)

ड. वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राशि का प्रावधान : ₹ 1,68,62,766/- (पिछले वर्ष ₹ 1,69,69,387/-)

नोट 29 (viii): लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिकःलेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित षमिल हैः

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा शुल्कः	₹ 2,30,000/- (पिछले वर्ष ₹ 2,30,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामलें: लेखा परीक्षा कर शुल्कः	₹ 50,000/- (पिछले वर्ष ₹ 50,000/-)
(ग) कंपनी संबंधित विधि मामले:	₹ शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएँ	₹ शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)
(ङ) लेखा परीक्षक षुल्क	₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
(च) अन्य सेवाएँ	₹ शून्य पिछले वर्ष: शून्य)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
कुल	₹ 2,80,000/- (पिछले वर्ष ₹ 2,80,000/-)

नोट 29 (ix): प्रबंधकीय पारिश्रमिकः

क. प्रबंध निदेषक, पूर्ण-कालिक निदेषकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक(बैठक शुल्क)	: ₹ 49,737
ख. अन्य निदेषकों को पारिश्रमिक (बैठक शुल्क)	: ₹ 1,29,896
ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेषक के परिवहन पर किए गए व्यय ₹.शून्य/- (पिछले वर्ष ₹.शून्य/-)निगम के प्रबंध निदेषक को पारिश्रमिक का भुगतान शून्य/- थी। (पिछले वर्ष: शून्य/-)	

नोट 29 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:

- i) सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड
- ii) साथी सहायक: 'षून्य
- iii) सहयोगी: 'षून्य

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंपनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है। इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है।

ख. दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इविटी अंप्लान	शून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	शून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	शून्य
राजस्व आय	शून्य
राजस्व व्यय	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य
प्रदान की गई गारंटी	शून्य
पारिश्रमिक	शून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2024-25	2023-24
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (षुद्ध)	शून्य	शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गांरटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेष/स्थूल फंड/ बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटाये गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटाये गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी 'बेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्मान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक 'क')

नोट 29 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 29 (xii): खण्डीय रिपोर्टिंग

विभागवार खंडवार रिपोर्ट अनुलग्नक—बी में दी गई है। :

मार्च 2024	चिन्नाम
40	38.37%
79	-29.32%
04%	30.59%
54	32.94%
10	-7.44%
32	16.33%
07	-7.68%
06%	22.42%
64%	14.90%
51%	36.32%

नोट 31 एमएसएमई रिपोर्टिंग:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नीचे दी गई है:

विवरण	चालू वर्ष ₹ (लाख में)	पिछले वर्ष ₹ (लाख में)
(क) वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और उस पर देय ब्याजः – सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि – देय ब्याज	216.44	236.32
(ख) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
(ग) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि।		
(ड) आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	शून्य	शून्य
कंपनी निविदा के समय सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त करके एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्टर की पहचान करती है। सूचना केवल प्राप्त जानकारी की सीमा तक ही एकत्रित की गई है।		

नोट 32 पुनर्संमूहनः

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ों के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्संमूहीकृत तथ्युनर्वर्गीकृत किया गया है।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
(सरकारी उपक्रम)

कंपनी अधिनियम, 2013 की खण्ड 129 के उप खण्ड (3) में दर्शाए गए प्रावधान (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 में सहायक कंपनियों के संबंध में दिए गए निर्धारित फार्म ए ओ सी-1) का अनुसरण करते हुए विवरण

भाग "क": सहयोगी कंपनियां

1. क्रम सं.	:	1
2. सहायक कंपनी का नाम	:	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड
3. सहायक कंपनी के प्रतिवेदन अवधि यदि		
		नियंत्रक कंपनी के प्रतिवेदन तिथि से अलग होने पर : प्रतिवेदन अवधि समान है ।
4. वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि में		उपर्युक्त नहीं
		समीक्षाधीन मुद्रा तथा विनिमय दर
		(यदि विदेशी सहायक होने पर)
5. षेयर पूँजी	:	₹ 1,00,00,000
6. आरक्षित एवं अधिषेष	:	(₹ 74,36,68,038.62)
7. कुल परिसम्पत्तियां	:	₹ 21,33,141.82
8. कुल देयता	:	₹ 73,58,02,617.44
9. निवेश	:	₹ शून्य
10. कुल बिक्री	:	₹ शून्य
11. कर से पहले लाभ	:	(₹ 9,84,11,909.00)
12. कर के लिए प्रावधान	:	₹ शून्य
13. कर के बाद लाभ	:	(₹ 9,84,11,909.00)
14. प्रस्तावित लाभांश	:	₹ शून्य
15. षेयरधारकों का प्रतिष्ठत	:	100%

-हस्त/-

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-

(कंपनी सचिव)

-हस्त/-

(निदेशक)

-हस्त/-

(प्रबंध निदेशक)

लेखा का शीर्ष	आई एम एफ एल	पी.ओ.एल	पर्यटन	दूध	ऋण एवं वित्त	परियोजनाए	निगमित कार्यालय	कुल
आय								
बिक्री	29,105.73	19,044.64	1,629.66	1,473.74	96.42	400.39	21.92	51,772.49
अन्य आय	172.15	10.64	11.21	-	-	0.36	1,554.32	1,748.68
कुल आय	29,277.88	19,055.28	1,640.87	1,473.74	96.42	400.75	1,576.24	53,521.17
ब्यय								
उपग्रह किए गए सामग्रियों की लागत	22,738.66	18,250.59	336.20	1026.96	0.01	0.07	0.10	42,352.58
सफल लाम	6,539.22	804.70	1,304.67	446.78	96.41	400.68	1,576.14	11,168.58
प्रशासनिक खर्च	138.71	214.67	575.18	124.60	5.59	345.47	296.25	1,700.47
प्रवालन, विक्रय तथा वितरण	433.81	75.71	266.24	166.81	0.53	4.86	99.93	1,047.90
कर्मचारियों को प्रांशिक	450.71	318.65	452.02	63.17	13.12	43.50	1,132.68	2,473.83
मूल्यहास	1.17	56.31	40.07	19.05	52.17	-	33.70	202.47
कुल ब्यय	23,763.06	18,915.93	1,669.71	1,400.60	71.42	393.89	1,562.65	47,777.26
निगमित खर्च से पहल लाम	5,514.82	139.35	(28.84)	73.14	25.00	6.86	-	5,730.32
पिछले वर्ष	4,657.34	125.66	(109.10)	2.56	11.80	290.02	-	4,978.29
घटाएः कांपोरेट अपोवरहेड	878.87	575.07	49.21	44.50	2.91	12.09	-	1,562.65
समायोजन से प्रश्नात लाम	4,635.95	(435.72)	(78.05)	28.64	22.09	(5.23)	-	4,167.68
पिछले वर्ष	3,657.37	(496.74)	(166.06)	(48.56)	9.70	276.18	-	3,231.89
जोड़ेः अचल जमा पर व्याज तथा अन्य आय								1,576.24
भट्टे से संबंधित, परिस्थितियों पर हानि से संबंधित समायोजन								0.64
कर से पहले लाम								5,743.28

-हस्ता/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्ता/-
(कंपनी सचिव)

-हस्ता/-
(निदेशक)

-हस्ता/-
(प्रबंध निदेशक)

मेसर्स बाबू और बदात सनदी लेखाकार

लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

समन्वित विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2025 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी') का संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याखात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, 2013 ('अधिनियम') आवश्यक तरीके से और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। भारत में, 31 मार्च 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, इविवटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह।

योग्य राय के लिए आधार

- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के नोट 14 और इन्वेंटरी के मूल्यांकन के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी ऐतिहासिक लागत या अनुमानित शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन करना जारी रखे हुए है।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार, पीईटी बोतलों (2 लीटर से कम पानी, पेय पदार्थ और अल्कोहल उत्पादों के लिए) के निर्माण, भंडारण, आयात, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियामक कार्रवाई के कारण कंपनी के पीईटी-पैकेज उत्पादों के एक बड़े हिस्से की स्थानीय बाजार में बिक्री नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त के बावजूद, और पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी दर्ज किए जाने के बावजूद, कंपनी ने चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में कोई इन्वेंटरी राइट-डाउन दर्ज नहीं किया है।

प्रबंधन रिकॉर्ड के अनुसार, 31.03.2024 तक ऐसी प्रभावित इन्वेंटरी का मूल्य '46.26 लाख है।

तदनुसार, समाप्त स्टॉक ' 46.26 लाख से अधिक बताया गया है, और परिणामस्वरूप, वर्ष का शुद्ध लाभ भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

- वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) से '106.48 लाख की राशि प्राप्त दावे के रूप में रिपोर्ट की गई है। हालाँकि, हमारे संज्ञान में लाया गया है कि आईओसी ने कंपनी द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने या अपर्याप्त होने का हवाला देते हुए इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। परिणामस्वरूप, इस राशि की वसूली को लेकर काफी अनिश्चितता है। प्राप्त राशि की प्रकृति, आधार और पुष्टि के संबंध में पर्याप्त विवरण और पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या राशि वास्तव में वसूली योग्य है या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त राशि और लाभ में '106.48 लाख की वृद्धि हो सकती है।

3 “जीएनआई – उद्योग अनिड्को के लिए समझौते”(संदर्भ: पी-255/4/2023-प्रबंधक-परियोजनाएं-जीएनआई अनिड्को एएन-भाग(2)) के अनुच्छेद 3.2(i) के अनुसार, कंपनी पूंजीगत व्यय को छोड़कर, 20: के प्रशासनिक शुल्क और लागू जीएसटी के साथ वास्तविक परियोजना-संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की हकदार है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि कंपनी ने समझौते की शर्तों के अनुसार प्रशासन को औपचारिक कर चालान जारी नहीं किए हैं और अगस्त 2020 से मार्च 2024 की अवधि के लिए केवल ` 581.70 लाख की राशि का एक प्रोफार्मा चालान जारी किया है। परिणामस्वरूप, इस अवधि के लिए पुस्तकों में कोई राजस्व मान्यता प्राप्त नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्त दोनों को वास्तविक रूप से कम करके आंका गया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक रिपोर्ट किए गए वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति में गड़बड़ी हुई है।

4 कंपनी शराब वितरण, पर्यटन विकास और नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित कई क्षेत्रों में काम करती है। इनमें से प्रत्येक खंड में विशिष्ट परिचालन, नियामक और वित्तीय जोखिम हैं। हालाँकि, कंपनी इन खंडों से संबंधित जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए कोई औपचारिक जोखिम रजिस्टर या जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज नहीं रखती है।

5 कंपनी ने लीजहोल्ड संपत्तियों और मेगापोड रिसॉर्ट के नवीनीकरण पर `1.19 करोड़ सहित महत्वपूर्ण व्यय किए हैं, जो पूंजीगत प्रकृति के हैं। हालाँकि, इन राशियों को लेखांकन मानक (एएस) 10 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत करने के बजाय ‘भवन की मरम्मत और रखरखाव’ के अंतर्गत राजस्व में गलत तरीके से लगाया गया है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लाभ और अचल संपत्तियों दोनों को संबंधित राशि से कम करके आंका गया है, जो परिसंपत्ति पहचान और पूंजीकरण पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने का संकेत देता है।

6 जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में दर्ज आउटपुट सप्लाई और जीएसटीएन पोर्टल तथा कंपनी की लेखा पुस्तकों के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस में विसंगतियाँ पाई गईं। पर्याप्त दस्तावेजीकरण और मिलान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के ‘वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ’ अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

अन्य मामले

हमने सहायक कंपनी अर्थात मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया। 31.03.2025 तक मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड की कुल संपत्ति ` 21.33 लाख और कुल धाटा ` 984.12 लाख को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, इस संबंध में संशोधित नहीं है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिसने 25.07.2025 को उन विवरणों पर अपनी अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत और अन्य लेखांकन सिद्धांत।

इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियांवयन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तिओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण षमिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋद्धि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमनें यह लेखा परीक्षा भारत के चार्डड अकाउन्टेंट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमनें अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियांवयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋद्धि न हो।

- लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राष्ट्रीय एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋद्धि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।
- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल हैं एवं लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की

रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करना, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
- शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन प्रदान करना कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करना, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से ऐसी संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लिखित निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उसके आकार, जटिलता और संचालन को देखते हुए अपर्याप्त है। वर्तमान ढाँचे में वैधानिक अनुपालन, इन्वेंट्री नियंत्रण एवं मूल्यांकन, तथा राजस्व निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त गुंजाइश नहीं है, जिससे अनदेखे महत्वपूर्ण गलतबयानी और आंतरिक नियंत्रण के कमजोर होने का जोखिम पैदा होता है। इसके अतिरिक्त, चौथी तिमाही की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जो एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करती है जो त्रुटियों या अनियमितताओं का समय पर पता लगाने और उन्हें सुधारने में बाधा डालती है।

वित्तीय विवरणों में “उचंत खाता (क्रेडिट)“ के अंतर्गत `35.40 लाख और “पीएमएफ (उचंत) खाता“ के अंतर्गत `0.42 लाख की राशि शामिल है, जो बैलेंस शीट की तिथि तक बकाया है। प्रबंधन ने इन शेष राशियों की प्रकृति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। पर्याप्त जानकारी और दस्तावेजीकरण के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक है या नहीं। तदनुसार, हम वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

- हम 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्वों से संबंधित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी का सीएसआर दायित्व `81.39 लाख था, जिसमें से `33.03 लाख सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए गए और `6.00 लाख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत आवश्यक नामित सीएसआर बैंक खाते में जमा किए गए।

शेष ' 42.26 लाख की अप्रयुक्त राशि किसी भी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है। तदनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर उक्त राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया है, हालाँकि नियत तिथि समाप्त नहीं हुई है।

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि, यद्यपि वह वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करने का इरादा रखती है, वह इस अव्ययित राशि को कुछ चिन्हित स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगी। यह कंपनी की सीएसआर नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत और धारा 135(5) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जो स्थानीय परिचालन क्षेत्र को प्राथमिकता देने पर बल देता है।

2. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कंपनी ने विक्रेताओं से प्राप्त पुष्टिकरणों और प्राप्त सीमा तक संकलित आंकड़ों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। हालाँकि, पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम ऐसे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में हुई देरी, व्याज की संबंधित देयता और एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 6(ए) देखें)।
3. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में 'नीति आयोग परियोजना' पर ' 232.45 लाख रुपये किए थे। प्रबंधन के माध्यम से हमें सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने बाद में इस परियोजना के लिए एक अलग कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त की है। हालाँकि, हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक, हमारे सत्यापन के लिए कोई औपचारिक संचार, संशोधित कार्यान्वयन ढाँचा, या जिम्मेदारियों के हस्तांतरण, पहले से खर्च की गई लागतों के निपटान, या नवनियुक्त एजेंसी को धन के पुनर्आवंटन का विवरण देने वाला कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या पहले से किए गए व्यय को नई एजेंसी द्वारा मान्यता दी जाएगी, प्रतिपूर्ति की जाएगी या नियमित किया जाएगा। ऐसी जानकारी और पर्याप्त सहायक दस्तावेजों के अभाव में, हम उक्त व्यय की मान्यता और वर्गीकरण की उपयुक्तता, या परियोजना के संबंध में कंपनी की वसूली और किसी भी निरंतर दायित्वों पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।
4. कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड में निवेश किया है और उसे ऋण और अग्रिम राशि प्रदान की है। 31 मार्च 2025 तक, सहायक कंपनी को काफी संचित घाटा हुआ है और इसका संचालन लंबे समय तक बंद रहा है, जिससे एक चालू व्यवसाय के रूप में इसके जारी रहने की क्षमता पर काफी संदेह पैदा हो गया है। प्रबंधन ने कहा है कि सहायक कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, इन निवेशों और अग्रिमों के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। हालाँकि, भारतीय लेखा मानक एएस 36 (परिसंपत्तियों की हानि) के अनुसार औपचारिक उचित मूल्यांकन या हानि आकलन के अभाव में, और प्रावधान के आधार का समर्थन करने वाले पर्याप्त दस्तावेजों के बिना, हम कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधान की उपयुक्तता और पर्याप्तता का आकलन करने में असमर्थ हैं।
5. हम यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि सहायक कंपनी पर कोई और वित्तीय जोखिम नहीं है, प्रबंधन द्वारा कोई औपचारिक पुनरुद्धार या निकास रणनीति तैयार नहीं की गई है। हमारे विचार से, कंपनी के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह सहायक कंपनी के पुनर्गठन, निपटान या समापन जैसे विकल्पों का एक संरचित मूल्यांकन करे ताकि उचित समापन सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसी भी संभावित दायित्व या अनुपालन जोखिम से बचा जा सके।
6. कंपनी ने वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में निवेश पर हुए नुकसान के लिए '6 लाख का प्रावधान स्वीकार किया है। हालाँकि, इस प्रावधान का समर्थन करने के लिए शेयरों का कोई

मूल्यांकन नहीं किया गया था। ऐसे मूल्यांकन के अभाव में, हम प्रावधान की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तदनुसार, हम निवेश पर हानि के प्रावधान, उक्त निवेश के वहन मूल्य और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव के लिए आवश्यक संभावित समायोजनों, यदि कोई हों, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. पिछले वर्षों के खातों में बिना उचित पहचान या समाधान के अनलिंकड डेबिट और क्रेडिट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे असमाधानित शेषों का अस्तित्व लेखांकन और समाधान प्रक्रियाओं में कमजोरी को दर्शाता है और वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत खाता शेषों की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। इन मदों के लिए पर्याप्त औचित्य और समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत संबंधित खाता शेषों की सटीकता और पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
9. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 13(ए) में वर्णित है, ऋण और वित्त विभाग लेखांकन प्रणाली में उधारकर्ता—वार आधार पर आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण नहीं रखता है। इसके बजाय, बनाए गए रजिस्टर के आधार पर वर्ष के अंत में समेकित जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, समय—समय पर अस्तित्व की समीक्षा करने की मानक प्रथा आरबीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों का पता लगाने के लिए प्रतिभूति के मूल्य और उसके मूल्य का पालन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने आरबीआई मानदंडों के अनुसार आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आवश्यक प्रतिभूति मूल्यांकन के प्रावधानों की सटीकता और पूर्णता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
10. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4(बी) में बताया गया है, '150.39 लाख का अनुदान—सहायता शेष चालू वर्ष के साथ—साथ कई पूर्ववर्ती वर्षों के बैलेंस शीट में असमायोजित रहा है। प्रबंधन ने इस शेष राशि के अस्तित्व और सटीकता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि रिपोर्ट की गई राशि में कोई समायोजन आवश्यक है या नहीं। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अनुदान—सहायता रिकॉर्ड का व्यापक समाधान करे, जो उचित दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित हो, और सत्यापित पुष्टिकरणों और अनुमोदनों के आधार पर वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन लागू करे।
11. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के रिकॉर्ड की समीक्षा की। (पीओएल) प्रभाग ने स्वराज द्वीप (हैवलॉक) भंडारण सुविधा में भौतिक स्टॉक और बहीखातों के बीच विसंगतियाँ पाईं। भौतिक सत्यापन में 3,480.626 लीटर हाई—स्पीड डीजल और 3,010.680 लीटर अनलेडेड पेट्रोल की कमी पाई गई। हमें सूचित किया गया है कि जिम्मेदार कर्मचारी ने विसंगतियों को स्वीकार किया है और निगम ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। वित्तीय विवरणों में इन कमियों का लेखा "कर्मचारियों से प्राप्तियाँ" के अंतर्गत किया गया है। हालाँकि लेखांकन प्रक्रिया का खुलासा किया गया है, लेकिन मूल समस्या इन्वेंट्री प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करती है क्विशेष रूप से स्टॉक निगरानी, आवधिक समाधान और प्रभागीय स्तर पर अभिरक्षा नियंत्रण के क्षेत्रों में कृजिससे निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा में नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
12. जमा, अग्रिम, व्यापार प्राप्तियाँ और व्यापार देय के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की मौजूदा प्रणाली अपर्याप्त है। अधिकांश मामलों में, ऐसी बाहरी पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप, हम एसए 505 — बाह्य पुष्टिकरण के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे, और इसलिए इन शेषों के अस्तित्व, सटीकता या पूर्णता, या किसी भी संभावित समायोजन या प्रकटीकरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है। परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्ति, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियों और अन्य चालू देनदारियों के लिए पुष्टिकरण प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किया जा सका।

13. हम वित्तीय विवरणों के नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कुछ अचल संपत्तियाँ, जिनमें वाहन भी शामिल हैं, जिनका निर्धारित उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है, बिना किसी अतिरिक्त मूल्यहास के अवशिष्ट मूल्य पर रखी जाती हैं। भारतीय लेखा मानक एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, मूल्यहास तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि संपत्ति की मान्यता रद्द न हो जाए, और उन संपत्तियों के लिए जो अपने उपयोगी जीवन के बाद भी उपयोग में रहती हैं, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, जिसके अनुसार मूल्यहास लगाया जाएगा। वर्तमान प्रथा के परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक एएस 16 का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों का मूल्य ₹68.02 लाख अधिक और संचित मूल्यहास कम दर्शाया गया है। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड से उचित अनुमोदन प्राप्त करके, ऐसी अप्रचलित संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें औपचारिक रूप से बढ़े खाते में डालने के लिए एक बार की व्यापक समीक्षा करे।
14. हमने पाया कि कंपनी वर्तमान में अपनी अधिशेष निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा में निवेश करती है। हालांकि, ऐसे अधिशेष निधियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन या निदेशक मंडल द्वारा कोई औपचारिक निवेश नीति तैयार और अनुमोदित नहीं की गई है। प्रलेखित निवेश नीति के अभाव में, जोखिम मूल्यांकन, विविधीकरण, परिपक्वता अवधि, तरलता प्रबंधन और उपज अनुकूलन के संबंध में परिभाषित मानदंडों का अभाव है। एक औपचारिक निवेश नीति स्थापित करने से अधिशेष निधियों की सुरक्षा करते हुए निगम के वित्तीय उद्देश्यों के साथ पारदर्शिता, स्थिरता और संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
15. हम वित्तीय विवरणों के नोट 10(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एक लंबित मध्यस्थता मामले का वर्णन करता है जिसमें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा मई 1992 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा शामिल है, जो इकिवटी भागीदारी योजना के तहत '10 प्रति शेयर के 33,000 इकिवटी शेयरों की पुनर्खरीद से संबंधित है। कंपनी ने इस दावे के संबंध में '5.39 लाख का प्रावधान स्वीकार किया है। यह मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुसरण में मध्यस्थता के अधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं:
 - (i) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - (ii) हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित लेखा के उचित पुस्तकों का प्रयोग किया है, जहाँ तक उन पुस्तकों को देखने से प्रतीत होता है।
 - (iii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण व्याप्त पुस्तकों के करार में हैं।
 - (iv) हमारे राय के अनुसार वित्तीय विवरणों में, अधिनियम के खण्ड 133 में निर्दिष्ट (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित)) किए गए लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
 - (v) उपर्युक्त दर्शाए गए योग्य राय के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(vi) भारत सरकार के निगमित मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.06.2015 जारी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 164 की उप धारा (2) में दर्शए गए प्रावधान कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारणवश उपर्युक्त नहीं है ।

(vii) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता एवं प्रभावपूर्णता के संबंध में कंपनी द्वारा अनुलग्नक “ग” में अलग से दर्शाया गया है ।

(viii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(ix) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क). कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 27(i)(क),(ख) और (ग) का संदर्भ लें ।

ख). कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक रूप से दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित घाटे के लिए प्रावधान किया है

ग). कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो ।

घ) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोटों के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यस्थों”) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या उनमें कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य

स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थः

- किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा (“अंतिम लाभार्थी”) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा ।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपर्युक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खण्ड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है ।

(v). समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 29(iv) में कहा गया है:

क) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है ।

ख) होलिडंग कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

(vi) हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला तथा लेखापरीक्षा परीक्षण को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है।

2. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुच्छेद 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी "आदेश" / "सीएआरओ", जिसे ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जिन पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस सीएआरओ रिपोर्ट में कोई अन्य योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 25 / 07 / 2025

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGY4129

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय कोलकाता ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के समेकित नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण की टिप्पणी ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निधारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025, को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंधन का दायित्व है । कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है । इस बात का उल्लेख उनके दिनांक 25 जुलाई 2025 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई है ।

मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है । अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान फिशरीज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण नहीं किया । यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों के कार्य-पत्रों तक पहुंच नहीं है और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच नहीं की गई है । मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे जानकारी के अनुसार अनुपूरक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में ऐसा कोई भी महत्त्वपूर्ण मुद्दा प्रकाश में नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता है ।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महात्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या अनुपूरक को उत्पत्त हो ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 16/12/2024

(उदय शंकर प्रसाद)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
सेन्ट्रल: कोलकाता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2025 का समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	नोट संखा	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
इकिवटी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूँजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	29,094.38	25,745.64
गैर-मौजूदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	181.45	179.03
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	1,223.68	1,261.34
चालू देय			
व्यापार देय	6	216.44	236.23
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम		2803.89	2193.46
अन्य		2172.01	1817.76
अन्य चालू देय	7	7235.53	13,867.15
अल्पावधि प्रावधान	8		
		44,024.39	46,397.62
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थाई परिसम्पत्ति			
— संपत्ति संयंत्र उपकरण	9	2348.45	2354.54
—अवास्तविक		4.52	3.66
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		-	74.35
गैर-चालू निवेश	10	-	-
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	32.34	26.19
अस्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	291.01	349.50
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	9.76	14.62
गुडविल (समेकित आधार पर)		169.45	169.45
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	7449.75	5202.02
व्यापार प्राप्य	15	1294.52	1315.40
नकद तथा बैंक शेष	16	22,750.01	20313.81
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	9666.48	16,463.17
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	8.10	110.91
		44,024.39	46,397.62
कुल			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ	1 से 32		

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

एफ आर एन 321009E
(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25 / 07 / 2025

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGY4129

-हस्त/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-
प्रवेश रंजन झा
(निदेशक)
DIN: 10942830

-हस्त/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

-हस्त/-
चंचल यादव
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 07487074

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

(₹ लाख में)

	नोट संखा	वर्ष का अंत में 31.03.2025	वर्ष का अंत में 31.03.2024
आय			
परिचालन से राजस्व	19	51772.49	49008.23
अन्य राजस्व	20	1748.68	1376.58
कुल राजस्व		53521.17	50,384.81
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	1013.95	1230.21
व्यापार के लिए स्टाक की खरीद	22	43250.70	36,220.83
तैयार माल की सूची परिवर्तन,			
कार्य प्रगति, व्यापर स्टाक	23	(2189.76)	3202.67
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2473.83	2568.78
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	9	204.07	169.98
संचालन एवं अन्य व्यय	25	3027.15	2553.41
कुल व्यय		47779.94	45945.87
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		5741.22	4438.94
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		15.92	1.49
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		5757.14	4440.43
घटाएः चालू कर का प्रावधान		1,442.34	1195.03
घटाएः किए गए आस्थगित कर का प्रावधान		58.49	-
जोड़े: स्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान		92.32	-
जोड़े: अस्थगित कर के लिए प्रावधान लिखित / बनाया गया		-	84.14
विनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान		4348.63	3329.54
प्रति शेयर का लाभ: मूल तथा मिश्रित	26	396.41	303.51

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियां से 32

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)

पार्टनर

सदस्यता सं. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 25 / 07 / 2025

यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGY4129

-हस्त/-

पी. रघु राम

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-

प्रवेष रंजन झा

(निदेशक)

DIN: 10942830

-हस्त/-

बासुकी नाथ साह

(कंपनी सचिव)

-हस्त/-

चंचल यादव

(प्रबंध निदेशक)

DIN: 07487074

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहल शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं	5741.22	4,438.94
<u>समायोजन के लिए:</u>		
मूल्यहास	204.07	169.98
सावधि जमा पर ब्याज	(1,328.95)	1164.35
अशोध्य तथा संदहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	-	8.29
बटटे खाते पर डालने का प्रावधान	15.92	1.49
लीज़ किराये पर आय	(399.65)	(388.06)
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूर्जी में परिवर्तन	4232.62	3066.29
<u>समायोजन के लिए:</u>		
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	(2247.52)	3421.64
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	20.88	(364.68)
संभूति व्याज में कमी / (वृद्धि)	15.23	(244.81)
चालू ऋण एवं अग्रिम कमी / (वृद्धि)	6712.71	(1873.02)
अन्य चालू देय में वृद्धि / (कमी)	356.68	(236.86)
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	590.95	(668.54)
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी / (वृद्धि)	87.57	139.96
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(7981.64)	(1124.39)
ऋण एवं वित्त प्रभाग से अल्पावधि ऋण में कमी / (वृद्धि)	4.86	10.62
लाभांश कर में कमी / (वृद्धि)	83.98	-
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	1875.82	2126.22
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पट्टे के किराया का आय	399.65	388.06
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(37.66)	295.00
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी / (वृद्धि)	(6.15)	24.13
अचल परिस्मृति में जोड़ना (शुद्ध)	(201.38)	(384.07)
पूंजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	74.35	2.10
सावधिक जमा पर ब्याज	1328.95	1164.35
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की विक्री	2.54	2.35
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	1560.30	1491.92
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रस्तावित लाभांश	(999.93)	-
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	(999.93)	-
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	2436.19	3618.13
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	20313.81	16,695.68
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	22715.01	20313.81
	2436.19	3618.13

31-03-2025 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इंस्ट्रिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट आफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।
- कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।
- नकद तथा नकद तुल्य में शामिल है:

	राशि (₹)	राशि (₹)
नकदी तथा नकदी समतूल्य	772.30	1271.76
अन्य बैंक शेष	21824.11	18945.08
गैर अनुसूची बैंकों में शेष	7.81	16.44
हाथ में चेक	145.79	80.53
कुल	22750.01	20313.81

- अल्पावधि जमा के अंतर्गत इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी निधि में ₹.31.06 लाख शामिल है। (पिछले वर्ष 28.63 लाख)

यह नकद प्रवाह विवरण समसंख्यक दिनांक पर जारी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814
स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 25 / 07 / 2025
यूडीआईएन सं. 25065814BMIFGY4129

-हस्त/-
पी. रघु राम
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

-हस्त/-
प्रवेष रंजन झा
(निदेशक)
DIN: 10942830

-हस्त/-
बासुकी नाथ साह
(कंपनी सचिव)

-हस्त/-
चंचल यादव
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 07487074

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स।

नोट 1: सामग्री लेखांकन नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश

क) तैयारी का आधार

निगम मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के शेयरों को इसके निगमन की तिथि (1992) से धारण कर रहा है और 19 अगस्त 2004 से बहुसंख्यक शेयर धारक बन गया। इसके बाद मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड 26 जून 2007 से 100% सहायक कंपनी बन गई और वित्त वर्ष 2013–14 से समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। कंपनी के पास मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के 10,00,000 इक्विटी शेयर हैं, जो 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूरी तरह से चुकता हैं, जो चुकता पूंजी का 100% है। ऐसे शेयरों में से एमपीईडीए से प्राप्त 10 रुपये प्रति शेयर के 33,000 इक्विटी शेयरों पर विवाद है और हस्तांतरण लंबित है।

ख) समेकन के सिद्धांत

सीएफएस को नीचे उल्लिखित विभिन्न मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है:—

- i) सहायक कंपनी (एएफएल) के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी (अनिडको) कंपनी के वित्तीय विवरणों से अलग करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- ii) नियंत्रण की लागत की गणना 1 अप्रैल 2013 को सहायक कंपनी में अपने निवेश की मूल कंपनी की लागत के आधार पर की गई है, जबकि वास्तविक तिथि 19 अगस्त 2004 (अर्थात्, बहुसंख्यक शेयर होल्डिंग) है, जिस पर सहायक कंपनी में निवेश किया गया था। अधिग्रहण की तिथि (मान लिया गया है कि 01.04.2013) को सहायक कंपनी की निवल संपत्ति ऋणात्मक थी तथा सहायक कंपनी में निवेश की अग्रणीत राशि मूल कंपनी में इसकी लागत (शून्य) से भिन्न है, इसलिए अग्रणीत राशि को अंतर के रूप में माना गया है तथा ऐसी राशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 में सीएफएस में सद्भावना के रूप में माना गया है।
- iii) जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में मूल्यव्यापास और अन्य घटनाओं को छोड़कर समान लेनदेन के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के समान तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं।
- iv) ऋण और वित्त प्रभाग से सहायक कंपनी को दिए गए ऋण को राज्य वित्त निगम अधिनियम के तहत “धाटे वाली संपत्ति” माना गया है और उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है और मूल कंपनी की पुस्तक में इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मूल कंपनी की पुस्तक में ब्याज के साथ सहायक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। ऐसे ऋणों और उन पर ब्याज से संबंधित डेटा को केवल समेकन के उद्देश्य से सामान्य रिजर्व के साथ अलग किया जाता है और समायोजित किया जाता है।
- v) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण को लेखांकन मानक 21—“समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार अंतर-कंपनी लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन-बाय-लाइन आधार पर जोड़ा जाता है।
- vi) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पहली बार लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ग). अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

इन्हें कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दी गई “महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों” के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट संख्या: 2		
प्राधिकृत		
100 के 50,00,000 इकिवटी शेयर	5,000.00	5,000.00
कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि		
100 का 10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006)		
जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया	1,097.01	1,097.01
कुल	1,097.01	1,097.01

नोट सं. 2(क) इकिवटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरूआत एवं

समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में शेष

वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर

वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर

वर्ष के अंत में शेष

1,097.01	1,097.01
-	-
-	-
1,097.01	1,097.01

नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति	85	933,348
2	उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	15	163,658

पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।

नोट सं. (ग) प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दूध पावडर की राशि ₹17,546 के बदले में बोर्ड ने अपने कार्यसूची संख्या 23.09 के तहत दिनांक 22.01.1993 को द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के पक्ष में ₹100 की दर से 17,54,664 इकिवटी शेयर जारी किया गया।

नोट संख्या:3 आरक्षण तथा अधिशेष

क) सामान्य आरक्षण

वर्ष के प्रारंभ में	25745.64	22416.10
प्रस्तावित लाभांश में स्थानांतरण	999.93	
जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण	4348.63	3329.54
वर्ष/ अवधि के अंत में	29094.35	25745.64
<u>ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष</u>		
वर्ष के प्रारंभ में	0.02	0.01
जोड़े: वर्ष/ अवधि के लिए लाभ	4348.63	3329.53
घटाए: विनियोग	4348.63	3329.54
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण	0.03	0.02
वर्ष/ अवधि के अंत में	29094.38	25745.64

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट संख्या – 4		
क्रेडिट गारंटी कोष	अन्य दीर्घअवधि देय	
प्रारंभिक शेष	4(क)	
जोड़े: पिछले लेखा के अनुसार सृजित आय जोड़	28.64	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	2.42	
कुल निधि	31.06	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	31.06
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से सहायता अनुदान 4(ख)	150.39	28.64
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	150.39
कुल	181.45	179.03

नोट 4 (क): क्रेडिट गारंटी निधि: पिछले वर्ष में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपाद्धिक सुरक्षा के बदले में गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रेन्ट शेष ₹ 28.64 लाख थी। उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात् निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई। इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गारंटी दिनांक 31.03.2025 तक ₹ 31.06लाख है।

नोट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्यात्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित बेष (₹ 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 190 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2025 तक ₹175.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹150.39

नोट संख्या: 5 दीर्घअवधि प्रावधान

छुटटी भुनाने का प्रावधान	1,141.24	1154.89
उपदान का प्रावधान	67.16	75.26
छुटटी यात्रा रियायत / ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान	15.27	31.18
मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान	0.01	0.01
कुल	1223.68	1261.34
नोट संख्या 6 व्यापार देय		
व्यापार देय योग्य		
1) सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)	216.44	236.23
2) अन्य व्यापार देय	2803.89	2193.46
	3020.33	2429.69

नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय ₹ 216.44 लाख थी। (पिछले वर्ष ₹ 236.23)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(रुलाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	216.44				216.44
(ii) अन्य	2744.33	1.78	11.96	45.81	2,803.89
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2960.77	1.78	11.96	45.81	3020.33

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(रुलाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	236.23				236.23
(ii) अन्य	2041.60	92.74	25.01	34.10	2193.46
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2277.83	92.74	25.01	34.10	2429.69

विवरण	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024	(₹ लाख में)
नोट संख्या 7 अन्य चालू देयता			
<u>आग्रिम के रूप में प्राप्त आय</u>			
<u>अन्य देय</u>			
<u>जमा देय</u>			
अन्य	21.35	21.35	21.35
उपभोक्ताओं से अग्रिम	16.74	16.74	16.74
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क	48.95		
व्यय के लिए बकाया देय	56.26		
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि/प्रतिभूति जमा	68.54		
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेयरों पर प्रतिक्रिय ब्याज कर देय	5.39		
सुक्ष्म ऋण योजना	0.04		
अन्य	34.62	287.77	305.89
मत्स्य निदेशक को जमा देय	7 (क)	10.00	10.00
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम		1,836.75	1,463.78
कुल		2,172.01	1,817.76

नोट 7(क): कंपनी ने वर्ष 1989–90 से 1996–97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से ₹ 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम के चालू खाते में रखा गया है।

नोट – 8 अल्पावधि प्रावधान

कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए प्रावधान	266.79	141.58
सी एस आर व्यय के लिए प्रावधान	42.36	-
छुटटी भुनाने के लिए प्रावधान	46.28	42.41
एल टी सी/ ए एफ सी पी का प्रावधान	15.34	15.81

(₹ लाख में)

<u>अन्य</u>			
कर के लिए प्रावधान			
– निर्धारण वर्ष 2017–18	1477.61		
– निर्धारण वर्ष 2021–22	741.75		
– निर्धारण वर्ष 2022–23	884.06		
– निर्धारण वर्ष 2023–24	1117.95		
– निर्धारण वर्ष 2024–25	1195.03		
– निर्धारण वर्ष 2025–26	1,442.34		
सहायक कंपनी के लिए प्रावधान			
	6858.74	13,661.32	
	6.02	6.02	
कुल	7,235.53	13,867.15	

नोट 8(क): भारतीय चार्डट अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुटटी यात्रा रियायत/ वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिं नूल्यांकन किया गया।

नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : ₹131.16 लाख

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास नियम लिखिए ड
(सारकारी उपक्रम)

၈၁

को हॉमिनिल नेस्ट : मासिक पटदं का किरणा रु. 0.20 लाख सहित कर पर्याय 20 प्रतिशत लाभाश । पटदा दिनांक 07.09.2020 तक प्रभावी रहेगा ।
छ) जल सीधी उपकरण : कर के बाद लाभ का अंबेटन 20 प्रतिशत । यह पटदा दिनांक 31.05.2031 तक प्रभावी रहेगा । ग) जॉलॉफिन रिस्टाईट : पटदे का मासिक किरणा रु 2.25 लाख सहित कर के पश्चात लाभांश अंबेटन 30 प्रतिशत । पटदा दिनांक 10.02.2021 तक प्रभावी रहेगा ।

		वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश			
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति रु.10 का 9,67,000 शेयर है	69.65		
(रु.10 का 33,000 इकिवटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित है)			
घटाएः अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर निवेश पर हानि का प्रावधान	69.65		
(2)लक्ष्मीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में रु. 10 का 4,00,000 इकिवटी शेयर है जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया ।	40.00		
घटाएः लक्ष्मीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान	40.00		
(3) वेबकॉन कन्सल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में रु. 10 की प्रति शेयर सहित प्रति रु.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इकिवटी शेयर	6.00		
घटाएँ: वेबकॉन कन्सल्टिंग इंडिया लिमिटेड पर हानि के लिए प्रावधान	6.00		
कुल			

नोट10 (i): इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड, श्री विजय पुरम में प्रति ₹ 10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इकिवटी शेयर है। जिसमें से ₹ 10/- 33,000 इकिवटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इकिवटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कंल राशि ₹ 5.39 लाख है। (सकल राशि ₹ 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अंतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखा गया है।

नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्ष्मीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इकिवटी शेयर में प्रति ₹10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इकिवटी शेयर खरीद कर ₹ 40 लाख निवेश किया है। परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

नोट 10(iii): कंपनी ने 2012 के दौरान ₹10/- रुपये प्रति शेयर के 30,000 पूर्ण भुगतान वाले इकिवटी शेयरों की सदस्यता लेकर वेबकॉन कन्सल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड के इकिवटी शेयरों में 6 लाख रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयरों पर विस्तृत जानकारी की कमी, किसी भी लाभांश की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति और इस तथ्य के कारण कि निवेश गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में हैं, जिनका कोई बाजार मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, प्रबंधन ने निवेश पर संभावित नुकसान के लिए प्रावधान बनाने का निर्णय लिया है।

नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम

सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री

कर्मचारियों को कम्प्युटर अग्रिम	1.78	1.37
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	-	0.58
असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री	30.56	24.24
प्रतिभूति जमा	-	-
असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया	1.31	0
कर्मचारियों के अग्रिम	1.31	0
घटाएः प्रावधान		
जमा प्राप्य (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया)	5.88	0
घटाएः प्रावधान	5.88	0
कुल	32.34	26.19

नोट 11 (क): नोट संख्या 9 (पप) तथा 17(1) देखें।

नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)

क. आस्थगित कर ऋण

मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	-	-
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	9.51	11.42
कुल	516.99	527.57
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	526.50	538.99
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	179.94	163.17
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	55.55	26.32
कुल	235.49	189.49
शुद्ध अस्थगित कर देयता (परिसंम्पत्ति)	291.01	349.50

आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।

		वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में
		31.03.2025	31.03.2024
नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)			
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	13.39		
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	-		
घटाएः उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	3.63	9.76	14.62
(ख) संबंधित पार्टी को ऋण			
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00		
घटाएः प्रावधान किया गया	132.00	-	-
कुल	9.76	9.76	14.62

नोट: 13 (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना' के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रेनित सकल प्रांरभिक शेष ₹ 151.39 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल राशि शून्य है। (पिछले वर्ष ₹ शून्य थी। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹ 6.97 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹ 14.33 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 0.00373 (पिछले वर्ष 0.03406 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 1.06 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष ₹ 1.45 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया।

नोट: 13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को रु. 132 लाख आवधिक ऋण की मंजुरी दी थी जिसे लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधित ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर ₹8.45 करोड़ की गई (पिछले वर्ष 7.25 करोड़)।

नोट संख्या 14: सम्पत्ति सूची

कच्चा सामग्री

कच्चे दूध	96.33		
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	70.15	166.48	113.93
<u>अंतिम सामग्री</u>			
निर्मित दूध	31.72		
पनीर	0.07		
दही	0.14		
गाय दूध	3.50	35.43	27.11
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>			
पेट्रोलियम उत्पाद	506.90		
जोड़े: पारगमन भण्डार	69.41		
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	6022.21		
जोड़े: पारगमन भण्डार	594.20		
स्मारिका, मानचित्र तथा बायोमेट्रिक यंत्र		7,192.72	5,011.26
भण्डार तथा कलपुर्जे – दुग्ध संयंत्र		55.12	49.71
कुल		7,449.75	5,202.02

नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।

नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)

विचारयुक्त सामग्री

(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	939.56		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के कम संदेहपूर्ण	584.39	1,294.52	1,315.40
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	229.43		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के कम	-		
घटाएः अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	229.43	-	-
कुल		1,294.52	1,315.40

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्त आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्त— अच्छा माना जाता है	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
ख) अविवादित व्यापार प्राप्त— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्त— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्त— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						229.43
						व्यापार प्राप्त 1,294.52

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्त आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्त— अच्छा माना जाता है	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
ख) अविवादित व्यापार प्राप्त— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्त— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्त— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						244.27
						व्यापार प्राप्त 1,315.40

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024
नोट संख्या: 16 नकद तथा नकद समतुल्य		
<u>अनुसूचित बैंकों के खाता शेष</u>		
(क) चालू लेखा		
इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम	1.18	85.74
इंडियन बैंक, चैनई	12.36	0.57
भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम	157.70	444.45
एच.डी.एफ.सी. बैंक, श्री विजय पुरम	47.13	69.38
केनरा बैंक, सचिवालय	78.60	58.04
केनरा बैंक, शहीद द्वीप पी ओ एल	1.96	24.70
केनरा बैंक, कैम्पबेल बे	4.90	36.78
भारतीय स्टेट बैंक, हटबे	45.67	34.49
भारतीय स्टेट बैंक, रंगत	15.51	2.79
भारतीय स्टेट बैंक, मायाबदर	11.80	4.20
भारतीय स्टेट बैंक, डिग्लीपुर	121.51	137.04
भारतीय स्टेट बैंक, स्वराज द्वीप	91.37	50.03
भारतीय स्टेट बैंक, आर के पुर, लिटिल अण्डमान	7.31	5.10
भारतीय स्टेट बैंक, कर्मटा	28.87	19.78
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / जंगलीघाट)	1.05	1.98
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / मोहनपुरा)	0.97	2.10
भारतीय स्टेट बैंक, हैडो	1.03	3.14
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	0.96	1.95
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	1.00	14.29
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	22.05	19.75
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल / सेल्फ सर्विस यूनिट)	1.02	4.85
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	32.83	34.36
एक्सेस बैंक	79.34	209.62
इंडियन बैंकए श्री विजय पुरम	6.18	6.63
गैर-अनुसूचित बैंकों पर खाता शेष	772.30	1,271.76
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	7.81	16.44
हाथ में चेक	7.81	16.44
प्रधान कार्यालय में	0.25	0.48
हाथ में डाक टिकट	-	-
दुकान में नकद	145.54	80.05
	145.79	80.53
	925.90	1,368.73
ख. अन्य बैंकों में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	2800.00	-
केनरा बैंक	1700.09	6900.00
इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम	150.43	19.38
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3,300.00	-
बैंक आफ बरोदा	5,500.00	5000.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	-	1,300.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री विजय पुरम	4790.91	2937.65
आई सी आई सी आई बैंक	150.00	89.25
एचडीएफसी बैंक	2002.11	1505.00
एक्सेस बैंक	994.00	742.00
जोड़: उन पर व्याज अर्जित	436.57	451.80
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	21,824.11	18,945.08
	22,750.01	20,313.81

नोट 16 (क) इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा ₹ 31.06 लाख शमिल है (पिछले वर्ष 28.63 लाख)

		(₹ लाख में)	दिनांक 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024
नोट 17: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम			31.03.2025	31.03.2024
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम			0.58	0.30
कर्मचारियों का कम्प्युटर अग्रिम			0.80	2.50
सिविल कार्य के लिए अग्रिम			30.65	136.78
भारतीय तेल निगम से प्राप्य दावा			106.49	37.59
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम			4.81	4.38
नीति आयोग परियोजना			232.45	267.08
भारतीय तेल निगम (केपीटल फैक्टरिंग)	(नोट 7क)		21.89	21.89
प्रीपेड खर्च			1.50	0.00
आइ जी एस टी			0.00	1.13
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी			1.38	14.44
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)				
—निर्धारण वर्ष 2017–18		1,520.79		
—निर्धारण वर्ष 2021–22		747.04		
—निर्धारण वर्ष 2022–23		983.78		
—निर्धारण वर्ष 2023–24		1,295.26		
—निर्धारण वर्ष 2024–25		1,435.96		
—निर्धारण वर्ष 2025–26		1,629.52	7,612.35	14,695.01
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान				
जोड़: वर्ष के दौरान		0.00	0.00	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम	(नोट 17बी)			
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		1,327.48	703.61	
अन्य अग्रिम	(नोट 17 सी)		302.26	469.04
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त सदेहास्पद</u>			23.84	25.49
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया ।।</u>				
घटाएः प्रावधान		10.18		
अन्य अग्रिम		10.18	0.00	0.00
घटाएः अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान		4.34		
सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम		4.34	0.00	0.00
घटाएः प्रावधान		4.19		
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		4.19	0.00	0.00
घटाएः अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान		5.19		
पट्टे पर प्राप्य योग्य किराया	(नोट 17 डी)	5.19	0.00	0.00
घटाएः पट्टे के किराए के लिए प्रावधान		107.99		
जमा भविष्य निधि	(नोट 17 ई)	107.99	0.00	0.00
घटाएः प्रावधान		43.90		
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण		43.90	0.00	0.00
जोड़: वर्ष 2002–03 तक ब्याज देय		33.00		
घटाएः प्रावधान		8.23		
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य		41.23		
घटाएः प्रावधान		15.74		
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण (नोट 17 एफ)		15.74	0.00	0.00
घटाएः वर्ष के दौरान वसूली गई राशि		165.00		
घटाएः प्रावधान		0.00		
		165.00	0.00	0.00
	कुल		9,666.48	16,463.17

नोट 17 (क): निगम ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका के एक हिस्से के रूप में, निगम ने संबंधित विभागों के आधे हिस्से पर महत्वपूर्ण व्यय किया। हालाँकि इन विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में व्यय को कम दिखाया गया है। एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संबंधित विभागों द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है। एमओयू की लंबित स्थिति के कारण, इन खर्चों को वित्तीय विवरणों में अग्रिम के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

नोट 17 (ख): वित्तीय वर्ष के दौरान आईएमएफएल शॉप रंगत के खिलाफ 56.88 लाख रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसमें से वर्ष के दौरान 33.07 लाख रुपये की वसूली की गई।

नोट 17 (ग): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पट्टे पर दिया गया। हैवलॉक स्थित भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 90 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पट्टे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अंडमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

नोट 17 (घ): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, श्री विजय पुरम ने वर्ष 2001–2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, विजय पुरम में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुनःनिर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, श्री विजय पुरम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005–2009 की अवधि तक के लिए ₹. 22.60 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।

नोट 17 (ङ): कंपनी के शत् प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान ब्याजमुक्त असुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रेनित शेष ₹. 165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शत् प्रतिशत प्रावधान भी रखा है।

नोट 18: अन्य चालू परिसम्पत्तियां आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)	8.10	110.91
कुल	8.10	110.91

नोट 19: संचालन से राजस्व नोट

विवरण	सकल बिक्री (₹ लाख में)			
	दिनांक 31.03.2025	%	दिनांक 31.03.2024	%
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,122.15		1,134.22	
दही	66.90		69.04	
अन्य दुग्ध उत्पादों	284.70		230.03	
	1,473.75	3	1,433.29	3
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	29,105.15		28,034.54	
पी.ओ.एल	19,043.71		17,451.89	
	48,148.86	93	45,486.43	93
उप कुल (क)	49,622.61	96	46,919.72	96
सेवा (ख)				
पर्यटन	1,612.08		1,582.05	
अन्य				
आवधिक ऋण पर ब्याज	1.04		2.24	
पट्टे पर दिए गए भूमि का किराया	399.65		388.06	
पट्टे के आधार पर जल क्रीड़ा का किराया	21.64		22.04	
बर्फ संयंत्र शीत भण्डार	95.38		56.55	
किराया प्रभार/कार किराया	20.29		37.58	
अन्य आय				
उप कुल (ख)	2,149.88	4	2,088.52	4
सकल कुल घ (क+ख)	51,772.49	100	49,008.24	100

नोट (क) व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीम के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मर्दों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।

नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ ब्लॉक के विक्रय भी सम्मिलित हैं।

(₹ लाख में)

	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट 20: अन्य आय		
<i>i) व्याज से आयरु</i>		
सावधिक जमा पर व्याज	1,328.95	1,164.35
पूंजी निवेश पर व्याज	-	4.56
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर व्याज	0.20	0.33
आरा 244ए के तहत आयकर वापसी पर व्याज	224.42	
<i>iii) अन्य :</i>		
प्रेषासनिक शुल्क	-	5.06
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ		
छूट की प्राप्ति		
कमी/अन्य वसूली		
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पीओएल	162.12	
नकदी क्षति	2.50	
परिवहन प्रभार	19.29	
कर्मचारियों के खान—पान पर खर्च	10.24	194.15
रदद किया गया प्रभार		200.86
		0.96
कुल	1,748.68	1,376.58

नोट (क): निगम ने प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की गई वास्तवित लागत पर प्रेषासनिक शुल्क के रूप में समान रूप से 20 प्रतिष्ठत शुल्क लिया और निगम द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत की वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई।

नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत		
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर	1,011.19	1,044.07
खान—पान प्रभाग के लिए प्रावधान	2.76	186.14
कुल	1,013.95	1,230.21

नोट 22: स्टॉक की खरीद		
आई एम एफ एल	6,248.45	4,449.56
जोड़: सामग्रियों की पारगमन लागत	594.20	633.63
पेट्रोलियम उत्पाद	18,143.94	16,550.76
जोड़: सामग्रियों की पारगमन लागत	69.41	124.53
परिवहन भाड़ा	1,502.13	1,325.87
लाइसेंस शुल्क	354.32	329.02
आयत अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क	16,338.25	12,807.46
कुल	43,250.70	36,220.83

नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक

सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)			
निर्मित सामग्री	35.43		
स्टाक इन ट्रेड	7,192.70	7,228.13	5,038.37
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)			
निर्मित सामग्री	27.11		
स्टाक इन ट्रेड	5,011.26	5,038.37	8,241.04
कुल		(2,189.76)	3,202.67

(₹ लाख में)

		वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय			
वेतन		1,991.15	1,764.58
भविष्य निधि तथा पेंशन में अंषदान		175.72	180.91
उपदान	24(क)	35.13	152.68
बोनस		220.71	104.57
प्रशिक्षण पर व्यय		0.08	0.98
कर्मचारियों के कल्याण पर		1.37	0.68
कर्मचारियों के आवास पर किराया		3.60	3.45
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	24((ख))	20.12	3.18
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	24(ग)	25.95	357.75
कुल		2,473.83	2,568.78

नोट 24(क): उपदान**बीमाकिंक धारणा**

विवरण	2024-25	2023-24
मोटालिटी दर	LIC(2006-08) अंतिम	LIC(2006-08) अंतिम
निकासी दर	1%to3%आयु पर निर्भर	1%to3%आयु पर निर्भर
छूट की दर	7.25%प्रतिवर्ष	7.25%प्रतिवर्ष.
वेतन वृद्धि	6.25%	6.25%

नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियायत देयता (ए.एस.15 के अनुसार)**छुट्टी यात्रा रियायत देयता**

विवरण	2024-25	2023-24
कर्मचारियों की संख्या	220	235
बीमाकिंक अवधारणा		
छूट की दर	6.5%प्रतिवर्ष	7.20%प्रतिवर्ष.
मुद्रास्फीति की दर	6.00%प्रतिवर्ष	6.00%प्रतिवर्ष
मोटालिटी	IALM(2006-08) अंतिम	IALM(2006-08) अंतिम
बीमाकिंक देयता	₹ 30.61 लाख	₹ 46.96 लाख

कंपनी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को बिमाकिंक मूल्यांकन तैयार कर इसके आधार पर प्रावधान रखा गया है। वर्ष के प्रारंभ में संचित प्रावधान ₹. 46.99 लाख थी। इस प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹.35.73 लाख राशि का प्रयोग किया गया तथा ₹. 20.12 लाख के लिए प्रावधान तैयार की गई। वर्ष के अंत में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अंतर्शेष ₹. 30.61 लाख है।

नोट 24(ग): छुट्टी नकदीकरण**छुट्टी नकदीकरण दायित्व**

विवरण	2024-25	2023-24
कर्मचारियों की संख्या	219	226
कुल मासिक वेतन	₹127.62 लाख	₹123.48 लाख
कुल नकदी योग्य छुट्टी	44787.25	48854.5
सामान्य सेवानिवृत आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
बीमाकिंक अवधारणा		
छूट की दर	6.5% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
निकासी दर	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष.
मोरटालिटी	IALM2006-08 अंतिम	IALM2006-08 टंत्रिम
अवकाश का बिमाकिंक छूट मूल्य	₹ 1187.52 लाख	₹ 1,197.30 लाख

कंपनी द्वारा बीमाकिंक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। वर्ष की शुरुआत में संचित प्रावधान ₹.1197.30 लाख थी। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 35.73 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 26.72 लाख)। वर्ष के दौरान प्रावधान 25.95 लाख की है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 1187.52 लाख आंका गया।

(₹ लाख में)

	वर्ष क अंत में 31.03.2025	वर्ष क अंत में 31.03.2024
नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय		
नोट 25(क): संचालन, विक्री तथा वितरण पर खर्च		
भण्डार एवं कलपूर्जों का उपभोग	336.05	355.82
ऊर्जा एवं ईंधन		
विद्युत	160.05	141.42
ईंधन प्रभार	127.45	160.37
किराया		
कार्यालय का किराया	1.72	1.07
किराया	312.77	283.91
मरम्मत एवं रख-रखाव		
— कम्प्युटर की मरम्मत एवं रखरखाव	26.37	16.38
— वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	9.13	9.68
— भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	215.10	55.16
— फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	0.90	2.94
— मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	56.64	57.09
सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय	4.04	1.99
बीमा	34.92	24.21
पट्टे के किराए पर व्याज और जुर्माना	195.42	
संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	0.64	
दर एवं कर	64.79	73.06
जल प्रभार	25.99	21.45
भण्डार ढुलाई पर व्यय	8.36	13.07
कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट	62.95	58.29
स्वच्छता	28.67	23.67
बागवानी पर व्यय	-	0.24
घाट पर व्यय	0.11	0.05
पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च	50.14	39.68
क्रॉकरी प्रभार	0.42	0.13
वर्दी एवं पोशक	2.59	5.06
ओउट सोर्सिंग जनशक्ति	632.26	552.11
व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार	3.04	40.55
बैंक प्रभार	33.76	36.27
पहरा व निगरानी	103.13	90.05
निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च	81.39	70.17
हिन्दी सप्ताह पर खर्च	0.32	-
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क	0.18	0.25
विविध	0.76	0.65
जीएसटी क्रेडिट	314.29	248.61
जलपान पर व्यय	10.35	15.77
कुल	2,904.70	2,399.17
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च		
निदेशकों के बैठक से संबंधित शुल्क	1.80	1.64
छपाई व लेखन सामग्रियां	25.54	31.12
डाक व टेलीग्राम	1.19	1.06
टेलीफोन/टैलेक्स/फेक्स	25.37	27.88
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	3.61	2.71
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय	8.68	25.27
व्यवसायिक प्रभार	35.93	29.58
यात्रा पर व्यय	16.04	22.62
	118.16	141.89

(₹ लाख में)

	वर्ष के अंत में 31.03.2025	वर्ष के अंत में 31.03.2024
नोट 25(ग): अन्य व्यय		
प्रावधान		
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	-	2.29
निवेश के हानि के लिए प्रावधान	-	6.00
	-	8.29
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)		
— वैद्यानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.30	
— कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50	
— अन्य सेवाएं	0.30	
— आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय		3.10
		1.19
ग का कुल	4.29	12.35
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग)	3,027.15	2,553.41
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर		
इकिवटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि	4,348.63	3,329.54
इकिवटी शेयरों की औसतन संख्या	10.97	10.97
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इकिवटी शेयर	396.41	303.51
प्रति इकिवटी शेयर का अंकित मूल्य	100	100

नोट: 27 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी व्यय**(क) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण**

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	81.39	69.39
व्यय की गई राशि	39.03	70.17
वर्ष के अंत में अतिरिक्त / कम राशि	(42.36)	0.78
सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	0	0
पिछले वर्ष सहित वर्ष के अंत में खर्च की गई अतिरिक्त / कम राशि	(42.36)	0.78
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
उपगत देयता के संबंध में किया गया प्रावधान	42.36	0

(ख) प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	42.36	0
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	0	0
जमा शेष	42.36	0

(ग) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
स्वास्थ्य संवर्धन	30.00	52.00
शिक्षा का संवर्धन	4.53	15.00
पर्यावरण स्थिरता	-	3.17
आजीविका संवर्धन परियोजना	4.50	-
कुल	39.03	70.17

नोट: 28 पूंजीगत कार्य प्रगति

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पुंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रति पर पुंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	14.68	-	59.67	74.35

नोट 29 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेश तिथि	दावा की गई राशि (रु)	अपील संख्या/तिथि	सहमत राशि (रु)	आकस्मिक देयता (रु)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2009-10 तथा 2019-20	टी डी एस/ टी सी एस रिटर्न	40,44,690/-	टी डी एस/टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	शून्य	40,44,690/-	टी सी (आई टी) फेसलेस
2017-18	31/03/2023	2,25,80,279/-	आईटीबीए/एएसटी/ एस/ 216/ 2022-23 /1051825817 (1)	शून्य	2,25,80,279/-	केन्द्र आयकर (र) कोलकाता
				कुल	₹2,66,24,969/-	

ख) दिनांक 31.03.2025 तक न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय)
धन वाद संख्या 66 / 2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	22,60,043/-
2284 / 2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	5,47,46,091/-
डब्ल्यू पी संख्या 267/2019	उच्चतम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम वाई जॉन	आकलन नहीं किया गया
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय, पोर्टब्लेयर	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड.	51,33,379/-

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अण्डमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादनों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कंपनी को सहायता के रूप में ₹3,30,000/- की राष्ट्र प्रति 'षेयर ₹10 की दर से 33,000 इक्विटी षेयर इन 'षर्तों पर निवेष किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेष किए गए सभी षेयरों को वापस ले लेगा । इस दिषा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने षेयर वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था । उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिष्ठत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है । अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है । मैसर्स अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹ 3,30,000 का उक्त शेयर वापस किया और अण्डमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेष के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को दर्या गया है । कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹ 5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है ।

नोट 29 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले षेष ठेके की अनुमानित राष्ट्र : ₹ शून्य लाख(पिछले वर्ष शून्य) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राष्ट्र ₹ शून्य थी । (पिछले वर्ष: ₹ 74.35 लाख) थी ।

नोट 29 (iii) कंपनी द्वारा जारी गांरटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ₹. 11.47 लाख की क्रेडिट गांरटी दी है जो क्रेडिट गांरटी फंड द्वारा सुरक्षित है ।

नोट 29 (iv) लाभांशः

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 5/2/2016 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, निगम पीएटी का 30% या निवल संपत्ति का 5% जो भी अधिक हो, न्यूनतम लाभांश घोषित करता है । वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रस्तावित लाभांश 15.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.00 करोड़ रुपये) है, जो वार्षिक आम बैठक के अनुमोदन के अधीन है ।

नोट 29 (v) अग्रिम कर

वित्तीय विवरण में ' 6,858.74 लाख का असमायोजित "आयकर प्रावधान" दर्शाया गया है, जिसे "अल्पकालिक प्रावधान" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जबकि ' 7,612.35 लाख का "आयकर का अग्रिम भुगतान" दर्ज किया गया है । इसे "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" के अंतर्गत दर्ज किया गया है । निर्धारण वर्ष 2017–18 को छोड़कर, जो वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) (फेसलेस) के समक्ष अपील के अधीन है, निर्धारण वर्ष 2020–21 तक के सभी निर्धारण वर्षों के लिए आकलन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत अंतिम रूप दे दिए गए हैं । निगम ने इन राशियों को "अग्रिम आयकर" के विरुद्ध समायोजित कर दिया है ।

नोट 29 (vi) सहायक कंपनी:

दिनांक 19.08.2004 से अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2025 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है ।

पिछले वर्षों में अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹ 132 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के 'संबंधित पार्टी' के ऋण शीर्ष पर दर्शाया गया है । उक्त राशि सहित वर्ष 2002–03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अषोध्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है । तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है ।

वर्ष के दौरान अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजुरी 'शून्य थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया शेष ₹1,65 लाख थी (पिछले वर्ष ₹ 165 लाख) । कंपनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ₹ 33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002–03 तक संचित ब्याज ₹ 8.23 लाख थी । असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान षत् प्रतिष्ठत रखा गया ।

नोट 29 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवधक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग):

क. 'षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ₹ 1,42,92,360/- (पिछले वर्ष ₹ 1,47,82,251/-)
ब. ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम	: ₹ 1,45,56,258/- (पिछले वर्ष ₹ 1,51,39,485/-)
ग. 'षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिष्ठत	: 98.90% (पिछले वर्ष 97.64%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राष्ट्रीय	
iv. उपमानक	: ₹ 2,67,189/- (पिछले वर्ष ₹ 4,58,525/-)
v. संदेहपूर्ण:	: ₹ 8,25,171/- (पिछले वर्ष ₹ 11,23,726/-)
vi. परिसंपत्तियों की हानि	: ₹ 1,32,00,000/- (पिछले वर्ष ₹ 1,32,00,000)
ड. वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राष्ट्रीय का प्रावधान	: ₹ 1,68,62,766/- (पिछले वर्ष ₹ 1,69,69,387/-)

नोट 29 (viii) : लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित घमिल हैं:

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा शुल्क:	₹. 2,30,000/- (पिछले वर्ष ₹ 2,30,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामले: लेखा परीक्षा कर पुल्क:	₹. 50,000/- (पिछले वर्ष ₹ 50,000/-)
(ग) कंपनी संबंधित विधि मामले:	₹. 'षून्य' (पिछले वर्ष: षून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएं	₹. 'षून्य' (पिछले वर्ष: षून्य)
(ड) लेखा परीक्षक शुल्क	₹. 'षून्य' (पिछले वर्ष षून्य)
(च) अन्य सेवाएं	₹. 'षून्य' (पिछले वर्ष षून्य)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	₹. 'षून्य' (पिछले वर्ष षून्य)
कुल	₹. 2,80,000/- (पिछले वर्ष ₹. 2,80,000/-)

नोट 29 (ix) : प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक (बैठक पुल्क)	: ₹ 49,737
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक पुल्क)	: ₹ 1,29,896

ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक के परिवहन पर किए गए व्यय ₹. षून्य/- (पिछले वर्ष ₹. षून्य/-) निगम के प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान षून्य/- थी। (पिछले वर्ष: षून्य/-)

नोट 29 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:

- सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड
- साथी सहायक: "षून्य
- सहयोगी: "षून्य
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंपनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है। इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है।

ख. दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

	सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इकिवटी अंष्टान	षून्य	षून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	षून्य	षून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	षून्य	षून्य
राजस्व आय	षून्य	षून्य
राजस्व व्यय	षून्य	षून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	षून्य	षून्य
प्रदान की गई गांरटी	षून्य	षून्य
पारिश्रमिक	षून्य	षून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2024-25	2023-24
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (षुद्ध)	शून्य	शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गांरटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेष/म्यूचल फंड/ बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटाये गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटाये गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी 'बेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गांरटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्मान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक 'क')

नोट 29 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 30: अतिरिक्त विनियामक जानकारी

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुपात हैं।

विशेष	विशेष	हर	हर	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	मिन्नता
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ	41169	3.31	43405	38.25%
ऋण-इकियटी अनुपात	दीर्घकालिक ऋण-अल्पकालिक ऋण	शेयरधारक इकियटी	12428	12.61	18115	19555
इकियटी अनुपात पर रिटर्न (%)	ब्याज, कर, मूल्यव्यापास और परिशोधन के बाद आय	शेयरधारक की औसत इकियटी	13833	1097	1097	1097
इकेंट्री टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत इकेंट्री	4349	3.96%	3330	3.04%
व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापार प्राप्त	51772	4.09	49008	3.54
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देय	12652	12652	13826	32.94%
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	कारोबार	औसत कार्यशील पूंजी	51772	39.67	49008	43.10
जुड़ लाभ अनुपात (%)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	1305	1305	1137	1137
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	26123	9.59	22779.01	2764
नियेश पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	कुल संपत्ति	5741	1.92	49008	2.08

नोट 31 एमएसएमई रिपोर्टिंग:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नीचे दी गई है:

विवरण	चालू वर्ष ₹ (लाख में)	पिछले वर्ष ₹ (लाख में)
(क) वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और उस पर देय ब्याजः – सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि – देय ब्याज	216.44	236.32
(ख) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
(ग) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि।		
(ड) आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	शून्य	शून्य
कंपनी निविदा के समय सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त करके एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्टर की पहचान करती है। सूचना केवल प्राप्त जानकारी की सीमा तक ही एकत्रित की गई है।		

नोट 32 पुनर्समूहनः

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ों के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहीकृतध्युनर्वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची III। अनुदेश संख्या 2 के अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के समेकित वित्तीय विवरण अतिरिक्त सूचना-

अस्तित्व का नाम	षुद्ध परिसम्पत्ति—कुल परिसम्पत्ति से घटाकर कुल देयता	लाभ अथवा हानि में घेयर		
1	2	3	4	5
मूल	132.32	301.91	120.67	57.41
सहायक				
भारतीय				
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड	-32.32	-73.37	-20.67	-9.84
विदेशी				
सभी सहायकों को कम ब्याज				
सहायक (इकिवटी सूत्र के अनुसार निवेष)				
भारतीय				
विदेशी				
संयुक्त कार्य (पूर्व यथानुपात समेकन / इकिवटी सूत्र के अनुसार निवेष				
भारतीय				
विदेशी				
कुल	100.00 %	228.54	100.00 %	47.59

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Government Undertaking)
SRI VIJAYA PURAM**

37th ANNUAL REPORT

2024 - 2025

Contents	Page No.
Composition of Board of Directors	01
Directors' Report	03
Auditor's Report	
(a) Statutory Auditors	17
(b) CAG Comments	33
Balance Sheet	34
Statement of Profit & Loss	35
Cash Flow	36
Standalone Financial Statement (Note 1 to 30)	38-61
AOC – 1 relating to Subsidiary Company	62
Segmental Profit & Loss	63
Auditor's Report on Consolidated Financial Statements	64
(b) CAG Comments	73
Consolidated Balance Sheet	74
Consolidated Statement of Profit & Loss	75
Consolidated Cash Flow	76
Consolidated Financial Statement (Note 1 to 30)	78-98

BOARD OF DIRECTORS



Dr. Chandra Bhushan Kumar, IAS
Chairman



Ms. Chanchal Yadav, IAS
Managing Director



Shri Arjun Sharma, IAS
Executive Director



Ms. Pallavi Sarkar, IAS
Executive Director



Ms. Jyoti Kumari, IAS
Executive Director



Shri Pravesh Ranjan Jha, DANICS
Executive Director



**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(ANIIDCO)**

BOARD OF DIRECTORS

Shri Chandra Bhushan Kumar, IAS	Chairman
Ms. Chanchal Yadav, IAS	Managing Director
Shri Arjun Sharma, IAS	Executive Director
Ms. Pallavi Sarkar, IAS	Executive Director
Ms. Jyoti Kumari, IAS	Executive Director
Shri Pravesh Ranjan Jha, DANICS	Executive Director

Company Secretary : **Shri Basuki Nath Sah**

Chief Financial Officer : **CMA P. Raghu Ram**

BANKERS : Indian Bank, Sri Vijaya Puram.
State Bank of India, Sri Vijaya Puram.
Canara Bank, Secretariat, Sri Vijaya Puram.
Axis Bank, Sri Vijaya Puram.

REGISTERED OFFICE : **Vikas Bhawan**
Post Box No. 180
Sri Vijaya Puram - 744 101
Telephone: 03192 -232098, 236242, 246028.
Fax : 03192 - 232076, 232501
E-mail : aniidco@gmail.com
Website : <http://aniidco.and.nic.in>

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

The Board of Directors has pleasure in presenting the Thirty Seventh Annual Report and the Audited Statement of accounts for the year ended 31st March, 2025. The Turnover of the Corporation during the year is ` 517.72 crores against ` 490.80 crores previous year, Profit before tax of the Corporation has decreased to ` 57.43 crores from ` 44.41 crores.

FINANCIAL RESULTS

The highlights of the performance and the financial results for the financial year 2024-25 are given below:

KEY RESULT	2024-25	2023-24
Total Turnover	51,772.49	49,008.23
Profit before Tax	5,743.28	4,440.99
Profit after Tax	4,350.69	3,331.60

The License fee, Excise duty, VAT paid by the Corporation are as under:

Year	2024-25	2023-24
License Fees	354.32	329.02
Excise Duty	16,338.25	12,807.46
VAT	2,871.95	2,809.54
Grand Total	19,564.52	15,946.02

OPERATIONS:

(i) IMFL Division

Performance of IMFL Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	29105.73	28034.37
Other Income	172.15	184.36
Total Revenue	29277.88	28218.73
Cost of Material Consumed	22738.66	22642.32
Remuneration to Employees	450.71	413.87
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	572.52	504.37
Depreciation	1.17	0.82
Total Expenditure	23763.06	23561.38
Operating Profit / (Loss)	5514.82	4657.35
Less: Crop. Overheads	878.87	999.97
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	4635.95	3657.38

Sales of the division is increased from `280.34 crore to `291.05 crore and Operating Profit has been decreased from `46.57 crore to `55.15 crore due to Increase in sales and inclusion Transportation cost from Chennai to Sri Vijaya Puram.

(ii) POL Division

The Corporation is operating nine IOC retail outlets and four consumer outlets in various parts of the Islands. The Corporation is in the process to open three new POL Outlets at Billiground, Ferrargunj and Car Nicobar.

Performance of POL Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	19044.64	17449.27
Other Income	10.64	11.66
Total Revenue	19055.28	17460.93
Cost of Material Consumed	18250.59	16699.28
Remuneration to Employees	318.65	322.05
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	290.38	274.33
Depreciation	56.31	39.59
Total Expenditure	18915.93	17335.25
Operating Profit / (Loss)	139.35	125.68
Less: Crop. Overheads	575.07	622.41
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	(435.72)	(496.73)

The division sold 236.16 lakh liters of POL products during the year as against the sale of 210.99 lakh liters., during the previous year. Although sales quantity has been increased marginally, but not in the quantum to meet the Increased Operating Expenses.

(iii) Tourism Division

The Corporation is engaged in operation of Megapode Resort, Dolphin Resort and Hornbill Nest.

Details of occupancy during last two years (in %)

Unit	2024-25	2023-24
Megapode resort	49.21	52.75
Dolphin resort	55.27	54.65
Horn Bill Nest	46.59	40.67

Performance of Tourism Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	1629.66	1596.79
Other Income	11.21	10.73
Total Revenue	1640.87	1607.52
Cost of Material Consumed	336.20	519.56
Remuneration to Employees	452.02	431.87
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	841.42	724.93
Depreciation	40.27	40.27
Total Expenditure	1699.71	1716.63
Operating Profit / (Loss)	(28.84)	(109.11)
Less: Crop. Overheads	49.21	56.96
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	(78.05)	(166.07)

The Occupancy and Turnover of the division has been increased marginally, but not in the quantum to meet the Increased Operating Expenses.

(iv) Milk Division

The Corporation is engaged in production and marketing of milk and milk products. Performance of Milk division for last two years is as follows:

Performance of Milk Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	1473.74	1433.27
Other Income	-	-
Total Revenue	1473.74	1433.27
Cost of Material Consumed	1026.96	1099.14
Remuneration to Employees	63.17	74.99
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	291.42	233.42
Depreciation	19.05	23.16
Total Expenditure	1400.60	1430.71
Operating Profit / (Loss)	73.14	2.56
Less: Crop. Overheads	44.50	51.12
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	28.64	(48.56)

Operating Profit has been Increased from ` 2.56 lakhs to ` 73.14 lakhs due to increase in sales and decreases in Operating Expenses.

(v) Credit & Finance

The Corporation is providing vehicles on hire to A&N Administration.

Performance of the Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	96.42	58.81
Other Income	-	-
Total Revenue	96.42	58.81
Cost of Material Consumed	0.01	0.01
Remuneration to Employees	13.12	19.43
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	6.12	0.08
Depreciation	52.17	27.48
Total Expenditure	71.42	47.00
Operating Profit / (Loss)	25.00	11.81
Less: Crop. Overheads	2.91	2.10
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	22.09	9.70

Turnover has been Increased due to increase in number of new vehicles hire in current year.

(vi) Projects Division

The income of division includes lease rent received from leasing of land for tourism projects.

Performance of the Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Revenue from operation (Turnover)	400.39	388.06
Other Income	0.36	-
Total Revenue	400.75	388.06
Cost of Material Consumed	0.07	-
Remuneration to Employees	43.50	13.08
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	350.32	84.96
Depreciation	-	-
Total Expenditure	393.89	98.04
Operating Profit / (Loss)	6.86	290.02
Less: Crop. Overheads	12.09	13.84
Profit/(Loss) after Crop. Overhead	(5.23)	276.18

(VII) Corporate Office

The Corporate office act as regulatory body and monitor all the Divisions of the Corporation. Interest earned on fixed deposit is shown as income of corporate office. Corporate expenditure is being distributed among the operational division based on its turnover.

Performance of Corporate Office for last two years (` in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Sales (Turnover)*	21.92	47.67
Other Income	1554.32	1169.73
Total Revenue	1576.24	1217.40
Cost of Material Consumed	0.10	0.68
Remuneration to Employees	1132.68	1293.49
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	396.18	415.17
Depreciation	33.70	37.06
Total Expenditure	1562.66	1746.40
Profit/(Loss)	13.58	(529.00)

(*income from cold storage)

Other Income has been Increased due to Increase in Interest on Fixed Deposits Investments and Refunds of Income Tax with Interest.

FUTURE OUTLOOK

Development of Tourism & Infrastructural Projects

As per the decisions of Island Development Agency (IDA), the Corporation has been appointed as Project Management Agency for implementation of eco-tourism projects on PPP in A&N Islands. A&N Administration has appointed the Corporation as Project Proponent for implementation of Great Nicobar Projects and Development of NSCB Projects. Status of various projects being undertaken by the Corporation is as follows:

- **Four Island Eco Tourism Resort in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep**
For development of eco tourism resorts on PPP in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep, master plan have been finalized by consultant appointed by NITI Aayog. M/s KPMG Advisory Services has been appointed as transaction advisor. SFC under the chairmanship of Union Home Secretary in its meeting held on 03.04.2025 and PPPAC under the chairmanship of Finance Secretary in its meeting held on 02.05.2025 approved the proposal for development of Aves & Smith Island and Long Island & Shaheed Dweep on PPP basis respectively. Accordingly, the bid documents have been finalized in consultation with KPMG, transaction advisor and after approval of Hon'ble LG, RFP will be issued shortly.
- **Development of Megapode Resort**
Megapode Resort is proposed to be developed as a 5-star luxury resort by engaging a leading hotel chain on PPP. Accordingly, M/s Deloitte Touche Tohmatsu India LLP has been appointed as transaction advisor. SFC under the chairmanship of Union Home Secretary in its meeting held on 03.04.2025 approved the proposal for redevelopment of Megapode Resort on PPP basis. Accordingly, the bid documents have been finalized in consultation with Deloitte, transaction advisor and will be issued by 31.07.2025.
- **Holistic Development of Great Nicobar Island project**
Considering the strategic importance of Great Nicobar Island, Govt. of India has conceived the project of holistic development of Great Nicobar Island. The interlinked project of holistic development of Great Nicobar Island apart from setting up of International Container Transshipment Terminal (ICTT) also includes setting up of Greenfield International Airport, Power Plant and Township.
M/s AECOM India Pvt. Ltd. appointed by NITI Aayog prepared the draft Master Plan for the project and carried out the EIA study for Environmental Clearances. EC, CRZ and FC clearance for the project has been granted by MoEF&CC during October/November, 2022.
Corporation has appointed M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. for preparation of detailed Master Plan and DPR for trunk infrastructure, for Township Project which are under finalization. MoPSW, AAI and NTPC have been entrusted the responsibility by Govt. of India for undertaking implementation of project for Port, Airport and Power Plant respectively.
- **Netaji Subhash Chandra Bose Memorial**
Hon'ble Prime Minister renamed Ross Island as "Netaji Subhash Chandra Bose Dweep" to mark 75th anniversary of tricolour hoisting on Indian soil by Netaji Subhash Chandra Bose in the year 1943 and proposed to be developed as National Memorial by Govt. of India. ANIIDCO has appointed M/s Meinhardt Singapore Pte Ltd. as a consultant for preparation of the Development Plan for this National Memorial. The development plan for the project includes components such as DPR, feasibility, project structuring, RFP and finalisation of bidders for the various projects on the island.
The consultant is in the process of preparation of detailed development plan and Detailed Project Report (DPR) and thereafter RFP shall be invited for appointment of specialized agencies for implementation of projects on PPP/EPC.
- **Holistic development of Package IV Islands/11 sites**
UT Administration in consultation with the NITI Aayog and the concerned central Ministries/Departments, has decided to undertake the holistic development of 11 additional islands/sites as phase II of development of eco tourism projects in A & N Islands. The sites have been identified in Diglipur in North Andaman, Mayabunder, Rangat and North Passage Island in Middle Andaman and in South Andaman. Considering the overall intent for facilitating holistic and sustainable development of these shortlisted islands/sites in the islands.

M/s AECOM, appointed by NITI Aayog has carried out land suitability assessment, eco sensitivity analysis, infrastructure assessment, etc. and prepared the draft Master Plan for the identification of projects. It has been decided to take forward implementation of golf course project at Rangachang & Rangachang Extension and setting up of eco tourism resort at Goodwill Estate. Accordingly, the Expression of Interest (EOI) has been invited for setting up of golf course and preparation of bid document for eco tourism resort in Goodwill Estate is under process.

- **Development of Radhanagar Beach, Swaraj Dweep**

Tourism Department, A & N Administration has identified a land parcel measuring 18 hectares along the sea beach of Radhanagar in Swaraj Dweep for development of eco tourism on PPP. The Corporation has undertaken preparation of development plan for Radhanagar beach through in-house consultants.

- **Heritage Tourism Circuit – Chatham, Viper & NSCB Island**

A & N Administration plans to develop a heritage tourism circuit connecting Chatham, Viper and Netaji Subhash Chandra Bose Island. The primary objective of the proposed heritage tourism circuit is to showcase the rich historical significance of Chatham, Viper Island and NSCB Island. ANIIDCO has invited appointed M/s iDeck for preparation of development plan and the consultant has initiated site investigation.

BOARD MEETING:

The Board of Directors duly met five times respectively on 7th June 2024, 23rd September, 2024, 18th October, 2024, 24th December, 2024 and 13th March, 2025, in respect of these meetings, proper notices were given and the proceeding were properly recorded.

EXTRACTS OF ANNUAL RETURN

The extracts of the Annual Return as provided under sub-section 3 of Section 92 of the Companies Act, 2013 is enclosed as **Annexure I** of this report. Copy of Annual Return to be placed at <http://aniidco.and.nic.in>

CSR INITIATIVE

The Corporation is committed to contribute for social causes out of the profits generated. During the Financial Year 2024-25, the Corporation has undertaken various CSR activities for amount of `39.03 lakh towards promotion of health, education, prevention of malnutrition, measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups etc.

The brief outline of the Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Company and the initiatives undertaken by the Company on CSR activities during the year are set out in **Annexure II** of this report in the format prescribed in the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. The CSR policy and details of CSR Committee are available on the website of the Company.

RELATED PARTY TRANSACTION

The Corporation has not entered into contracts or arrangements with related parties falling within the provisions of Section 188 of the Act.

LOAN AND INVESTMENT BY COMPANY

The Corporation has not made any investment, loans or advances or given guarantees or provided securities to other bodies corporate.

SUBSIDIARY COMPANY

The Corporation has one subsidiary company as on March 31, 2025. There are no associate companies within the meaning of Section 2(6) of the Companies Act, 2013 ("Act"). There has been no material change in the nature of the business of the subsidiaries. Pursuant to provisions of Section 129(3) of the Act, a statement containing salient features of the financial statements of the Company's subsidiaries in Form AOC-1 is attached to the financial statements of the Company. Pursuant to the provisions of section 136 of the Act, the financial statements of the Company, consolidated financial statements along with relevant documents will be sent to all members and to be laid in its Annual General Meeting.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of provisions of section 134(3)(C) of the Companies Act, 2013 your Directors confirm as under:

Your Board of Directors confirms:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures (if any);
- That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period;
- That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and irregularities ; and
- That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- That they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating efficiency.

Details of Fraud Reported by the Auditor

No any frauds reported during this financial year by the Auditor.

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditors Report :

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditor's Report is enclosed at Annexure III.

Quality Up-gradation

The management of your Corporation shall leave no stone unturned to upgrade the quality of service and products that are being offered by your Corporation. All workers and senior level management personnel are encouraged to strive for excellence and take measures for quality up gradation.

Auditors

The Auditors M/s Babu & Badat, Chartered Accountants, the Statutory Auditor of your company, retire at the ensuing Annual General Meeting and Statutory Auditor for the Financial Year 2025-26 shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

Internal control system and their adequacy

ANIIDCO has ventured into multifaceted business from trading activities to tourism, development of tourism projects through private sector participation. A system has been put in place to ensure adequate Internal Audit System. Accordingly, your Corporation has engaged M/s Ramesh C Gupta & Co, Chartered Accountants, Sri Vijaya Puram for conduction of Internal Audit of our Corporation during the year 2024-25.

Human Resources

The Corporation owes its success to its people and strongly believes that competent employees alone can help in creating a cutting edge organization and in this behalf a lot of efforts are put in hiring professionals from mainland and nurturing talent within.

We are placing a strong emphasis on building a culture that focuses on performance, building trust, and openness in the organization. We are confident that all these initiatives put together will help ANIIDCO family of around 255 employees in building a new era in the development of this place. To motivate our employees, Corporation has implemented a performance linked incentive scheme based on the report of XLRI, Jamshedpur.

Acceptance of Public Deposit

During the year under review, the Corporation has not accepted or renewed any fixed deposits from the public.

Changes in Directors

The following Directors are changed during the period from the last report:

1. Dr. Chandra Bhushan Kumar, IAS appointed as Chairman, in place of Shri Keshav Chandra, IAS.
2. Ms. Chanchal Yadav, IAS appointed as Managing Director, in place of Shri A.S.P.S. Raviprakash, IAS, who was appointed as Managing Director, in place of Ms. Nandini Paliwal, IAS.
3. Ms. Jyoti Kumari, IAS, and Shri Pravesh Ranjan Jha IAS have been appointed as Executive Director and Dr. Satyendra Singh Dursawat, IAS Dr. Aman Gupta, IAS, Smti. Nandini Maharaj, IAS, Shri C. Arvind and Shri Vishwendra ceased as Executive Directors.
4. The Board places on record its deep appreciation and thanks for the services rendered by Shri Keshav Chandra, IAS, Ms. Nandini Paliwal, IAS, Shri A.S.P.S. Raviprakash, IAS, Dr. Satyendra Singh Dursawat, IAS, Dr. Aman Gupta, IAS, Smti. Nandini Maharaj, IAS, Shri C. Arvind and Shri Vishwendra during their tenure.

Conservation of Energy

The company is engaged in diverse activities and except for processing and packing of milk; it is not involved in any activity that would consume bulk energy. Hence, the energy consumption for the products of the company is negligible. However, your company has made suitable arrangements and it is conscious of the need for conservation of energy wherever possible. 40KWP & 34 KWP capacity of solar installed at Vikas Bhawan and at Milk Plant, Dairy Farm Respectively.

Technological Absorption

Your Corporation has no collaboration arrangement with any foreign organization. All technological inputs are developed in house with the efforts to upgrade the quality of the products.

Foreign Exchange

Foreign Exchange Earning and outgo during the year 2024-25

Earning : Foreign exchange received during the year - Nil

Outgo : During the year - Nil

Risk Management

All material risks faced by your Company are identified and assessed by the Internal Auditor and same is being placed before the Audit Committee on a continuous basis. The Committee oversees your Company's processes and policies for determining risk tolerance and reviews management's measurement and comparison of overall risk tolerance to established levels. Major risks identified by the businesses and functions are systematically addressed through mitigating actions on a continuous basis.

Material changes and commitment affecting financial position of the Company

There has been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year till the date of this report.

Acknowledgments

Your directors would like to place on record their appreciation of the whole hearted support extended by the business associates, customers, bankers, shareholders, auditors and all those associated with the company during the year under review.

Your Directors also wish to extend sincere thanks to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises. Your Directors sincerely wish to thank the Hon'ble Lt. Governor in particular and the A&N Administration in general for the continued guidance and support extended throughout the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sri Vijaya Puram

Dated: 23/07/2025

Sd/-
(Director)

Sd/-
(Managing Director)

Form No.MGT-9**EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2025**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN:- **U74999AN1998SGC000028**
- ii) Registration Date :- **28.06.1988**
- iii) Name of the Company:- **Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited**
- iv) Category / Sub-Category of the Company:- **Government Company**
- v) Address of the Registered office and contact details :- **Vikas Bhawan, Sri Vijaya Puram Post Box No. 180 A&N Islands-744101 Ph: 03192 246028 Web: <http://aniidco.and.nic.in>**
- vi) Whether listed company : **No**
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any – **N. A.**

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SI. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Trading of goods & Manufacturing	46308, 47300, 10501etc.	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	NAME AND ADDRESS OF HE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of share held	Applicable Section
1.	Andaman Fisheries Limited(AFL)	U05001AN1991SG C000035	Subsidiary	100	2(87)

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

The President of India : **85%**
The Lt. Governor, A&N Islands : **15%**

V. Shareholding of Directors and Key managerial Personnel:

Sl.No.	Name of Director	Shareholding at the beginning of the year (1.4.22)	Cumulative shareholding during the year		
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total share of the company
1.	Ms. Nandini Paliwal	1	0	1	0
	At the end of the year (31/03/2025)	0	0	0	0
2.	Shri Vishwendra	1	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2025)	0	0	1	0
3.	Shri A.S.P.S. Raviprakash	0	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2025)	1	0	1	0
4.	Ms. Jyoti Kumari	0	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2025)	1	0	1	0

VI. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment - **Nil**

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

- A. Remuneration to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager:
Rs.49,737/-
- B. Remuneration (sitting fee) to other directors : Rs.1,29,896/-
- C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/
WTD : **NIL**

VIII. PENALTIES /PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES : NIL

Annexure - II

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

The Corporate Social Responsibility (CSR) policy of ANIIDCO is hosted in the website of the Company. The CSR activities undertaken will be within the broad frame work of Schedule VII of the Companies Act, 2013. The CSR projects/ programmes or activities will be undertaken only in A&N Islands. The Corporation will spend minimum 2% and maximum 3% of its average net profit made during the three preceding financial years. Further, CSR activities will be undertaken through a registered trust or a registered society or a Company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or through such Company/ Society/ Autonomous Body/ Government Departments.

During the financial year 2024-25, the Corporation has undertaken CSR activities for promotion of health, education, prevention of malnutrition, measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups etc.

2. The composition of the CSR Committee:

S. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings or CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri A.S.P.S. Raviprakash	Managing Director	3	1
2.	Shri Arjun Sharma	Executive Director	3	2
3.	Ms. Jyoti Kumari	Executive Director	3	1

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.
<http://aniidco.and.nic.in>
4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable.
Not applicable
- 5.a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135.
` 4069.63 lakh
- b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135.
` 81.39 lakh
- c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial year: Nil
- d) Amount required to be set-off for the financial year, if any.
Nil
- e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]
` 81.39 lakh
- 6.a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project):
` 39.03 lakh
- b) Amount spent in Administrative Overheads : Nil
- c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NA
- d) Total amount spend for the Financial Year ` 39.03 lakh [(a)+(b)+(c)]:

e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year :

Total amount Spent for the Financial Year (in `)	Amount Unspent (in `)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of Section 135		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
33,03,000	6,00,000	25.4.2025	-	42,36,000	-

f) Excess amount for set-off, if any: Not Applicable

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sl. No.	Preceding Financial Years(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section(6) of section 135 (in `)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135(in `)	Amount Spent in the Financial Year (in `)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second provision to sub-section (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in `)	Deficiency, if any
					Amount (in `)	Date of Transfer	
1	FY-1	51,99,839/-	36,13,864/-	15,85,975/-	-	-	-
2	FY-2	-	-	-	-	-	-
3	FY-3	30,35,000/-	-	30,35,000/-	-	-	

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

9. Specify the reason(s) if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135

Company made all efforts for spending the required amount. CSR Committee meetings were held on 3rd June, 2024, 12th August, 2024 and 13th February, 2025 and examined the proposal(s) received from the various Department. However, decision on some proposals could not be finalized and same would be considered during the current year. During the year various CSR activities amounting to Rs. 53.06 lakh were approved. Out of 53.03 lakh, 14 lakh which were approved for construction of one fiber boat but same was not constructed due to technical safety compliance. Unspent Amount towards one ongoing project for Rs.6,00,000/- was transferred to a separate Bank Account with SBI, Sri Vijaya Puram, during April, 2025. Further, remaining unspent amount of Rs. 42,36,000 to be transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.

Sd/-
 (Chanchal Yadav)
 Managing Director
 Chairperson
 CSR Committee

Explanation to the qualified opinion mention in the Auditor's Report

1. The PET Bottles testing has been done from Govt. Lab, Chennai and they confirmed that Ethyl alcohol contents of the samples are within the tolerance limit of the declared strength as per Indian Standards of Alcoholic Drinks. Corporation had approached Pollution Control Board, Sri Vijaya Puram, to permit one time permission for sale of these Pet bottles stocks and reply is awaited in FY 2024-25. Therefore the Corporation did not recognize any inventory write off during the Financial Year 2024-25. Decision regarding write off of stocks to be taken there of.
2. The POL Division of the Corporation is regularly following the claim amounting to '106.49 lakh receivable from Indian Oil Corporation (IOC) with its higher official and to be sorted out. The same is pertains to Freight equalization for the period July 2024 to March 2025.
3. The Corporation has issued Performa invoice amounting to '581.70 lakh for the period from August 2020 to March 2024 which were paid from the Corporation Account, and same is not reimbursed. As per MOU, Funds will be received from Industries Department to ANIIDCO, as on date no funds were received from Industries Department.
4. The Corporation has taken Insurance for its Inventories, Assets and Cash against Risks of Fire, Theft and Burglary. However the observation of the statutory auditor is noted and Risk Assessment Policy will be framed from FY 2025-26 onwards.
5. Expenditure incurred towards renovation of leasehold properties is booked under "Repairs & Maintenance of Building", except extension and new construction of the building.
6. The company has complied with all provisions of the Goods and Services Tax (GST) Act, 2017. The observations of the statutory auditor will be reviewed and will be taken care while filing the GSTR-9 in Annual return for FY 2024-2025.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion:

We have audited the accompanying Standalone financial statements of M/s. **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the basis of Qualified Opinion Section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and Profit, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualification Opinion

1. Attention is invited to Note 14 of the Significant Accounting Policies and Notes to the Financial Statements regarding the valuation of inventories. The Company continues to value inventory at the lower of historical cost or estimated net realizable value. As per Notification No. 186 dated 05.09.2019 issued by the Andaman & Nicobar Administration, the manufacture, storage, import, transportation, distribution, sale, and use of PET bottles (for water, beverages, and alcoholic products less than 2L) has been banned. This regulatory action has rendered a substantial portion of the Company's inventory of PET-packaged goods un-saleable in the local market. Despite the above, and notwithstanding that a similar observation was reported in the audit report for the previous year, the Company has not recorded any inventory write-down in the current year's financial statements. As per management records, the value of such affected inventory as on 31.03.2025 is '46.26 lakhs. Accordingly, the closing stock is overstated by '46.26 lakhs, and as a result, the net profit for the year is also overstated by the same amount
2. As per the financial statements, an amount of '106.49 lakhs has been reported as claim receivable from Indian Oil Corporation (IOC) as at 31st March 2025. However, it has been brought to our notice that IOC has not acknowledged this claim, citing either non-submission or inadequacy of supporting documentation by the Company. Consequently, there is significant uncertainty surrounding the recoverability of this amount. In the absence of sufficient details and corroborative evidence regarding the nature, basis, and confirmation of the receivable, we are unable to determine whether the amount is indeed recoverable or if a provision for doubtful debts should have been recognised. This may potentially result in an overstatement of receivables and profit by '106.49 lakhs.

3. As per Article 3.2(i) of the "Agreement for GNI – Project", the Company is entitled to reimbursement of actual project-related expenditure along with an administrative charge of 20% plus applicable GST, excluding capital expenditure. However, it was noted that the Company has not raised formal tax invoices to the Administration in accordance with the terms of the agreement and has only issued a proforma invoice amounting to '581.70 lakhs for the period from August 2020 to March 2024. Consequently, no revenue has been recognised in the books for this period. This omission has resulted in a material understatement of both revenue and receivables, thereby distorting the financial performance and position reported as at 31st March 2025.
4. The Company operates through multiple verticals including liquor distribution, tourism development, and civil infrastructure projects. Each of these segments has unique operational, regulatory, and financial risks. However, the Company does not maintain a formal risk register or risk assessment documentation that identifies and evaluates the risks relevant to these segments.
5. The Company has incurred significant expenditure, including '119 lakhs on renovation of leasehold properties and on the Megapode Resort, which is capital in nature. However, these amounts have been incorrectly charged to revenue under 'Repairs & Maintenance of Building' instead of being capitalized as fixed assets in accordance with Accounting Standard (AS) 10 – Property, Plant and Equipment. This misclassification has resulted in an understatement of both profit and fixed assets by the corresponding amount, indicating non-compliance with the applicable accounting standards on asset recognition and capitalization.
6. Discrepancies were noted between output supply reported in GSTR-1 and GSTR-3B, and in Input Tax Credit balance between the GSTN portal and the Company's books of account. In the absence of sufficient documentation and reconciliations, we are unable to determine the potential impact on the financial statements.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are

reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
- Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

- Provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters disclosed in the notes to the financial statements:

1. The Company's internal audit system is inadequate given its size, complexity, and operations. The current framework lacks sufficient scope in critical areas such as statutory compliance, inventory control and valuation, and revenue recognition, posing a risk of undetected material misstatements and weakening internal controls. Additionally, the internal audit report for the fourth quarter has not been submitted as of the audit report date, highlighting a significant deficiency that impairs timely detection and rectification of errors or irregularities.
2. The financial statements include an amount of '35.40 lakhs under "Suspense Account(Credit)" and '0.42 lakhs under "PMF (Suspense) Account", which remain outstanding as at the balance sheet date. The management has not provided sufficient appropriate audit evidence to support the nature of these balances. In the absence of adequate information and documentation, we are unable to determine whether any adjustments to these amounts are necessary. Accordingly, we are unable to determine the impact, if any, on the financial statements.
3. We draw attention to the matter relating to the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) obligations for the financial year ended 31st March 2025. As explained to us and based on our examination of the records, the Company had a CSR obligation of '81.39 lakhs, out of which '33.03 lakhs was spent on CSR activities and '6.00 lakhs was deposited into the designated CSR bank account as required under Section 135(6) of the Companies Act, 2013. The remaining unspent amount of '42.26 lakhs does not pertain to any ongoing project. Accordingly, the Company is required to transfer the said amount to a fund specified in Schedule VII within six months from the end of the financial year in accordance with Section 135(5) of the Act. As of the date of this report, the transfer has not yet been made, although the due date has not elapsed. The Company has also indicated that, while it intends to comply with the statutory requirement, it will not be able to apply this unspent amount towards addressing certain identified local area needs. This is not in alignment with the guiding principle in the Company's CSR policy and the proviso to Section 135(5), which emphasizes giving preference to the local area of operation.
4. Based on the information made available to us, the Company has identified suppliers registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, through confirmations obtained from vendors and data compiled to the extent received. However, in the absence of sufficient and appropriate audit evidence, we are unable to verify delays, if any, in payments to such MSME suppliers, the corresponding liability for interest, and compliance with the provisions of the MSMED Act. (Refer Note 6(a) to the Standalone Financial Statements).

5. The Company had incurred an expenditure of `232.45 lakhs in prior financial years towards the "Niti Aayog Project." We have been informed through management representation that the Government of India has subsequently designated a different implementing agency for the project. However, as of the date of our audit, no formal communication, revised implementation framework, or documentary evidence detailing the transfer of responsibilities, treatment of previously incurred costs, or reallocation of funds to the newly appointed agency has been provided for our verification. Moreover, the Company has not clarified whether the expenditure already incurred will be recognised, reimbursed, or regularised by the new agency. In the absence of such information and sufficient supporting documentation, we are unable to assess the appropriateness of the recognition and classification of the said expenditure, or its potential impact on recoverability and any continuing obligations of the Company in relation to the project.
6. The Company has made investments in and extended loans and advances to its wholly owned subsidiary, M/s Andaman Fisheries Limited. As of 31st March 2025, the subsidiary has incurred significant accumulated losses and its operations have remained closed for a prolonged period, raising substantial doubt over its ability to continue as a going concern. Management has represented that a 100% provision has been made against these investments and advances, considering the impaired financial position of the subsidiary. However, in the absence of a formal fair valuation or an impairment assessment in accordance with Ind AS 36 (Impairment of Assets), and without adequate documentation supporting the basis for the provision, we are unable to assess the appropriateness and sufficiency of the provision recognised by the Company.
We also note that while there is no further financial exposure to the subsidiary, no formal revival or exit strategy has been prepared by management. In our view, it is prudent for the Company to undertake a structured evaluation of options such as restructuring, disposal, or winding up of the subsidiary to ensure appropriate closure and to avoid any potential future obligations or compliance risks.
7. The Company has recognized a provision of `6 lakhs towards loss on investment in Webcon Consulting (India) Ltd. However, no valuation of the shares was carried out to support this provision. In the absence of such valuation, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to assess the reasonableness of the provision. Accordingly, we are unable to comment on the possible adjustments, if any, required to the provision for loss on investment, the carrying value of the said investment, and the consequential impact on the financial statements for the year ended 31st March 2025."
8. Unlinked debits and credits are being carried forward in the accounts from previous years without proper identification or reconciliation. The existence of such un-reconciled balances indicates a weakness in the accounting and reconciliation processes and may impact the correctness of account balances presented in the financial statements. In the absence of adequate justification and reconciliation for these items, we are unable to comment on the accuracy and completeness of the related account balances as presented in the financial statements.
9. As described in Note 13(a) to the financial statements, the Credit and Finance department does not maintain income recognition and asset classification on a borrower-wise basis in the accounting system. Instead, consolidated journal entries are recorded at the year-end based on the maintained register. Additionally, the standard practice of periodically reviewing the existence and value of security to ascertain the required provisions as per RBI norms is not followed. The Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the accuracy and completeness of income recognition, asset classification, and the provisions for required security valuation in accordance with RBI norms. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.

10. As disclosed in Note 4(b) to the financial statements, the grant-in-aid balance of '150.39 lakhs has remained unadjusted in the balance sheet for the current year as well as for several preceding years. Management has not provided sufficient and appropriate audit evidence to establish the existence and accuracy of this balance. Accordingly, we were unable to determine whether any adjustments to the reported amount are required. We recommend that the Company carry out a comprehensive reconciliation of the grant-in-aid records, supported by appropriate documentation, and effect necessary adjustments in the financial statements based on verified confirmations and approvals.
11. During the course of our audit, we reviewed the records of the Petroleum, Oil, and Lubricants (POL) Division and observed discrepancies between physical stock and book records at the Swaraj Dweep (Havelock) storage facility. Physical verification revealed shortages of 3,480.626 liters of High-Speed Diesel and 3,010.680 liters of Unleaded Petrol. We have been informed that the discrepancies were acknowledged by the responsible staff member, and the Company has initiated recovery proceedings. The value of the shortages has been accounted for under "Receivables from Staff" in the financial statements. While the accounting treatment has been disclosed, the underlying issue highlights a significant deficiency in the internal control system governing inventory management—particularly in areas of stock monitoring, periodic reconciliation, and custody controls at the divisional level—raising concerns regarding the effectiveness of controls in safeguarding the Company's assets.
12. The existing system for obtaining balance confirmations in respect of deposits, advances, trade receivables, and trade payables is inadequate. In a majority of cases, such external confirmations were not available. As a result, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence as required under SA 505 – External Confirmations, and are therefore unable to comment on the existence, accuracy, or completeness of these balances, or any potential adjustments or disclosures that may be required. Consequently, the impact, if any, on the standalone financial statements arising from the non-receipt of confirmations for trade receivables, trade payables, other current assets, and other current liabilities could not be determined.
13. We draw attention to Note 9 of the financial statements. Certain fixed assets, including vehicles that have exceeded their prescribed useful lives, continue to be carried at residual value without charging further depreciation. As per Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment, depreciation should continue until the asset is derecognised, and for assets that remain in use beyond their useful life, a reassessment of the asset's estimated useful life and residual value is required, with depreciation charged accordingly. The current practice results in a non-compliance with Ind AS 16, leading to an overstatement of fixed assets by '68.02 lakhs and an understatement of accumulated depreciation. We recommend that the Company undertake a one-time comprehensive review to identify and formally write off such obsolete assets, with appropriate approval from the Board, to ensure accurate financial reporting and adherence to the applicable accounting standards.
14. We observed that the Company currently invests its surplus funds in fixed deposits with scheduled commercial banks. However, no formal investment policy has been framed and approved by the management or the Board of Directors to govern the deployment of such surplus funds. In the absence of a documented investment policy, there is a lack of defined criteria with respect to risk assessment, diversification, maturity period, liquidity management, and yield optimization. Establishing a formal investment policy would help in ensuring transparency, consistency, and alignment with the Company's financial objectives, while safeguarding surplus funds.
15. We draw attention to Note 10(i) of the financial statements, which describes a pending arbitration matter involving a claim by the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) for interest at 18% per annum from May 1992, relating to the buy-back of 33,000 equity shares of '10 each under the equity participation scheme. The Company has recognised a provision of '5.39 lakh in respect of this claim. The matter is currently under arbitration pursuant to the appointment of an Arbitrator by the Hon'ble High Court at Ernakulam.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub- section (11) of Section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order, to the extent applicable.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure B" on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and rules made there under, as applicable;
 - e. The matter described in the basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - f. We have been informed that the provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India
 - g. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C".
 - h. We are informed that the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015
 - i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer to Note 27(i)(a)&(b) and 27(v) to the financial statements.
 - ii. The company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - iii. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - iv. The management has disclosed that, to the best of its knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in
- b. any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
- c. Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- d. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. As stated in Note 31 to the standalone financial statements:

- a. The final dividend paid by the Company during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend.
- b. The Board of Directors of the Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software systems. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

**For BABU AND BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E**

**Sd/-
CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M.No.065814
UDIN: 25065814BMIFGX8079**

**Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07/2025**

**The Annexure referred to in paragraph 1 of Our Report on
"Other Legal and Regulatory Requirements"**

We report that:

- (i) (a) The company has generally maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; However, reconciliation of the records of physical verification and book records are not done.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the company.
- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(d) of the Order is not applicable to the Company.
- (e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.

(ii) (a) As explained to us & on the basis of the records examined by us, in our opinion, physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. In our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. No discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on physical verification of stocks by the management as compared to book records. Minor discrepancies noticed during physical verification were properly dealt within the books of account.

As per the information and explanations given to us, discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were not material and have been properly dealt with in the books of account except for certain instances of shortages amounting to '4.94 Lakhs at POL, ROL, Swaraj Dweep. These shortages were identified as being caused by the staff of the company and appropriate actions have been taken by the management, including disciplinary actions and recovery proceedings.

- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not been sanctioned during any point of time of the year, working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

- (iii) The company has not granted loan secured/unsecured to any person covered in the Register maintained U/s 189 of the Companies Act, 2013, hence sub-clause 3(iii)(a), 3(iii)b & 3(iii) (c) of the order are not applicable.
- (iv) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records, the company has not granted any loan or given any guarantee and security covered under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.
- (v) The company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits covered under sections 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.
- (vi) As per information & explanation given by the management, maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.
- (vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the following dues of Provident Fund, Income Tax have not been deposited by the Company on account of any dispute:

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (Rs)	Period	Forum where dispute is pending
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952	Provident Fund	21,29,568.00	2001-04	Hon'ble High Court- Sri Vijaya Puram.
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952	Provident Fund	22,60,043.00	2005-09	EPF Appellate Tribunal, New Delhi
Income Tax Act,1961	Income Tax	2,25,80,280.00	2017-18	CIT(Appeal)-NFAC

*Note: The amount is under reassessment by the Employees' Provident Fund (EPF) authority as per the directions of the Hon'ble High Court, Sri Vijay Puram, and the matter is pending as on the balance sheet date.

- (viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.
- (ix) The company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

- (xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the course of audit. Based on our audit procedures and the information and explanations given to us, we report that the company has identified instances of shortages of stocks amounting to `4.94 Lakhs which were found to be caused by the staff of the company. The management has taken appropriate actions in this regard.
 - (b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
 - (c) According to the information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints had been received by the company.
- (xii) The company is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii)(a), 3(xii)(b) and 3(xii)(c) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, where applicable and the details have been disclosed in the financial statements, as required by the applicable accounting standards;
- (xiv) In our opinion, the Company's internal audit system is not commensurate with its size and the nature of its business. The internal audit framework lacks adequate coverage in critical areas such as statutory compliance, inventory control and valuation, and revenue recognition. Further, the internal audit report for the fourth quarter had not been submitted as of the date of our audit report, impacting the timeliness and effectiveness of internal control monitoring.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence, provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- (xvi) According to the information and explanation given to us, the company has no registration under Non-Banking Financial Corporation U/s 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.
- (xvii) Based on our examination, the company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

(xx) (a) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company had a Corporate Social Responsibility (CSR) obligation of '81.39 lakhs for the financial year ended 31st March 2025. The Company incurred '33.03 lakhs towards CSR activities and deposited '6.00 lakhs into the designated CSR bank account, as required under Section 135(6) of the Companies Act, 2013.

(b) The remaining unspent amount of '42.26 lakhs does not pertain to any ongoing project. Accordingly, in terms of Section 135(5) of the Companies Act, 2013, the Company is required to transfer the said amount to a fund specified in Schedule VII within six months from the end of the financial year. As at the date of this report, the Company has not yet made this transfer, although the due date has not elapsed.

**For BABU & BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E**

**Sd/-
CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M. No. 065814
UDIN: 25065814BMIFGX8079**

**Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07 /2025**

**ANDAMAN & NICOBAR ISLAND INTEGRATED DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Sl. No.	Directions	Action Taken	Impact on standalone financial statement.
I	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	All the accounting transactions are done through IT software package developed by Tally Solution Private Limited. No accounting transactions are done outside the IT System. So the implication of processing transactions cannot be determined.	Nil
II	Whether there is any restricting of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No loan has been restructured during the year.	Nil
III	Whether funds received /receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The Company has properly accounted for/ utilized funds (grants / subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies, as the case may be, as per its term and conditions.	Nil

For BABU & BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

Sd/-
CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M. No. 065814

Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07/2025

Independent Auditor's Report of even date on the internal financial controls of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (Annexure "C")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited as at March 31, 2025, in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial control system over financial reporting.

Meaning of internal financial controls over financial reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable

detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management of override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified in the operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements as at March 31,2025.

- 1) In our opinion, the Company's internal audit system is not commensurate with its size and the nature of its business. The internal audit framework lacks adequate coverage in critical areas such as statutory compliance, inventory control and valuation, and revenue recognition.
- 2) Stock discrepancies were noted at the Swaraj Dweep (Havelock) POL facility. Though the shortages were acknowledged, recorded as "Receivables from Staff," and recovery proceedings initiated, the matter indicates a material weakness in internal controls over inventory. The control failure appears to be recurring and highlights systemic deficiencies in stock monitoring, reconciliation, particularly at remote locations. This raises concerns over the effectiveness of both preventive and detective controls and suggests inadequate divisional oversight and accountability. In our view, the Company has not maintained an adequate internal financial control system over inventory management, which may impact the safeguarding of assets and the reliability of financial reporting.
- 3) We draw attention to Note 15 of the financial statements, which discusses the significant deficiencies in the Company's internal controls over trade receivables and collections. The Company did not have sufficient controls in place to ensure timely follow-up on overdue receivables, resulting in delays in collections and increased credit risk.
- 4) An un-reconciled balance of '35.40 Lakhs under "Suspense Account" and '0.42 Lakhs under "PMF (Suspense) Account" represents receipts from unidentified parties. This reflects a deficiency in controls over customer receipt identification and reconciliation, resulting in incomplete reconciliation of trade receivables

A "material weakness" is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company's annual or interim financial statements may not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above on the achievement of the objectives of the control criteria, the company has maintained, in all material respects, adequate financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as of March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended March 31, 2025 and the material weakness has effected our opinion on the standalone financial statements of the company and we have accordingly issued a modified report on the standalone financial statements.

**For BABU & BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E**

**Sd/-
CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M. No. 065814
UDIN: 25065814BMIFGZ3855**

**Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07/2025**

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT, CENTRAL, KOLKATA.**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA, UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013, ON THE FINANCIAL STATEMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025.

The preparation of financial statement of Andaman & Nicobar Islands Integrated development Corporation Ltd., for the year ended 31 March 2025, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013, is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor, appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act, based on independent audit, in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 July 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated development Corporation Ltd., for the year ended 31 March 2025, under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditor's report under section 143(6) (b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of
India**

Place: Kolkata

Date:

**Sd/-
(Uday Shankar Prasad)
Director General of Audit
Central (Kolkata)**

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)
STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31st March 2025

(` In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' fund			
Share capital	2	1,097.01	1,097.01
Reserves & surplus	3	28,939.88	25,589.10
Non-current liabilities			
Other long term liabilities	4	181.45	179.03
Long term provisions	5	1,223.68	1,261.34
Current Liabilities			
Trade payables			
a. Micro enterprises and small enterprises	6	216.14	236.23
b. Others		2,776.34	2,165.91
Other current liabilities	7	2,169.30	1,815.04
Short term provisions	8	7,229.51	13,861.12
TOTAL		43,833.61	46,204.78
ASSETS			
Non-current Assets			
Fixed assets			
a. Property, Plant and Equipment	9	2,333.30	2,337.77
b. Intangible		4.52	3.66
c. Capital work-in-progress		-	74.35
Non current investments	10	-	-
Long term loans & advances	11	32.34	26.19
Deferred tax assets (Net)	12	291.01	349.50
Other Non-current Assets			
Term loan by C&F division	13	9.76	14.62
Current Assets			
Inventories	14	7,449.75	5,202.01
Trade receivables	15	1,294.52	1,315.40
Cash & cash equivalents	16	22,743.83	20,307.14
Short term loans & advances	17	9,666.48	16,463.22
Other current assets	18	8.10	110.92
TOTAL		43,833.61	46,204.78

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 32

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat Chartered Accountants FRN - 321009E (Imran Hashim Badat) Partner Membership No. 065814 UDIN : 25065814BMIFGX8079 Place: Sri Vijaya Puram Date: 25 July., 2025	Sd/- P. Raghu Ram (Chief Financial Officer)	Sd/- Basuki Nath Sah (Company Secretary)
	Sd/- Pravesh Ranjan Jha (Director) DIN : 10942830	Sd/- Chanchal Yadav (Managing Director) DIN : 07487074

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

STANDALONE STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2025
(` In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Revenue from operations	19	51,772.49	49,008.23
Other income	20	1,748.68	1,376.47
Total Revenue		53,521.17	50,384.70
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	1,013.59	1,230.21
Purchases of Stock-in-Trade	22	43,250.70	36,220.83
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	(2,189.76)	3,202.67
Employee benefit expenses	24	2,473.83	2,568.78
Depreciation and amortization Exp.	9	202.47	168.38
Operation and other expenses	25	3,026.70	2,552.84
		47,777.89	45,943.71
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax		5,743.28	4,440.99
Exceptional items - Provision written back		15.92	1.49
Profit Before extraordinary items and tax		5,759.20	4,442.49
Less: Provision for Current Tax		1,442.34	1,195.03
Less: Provision for Deferred Tax made		58.49	-
Add : Excess Provisions of Income Tax		92.32	-
Add: Provision for Deferred Tax written back / Made		-	84.14
Balance available for appropriation		4,350.69	3,331.60
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	396.60	303.70

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 32

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer) Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
UDIN : 25065814BMIFGX8079
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25 July., 2025

Sd/-
Pravesh Ranjan Jha
(Director) Sd/-
Chanchal Yadav
(Managing Director)
DIN : 10942830 DIN : 07487074

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

STANDALONE CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2025
(` In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<i>Net profit before tax and extraordinary items</i>	5,743.28	4,440.99
Adjustments for :		
Depreciation	202.47	168.38
Interest on Fixed Deposit	(1,328.95)	(1,164.35)
Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	-	8.29
Provision written back	15.92	1.49
Lease Rent Income	(399.65)	(388.06)
Operating profit before working capital changes	4,233.07	3,066.74
Adjustment for :		
Decrease /(Increase) in Inventories	(2,247.73)	3,421.64
Decrease /(Increase) in Trade Receivables	20.88	(364.68)
Decrease /(Increase) in Accrued Interest	15.23	(244.81)
Decrease /(Increase) in Current Loans & Advances	6,712.76	(1,875.27)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	356.68	(236.85)
Increase/(Decrease) in Trade Payables	590.65	(668.54)
Decrease/(Increase) in other Current Assets	87.58	139.94
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	(7,981.63)	(1,124.40)
Decrease/(Increase) in Term Loan from C&F Division	4.86	10.62
Decrease/(Increase) in Dividend Tax	83.98	-
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	1,876.33	2,124.39
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	399.65	388.06
Increase/(Decrease) in Long Term Provision	(37.66)	295.01
Decrease/(Increase) in Long Term Loans & Advances	(6.15)	26.53
Addition to Fixed Assets (net)	(201.38)	(384.06)
Change in Capital Work-in-Progress	74.35	2.10
Interest on Fixed Deposit	1,328.95	1,164.35
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.54	2.35
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	1,560.30	1,494.34
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	(999.93)	-
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES - (C)	(999.93)	-
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	2,436.69	3618.55
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	20,307.14	16688.59
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	22,743.83	20,307.14
	2,436.69	3,618.55

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2025

1. The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Figures in brackets indicate cash outgo.
3. Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to conform to the current period classification.
4. Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	(` In Lakhs)	
	Amount	Amount
Cash and cash equivalents	766.12	1,265.10
Other Bank balances	21,824.11	18,945.07
Balances with Non-Scheduled Banks	7.81	16.44
Cash in hand	145.79	80.53
TOTAL	22,743.83	20,307.14

5. Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `31.06 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY `28.63 Lakhs)

This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer) Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
UDIN : 25065814BMIFGX8079
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25 July., 2025

Sd/-
Pravesh Ranjan Jha
(Director) Sd/-
Chanchal Yadav
(Managing Director)
DIN : 10942830 DIN : 07487074

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2025.

NOTE 1: -Summary of Material Accounting Policies and explanatory information

1. Corporate Information:

Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO) was incorporated on 28th June 1988 under the Companies Act 1956 for rapid economic growth of the Islands. The main objective of the Corporation is for holistic and sustainable development of the territory. ANIIDCO is engaged in the business of:

- Trading Petroleum Products, Indian Made Foreign Liquor (IMFL), Milk & Milk products.
- Operating Megapode Resort & Hornbill Resort at Sri Vijaya Puram and Dolphin Resort at Swaraj Dweep Island.
- Implementation of Infrastructure Development Projects in A&N Islands through PPP mode.

2. Material Accounting Policies:

Basis of preparation and statement of compliance:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India ('Indian GAAP') to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards ("AS") specified under Sec 133 of the Companies Act 2013 ("the Act"), read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Act and pronouncements of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The financial statements have been prepared on accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent with those used in the previous year.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III of the Act. Based on the nature of work, the Company has ascertained its operating cycle as up to twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

3. Use of Estimates:

The preparation of accounts requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and disclosure of contingent liabilities at the date of financial statement, the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current event and actions, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual results and estimates are recognized prospectively in the period in which the results are known/ materialized.

4. Property, Plant and Equipment:

All property, plant and equipment are stated in the Balance Sheet at cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. The cost of an asset comprises its purchase price plus any directly attributable cost of bringing the asset to the present location and working condition for its intended use. Subsequent expenditures, if any, related to an item of fixed assets are added to its book value only if they increase the future benefits from existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

5. Intangible Assets:

Intangible Assets comprises Computer Software which are stated at cost and are amortized over a period of 3 years.

6. Depreciation / Amortization:

In respect of fixed assets (other than freehold land and capital work-in-progress) acquired during the year, depreciation / amortization is charged on straight line basis so as to write off the cost of the assets over the useful life as per schedule II of the Companies Act, 2013. Written down value of the assets acquired prior to April 1, 2014 are being depreciated over their remaining useful life as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013.

In respect of addition to fixed assets, depreciation is provided from the date of addition on pro-rata basis. In respect of fixed assets sold or discarded, depreciation is provided up to the date prior to the date of sale/discard on pro-rata basis. Depreciation on assets whose actual cost doesn't exceed Rs 5000/- has been provided 100%.

7. Impairment of Assets:

In accordance with Accounting Standard 28 the carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal and external factor, an impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price or value in use. In assessing value the estimated future cash flows are discounted to its present value at reasonable discounted rate. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the levels, for identification of cash generating units. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists then the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

8. Expenditure during Construction:

In the case of new industrial units and substantial expansion of existing units, all pre-operating expenditure incurred up to the date of installation is capitalized and added pro-rata to the cost of fixed assets.

9. Investments :

Long term Investments are stated at cost. Provision for diminution in the value of each long term investment is made to recognize a decline, other than that of temporary nature and shown separately.

10. Inventories :

Inventories are valued at lower of historical cost and estimated net realizable value. Historical cost is arrived at by adding purchase cost and any other cost incurred to bring the inventory to its respective location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is computed on a FIFO basis.

11. Revenue Recognition:

Sale of Goods

Sales are recognized when significant risk and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer which coincides with the delivery. Sales are generally recorded net of trade discounts except the sales in Megapode Resort and Milk & Milk products, which are booked in gross value.

Revenue from Services

Revenue from services rendered is recognized as and when the service is performed and it is reasonable to expect ultimate collection.

Interest & Commission income is recognized on accrual basis.

Dividend from investments is recognized when the right to receive the payment is established.

Selling prices are determined as per formula approved by A&N Administration in respect of IMFL products. The petroleum products are sold at the selling price fixed by IOC Ltd. In case of Milk, other goods and services the selling prices are determined by the company.

12. Foreign Currency Transactions:

i. Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency prevailing at the date of the transaction or that approximates the actual rate at the date of the transaction.

ii. Conversion

Exchange Differences

Foreign currency assets and liabilities as on the Balance Sheet date are revalued in the accounts on the basis of exchange rates prevailing at the close of the period and exchange loss/gain arising there from, is adjusted to the cost of fixed assets or charged to the Profit & Loss Account, as the case may be.

13. Employee Benefits:

- a) Provident Fund is a defined contribution scheme and contributions during the year are charged to Statement of Profit & Loss.
- b) Deposit Linked Insurance is recognized as contributed to Regional PF Office.
- c) Provision for Leave Encashment is made for value of unutilized leave due to employees at the end of the year on actuarial basis.
- d) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided on the basis of actuarial valuation made till Financial year 2015-16 by way of contribution to the Gratuity Fund to a Group Gratuity policy with Life Insurance Corporation of India. From 2016-17, the same has been made on the basis of actual payment made to LIC.
- e) Provision for performance related incentives are made as per the "Performance Related Incentive Scheme" of the Company.
- f) Provision for LTC/AFSP has been provided for all the employees based on their dependent family members, entitlement for their particular grade pay, unutilized LTC benefit due to employees at the end of the year, on actuarial basis.

14. Government Grants and Subsidies:

Grants and subsidies from the government are recognized when there is reasonable assurance that the grant/subsidy will be received and all attaching conditions will be complied with.

When the grant or subsidy relates to an expense item, these are deducted from related expense, which is intended to compensate. Where the grants or subsidy relates to an asset, its value is deducted in arriving at the carrying amount of the related asset.

15. Taxation:

The tax expense comprises of current taxes and deferred taxes. Current tax is the amount of income tax determined to be payable in respect of taxable income for a period as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"). The Company accounts for tax credit in respect of Minimum Alternate Tax ("MAT") in situations where the MAT payable is higher than tax payable under normal provisions of the IT Act. The credit so availed is adjusted in future years when the tax under provisions is higher than MAT payable to the extent of the difference.

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, in respect of deferred tax asset(s) on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period and is measured using tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax asset(s) are reviewed at each Balance Sheet date to re-assess realization, considering the reasonable virtual certainty of each such realization.

16. Prior-period Adjustments:

Any error or omission in disclosing income & expenditure pertaining to prior period are ratified/adjusted in the current year and the net effect has been disclosed separately in the Statement of Profit & Loss.

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of

which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation but probably will not require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs. Provision for Bad and doubtful debts have been made in accounts for receivable laying more than three years.

18. Dividend and Tax Thereon:

Annual dividend proposed by directors is provided in accounts, subject to the approval of members at the Annual General Meeting.

19. Earnings per Share:

Basic earning per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

20. Cash Flow Statement:

Cash flows are reported using indirect method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated. Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at bank, cash / cheque(s) in hand and short-term deposit to be matured in less than 12 months period.

21. Segment Reporting Policies as per AS - 17

(i) Identification of Segments:

Primary Segment

Business Segment:

The company's operating businesses are organized and managed separately according to the nature of products, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and services in different markets.

Secondary segment

Geographical segment:

The company does not have Geographical segment.

(ii) Allocation of common Costs: Common allocable costs are allocated to each segment according to the relative contribution of each segment to the total sales of the Company.

(iii) Unallocated Items: The corporate and other segment include general corporate income and expense items, which are not allocated to any business segment.

22. Previous Year Figures:

Figures of the previous year has been re-grouped and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current year figures.

23. Rounding Off:

Figures in Rupees given in the financial statements are rounded off to nearest rupees in lakh. Quantitative figures are rounded to the nearest unit wherever required.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2025
(In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	
NOTE : 2 <u>Share Capital</u>			
<u>Authorised</u>			
50,00,000 Equity shares of `100/- each	5,000.00	5,000.00	
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>			
10,97,006 (Previous year 10,97,006)			
Equity Shares of ` 100 each, (of which 17,546 shares issued other than cash)			
	1,097.01	1,097.01	
TOTAL	1,097.01	1,097.01	
Note 2(a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:			
Balance at the commencement of the year	1,097.01	1,097.01	
Shares issued during the year	-	-	
Shares brought back during the year	-	-	
Balance at the end of the year	1,097.01	1,097.01	
Note 2(b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.			
Sl No.	Name of the Shareholder	% of holding	No of equity shares
1	The President of India	85	933,348
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15	163,658
Details of Shareholders for previous year remain same.			
Note 2(c) Board vide it's agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of `100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to `17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.			
NOTE : 3 <u>Reserves & Surplus</u>			
<i>a) General reserves :</i>			
At the commencement of the year	25,589.10	22,257.50	
Less : Transfer to Proposed Dividend	999.93		
Add: Transfer from surplus	4,350.69	3,331.60	
At the end of the year	28,939.86	25,589.10	
<i>b) Surplus in statement of profit and loss:</i>			
At the commencement of the year	0.02	0.01	
Add: Profit for the year	4,350.69	3,331.60	
<u>Less: Appropriations:</u>			
Transfer to general reserve	4,350.69	3,331.60	
At the end of the year	0.02	0.02	
	28,939.88	25,589.10	

(` In Lakhs)

			As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE : 4	Other long term liabilities			
<u>Credit guarantee fund:</u>		4(a)		
Opening balance			28.64	
Add: Income generated as per last account			-	
Addition during the year			2.42	
Total fund			31.06	
Less: Utilised during the year			-	
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>		4(b)	150.39	
Add: Received during the year			-	
Less: Utilised during the year			-	
	TOTAL		181.45	179.03

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is `28.64 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilised as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2025 is `31.06 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (`135.63 Lakh), the Grant in aid received (`190 Lakh) in FY 2016-17 out of which Rs.175.24 lakh has been expended till 31.03.2025:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	` 14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			` 150.39

NOTE : 5	Long term provisions		
Provision for leave encashment		1,141.24	1,154.89
Provision for Gratuity		67.16	75.26
Provision for LTC/AFSP		15.27	31.18
Provision against standard assets		0.01	0.01
	TOTAL	1,223.68	1,261.34
NOTE : 6	Trade payable		
Trade payable			
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)		216.44	236.23
ii) Other trade payables		2,776.34	2,165.91
	TOTAL	2,992.78	2,402.14

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available, with the company and confirmation received, as at the year end an amount of `216.44 lakh. (previous year : `236.23/-) is due with such enterprises

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2025 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	216.44				216.44
(ii) Others	2,744.33	1.78	11.96	18.27	2,776.34
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,960.77	1.78	11.96	18.27	2,992.78

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2024 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	236.23				236.23
(ii) Others	2,041.60	92.74	25.01	6.55	2,165.91
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,277.83	92.74	25.01	6.55	2,402.14

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE : 7	<u>Other current liabilities</u>		
Received in advance			
<u>Other payables</u>			
Deposit payable to :			
<u>Others</u>	21.35	21.35	21.35
<u>Advance from customers</u>		13.43	14.01
Liquor license fees payable to DC	48.95		
Outstanding liabilities for expenses	56.26		
EMD/Security deposits from suppliers	68.54		
Interest on buy back of AFL shares	5.39		
Taxes payable	73.97		
Tiny Loan Scheme	0.04		
Others	34.62	287.77	305.90
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)	10.00	10.00
Advance from sundry debtors		1,836.75	1,463.78
TOTAL		2,169.30	1,815.04

Note 7(a) The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which `10 lakh remain un-utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Sri Vijaya Puram.

(^ In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTES : 8	<u>Short term provisions</u>		
Provision for performance related scheme		266.79	141.58
Provision for CSR Expenses		42.36	-
Provision for leave encashment		46.28	42.41
Provision for LTC/AFSP	8(a)	15.34	15.81
<u>Others</u>			
Provision for Income tax :			
- for AY 2017-18	1477.61		
- for AY 2021-22	741.75		
- for AY 2022-23	884.06		
- for AY 2023-24	1,117.95		
- for AY 2024-25	1195.03		
- for AY 2025-26	1442.34	8(b)	6,858.74
TOTAL		7,229.51	13,661.32

Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. `131.16 lakh.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTE 9

(` in Lakhs)

Sl. No.	Particulars of the Assets	Gross Block						Depreciation				Net Block	
		Original Cost as on 1.4.2024	Addition during the year	Adjustment during the year	as at 31.03.2025		Accumulated Depreciation as on 1.4.2024	Provided	Adjusted/ Transfer	Total as at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
					3	4				8	9		
A. TANGIBLE ASSETS												10	
1 LAND	59.48					59.48					59.48	59.48	
2 BUILDING	2,494.90	24.81		2,519.71	793.57	82.21			875.78		1,643.93	1,701.32	
3 POL TANK AT KATCHAL, KAMORTA, TERESSA	0.00			0.00							0.00	0.00	
4 PLANT & MACHINERY	701.81			701.81	480.17	33.54					513.71	188.10	
5 FURNITURE & FIXTURE	239.82	4.80		244.62	197.57	8.27					205.84	38.78	
6 VEHICLE	1024.16	134.48	0.74	1,157.91	776.03	54.87					830.89	327.01	
7 OFFICE EQUIPMENT	23.16	0.44		23.50	17.05	1.06					18.11	5.49	
8 ELECTRICAL INSTALLATION AND EQUIPMENT	140.58	6.29		146.87	106.18	5.90					112.08	34.40	
9 COMPUTER	201.37	26.47	1.80	226.03	176.93	13.38					190.31	35.73	
10 CROCKERY	19.92				19.92						19.92	-	
11 LINEN	21.25				21.25						21.25	0.00	
TOTAL TANGIBLE ASSETS	4,926.45	197.29	2.54	5,121.20	2,588.67	199.23					2,787.89	2,333.30	
B. INTANGIBLE ASSETS													
SOFTWARE	43.15	4.09		47.25	39.49	3.24					42.73	4.52	
												3.66	
C. CAPITAL WORK IN PROGRESS	74.35	-	4.35	-	-	-							
TOTAL ASSETS (A+B+C)	5,043.95	201.38	76.89	5,168.45	2,628.16	202.47					2,830.63	2,337.82	
PREVIOUS YEAR	4,664.35	384.07	4.45	5,043.95	2,459.77	168.38					2,628.16	2,415.78	
												2,204.62	

Note 9(i) : The Company took over the Milk Plant from Animal Husbandry Department of A&N Administration along with buildings, plant & machineries and other assets of milk production unit, at free of cost in the year 1991-92. These fixed assets are not included in the block of fixed assets shown in accounts. Further assets purchased out of Grant in aid during the year for "setting up of milk supply chain from Diglipur to Sri Vijaya Puram" via order no. 2135 dt. 29/10/2012 of Directorate of animal husbandry, A&N Administration is shown at nominal value of ' 1 each as per AS-12 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Note 9(ii) : The corporation has constructed petrol pump at Katchal, Kamorta and Teressa for an amount of ' 552.10 lakh . The cost of such asset is recoverable from Indian Oil Corporation Ltd. under factoring of capital cost over a period of 10 years starting from 01.04.2014. Hence the entire assets have been shown at a nominal value of ' 1 each and remaining amount is shown as receivable from IOC Ltd under the head "Short term loans & advances", ' .21.89 lakhs/- (ref. to Note 17(a)). No depreciation has been charged on the said assets.

Note 9(iii) : Value of land comprises three lands amounting ' 26.01 lakh, which is leased-out for 90 years period to develop tourism projects. Detail of such lease is given in note 17(d).

Note 9(iv) : Physical verification of assets is being carried out by the officials of the company twice a year.

Note 9(v) : The corporation has 50.68 ha. of land, out of which 2.79 ha. of land shown at Nil value.

Note 9(vi) : The company has taken over some Assets on lease rent basis from the Andaman & Nicobar Administration with following terms:

- a) Hornbill Nest : lease rent ' 0.20 lakh p.m alongwith profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 07/09/2029
- b) Water sport Equipments : Profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 31/05/2031
- c) Dolphin Resorts : lease rent of 2.25 lakh p.m alongwith profit sharing 30% after tax.

Lease rent paid in advance and share of profit are paid on completion of accounts for the year.

Note 9(vii) : Capital Work-in progress ' 74.35 lakhs for conceptual plan made for expansion of Megapode which subsequently used by transaction advisor appointed for leasing of Megapode.

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE 10 : Non current investment (valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company) 9,67,000 Equity Shares @ ` 10 each, valued at cost. (33000 equity shares@ `10/ each pending transfer)	69.65		
Less : Provision for loss on investment in AFL8	69.65	-	-
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. 4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.	40.00		
(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd. 30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of `10 per share, carried at cost.	40.00	-	-
Less : Provision for loss on WEBCON Consulting (India) Ltd.	6.00	-	-
TOTAL	6.00	-	-

Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of `10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ 15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in its 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is `5.39 lakh (Gross amount `8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made .

Note 10(ii) : The Company has invested `40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since its formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.

Note 10(iii) : The Company has invested `6 lakh in the Equity Shares of WEBCON Consulting (India) Ltd. by subscribing to 30,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 2012. Due to lack of detailed information on the company shares, the non-receipt of any dividends, the absence of publicly available financial statements, and the fact that the investments are in unlisted companies with no market valuation available the management has decided to create a provision for potential loss on investment.

NOTE 11: Long term loans & advances

<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		1.78	1.37
House building advance to employees		-	0.58
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		30.56	24.24
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	-	-
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88		
Less: Provision	5.88	-	-
TOTAL	32.34	26.19	

Note 11(a) : Refer Note 9(ii) & 17 (i)

NOTE 12: Deferred tax assets (Net)

a. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		9.51	11.42
Provision for doubtful debts and advances		516.99	527.57
	Total	526.50	538.99
b. Deferred tax liabilities			
Depreciation and amortisation		179.94	163.17
Provision for doubtful debts and advances		55.55	26.32
	Total	235.49	189.49
Net deferred tax Assets / (liabilities)		291.01	349.50

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(` In Lakhs)

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)		
(a) Term loan (considered good)	13.39	
Term loan (considered doubtful)	-	
Less: Provision for sub standard assets	3.63	9.76
(b) Loan to related party		14.62
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00	
Less: Provision made	132.00	-
TOTAL	9.76	14.62

Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance of `151.39 lakh. Total sum of ` Nil (Previous year 'Nil) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered `6.97 lakh, (Previous year `14.33 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to `0.00373 Lakh (Rupees Three hundred seventy three only) (Previous year Provision written back `0.03406 Lakh) and provision written back on sub-standard assets during the year is `1.06 Lakh, (previous year provision written back was `1.45 Lakh). From the year 2022-23 division stop disbursement of loan.

Note 13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to `132 Lakh /, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary company M/s AFL has charges interest of `8.45 crore (Previous year `7.25 crore) in their books of accounts.

NOTE 14 : Inventories			
<i>Raw material</i>			
Raw milk	96.33		
Stock of provisions at hotel	70.15	166.48	113.93
<i>Finished goods</i>			
Constituted milk	31.72		
Paneer	0.07		
Curd	0.14		
Cow Milk	3.50	35.43	27.11
Stock in trade			
Petroleum products	506.90		
Add: Goods-in-transit	69.41		
IMFL products	6,022.21		
Add: Goods-in-transit	594.20	7,192.72	5,011.26
Stores & spares - Milk plant		55.12	49.71
TOTAL	7,449.75	5,202.01	

Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.

NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good			
(i) Over six months from due date of payment	939.56		
(ii) Below six months from due date of payment	584.39	1,294.52	1,315.40
Doubtful			
(i) Over six months from due date of payment	229.43		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	229.43	-	-
TOTAL	1,294.52	1,315.40	

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2025 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						229.437
					Trade Receivable	1,294.52

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2024 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						244.27
					Trade Receivable	1,315.40

NOTE 16 : Cash and cash equivalents	As at	
	31.03.2025	31.03.2024
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	1.18	85.74
Indian Bank, Chennai	12.36	0.57
State Bank of India, Sri Vijaya Puram	157.70	444.45
HDFC Bank, Sri Vijaya Puram	47.13	69.38
Canara Bank, Secretariat	78.60	58.04
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	1.96	24.70
Canara Bank, Campbell Bay	4.90	36.78
State Bank of India, Hut bay	45.67	34.49
State Bank of India, Rangat	15.51	2.79
State Bank of India, Mayabunder	11.80	4.20
State Bank of India, Diglipur	121.51	137.04
State Bank of India, Swaraj Dweep	91.37	50.03
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	7.31	5.10
State Bank of India, Kamorta	28.87	19.78
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.05	1.98
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	0.97	2.10
State Bank of India, (Haddo)	1.03	3.14
State Bank of India, (Delanipur)	0.96	1.95
State Bank of India, (Baratang)	1.00	14.29
State Bank of India, (Kadamtala)	22.05	19.74
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	1.02	4.85
ICICI Bank	32.83	34.36
Axis Bank	79.34	209.62
	766.12	1265.10

	(` In Lakhs)	
	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts		
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	7.81	16.44
	7.81	16.44
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.25	0.48
Postal stamps in hand	-	-
Cash at shops	145.54	80.05
	145.79	80.53
	919.72	1,362.07
(b) Other Bank balances		
with upto 12 months maturity		
Punjab National Bank	2,800.00	-
Canara Bank	1,700.09	6,900.00
Indian Bank, Port Blair	150.43	19.38
Union Bank of India	3,300.00	-
Bank of Baroda	5,500.00	5,000.00
Bank of Maharashtra	-	1,300.00
State Bank of India, Port Blair	4,790.91	2,937.65
ICICI Bank	150.00	89.24
HDFC Bank	2,002.11	1,505.00
Axis Bank	994.00	742.00
Add: Interest accrue thereon	436.57	451.80
	21,824.11	18,945.07
Total cash and cash equivalents	22,743.83	20,307.14
Note 16(a) Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `31.06 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ` 28.63 Lakhs)		
NOTE 17: Short term loans & advances		
House building advance to employees	0.58	0.30
Computer advance to employees	0.80	2.50
Advance for civil work	30.65	136.78
Claim receivable from IOC	106.48	37.59
Other advances to employees	4.81	4.38
Niti Aayoog Project	232.45	267.08
Indian Oil Corporation (capital factoring) [note 17a]	21.89	21.89
Pre-paid expenses	1.5	0.00
Input IGST	0.00	1.13
Input CGST/UTGST	1.38	14.44
Advance payment of Income Tax (including TDS)		
- for AY 2017-18	1,520.79	
- for AY 2021-22	747.04	
- for AY 2022-23	983.78	
- for AY 2023-24	1,295.26	
- for AY 2024-25	1,435.96	
- for AY 2025-26	1,629.52	7,612.35
Advance payment of dividend tax		14,695.01
Add: During the year	0.00	83.98
Deposit /advances with Govt. and others [note 17b]	1327.48	703.61

Advance to suppliers and contractors		302.26	469.04
Other Advances [note 17c]		23.84	25.49
Unsecured, considered doubtful			
(Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered	10.18		
Less: Provision	10.18	0.00	0.00
Other Advances	4.34		
Less: Provision for bad debt	4.34	0.00	0.00
Deposit /advances with Govt. and others	4.19		
Less: Provision	4.19	0.00	0.00
Advance to suppliers and contractors	5.19		
Less: Provision for loss of advances	5.19	0.00	0.00
Lease Rent receivable [note 17c]	107.99	0.00	0.00
Less: Provision for lease rent	107.99	0.00	0.00
Provident fund deposit [note 17d]	43.90		
Less: Provision	43.90	0.00	0.00
Loans and advances of related parties [note 17e]			
Unsecured loan to AFL	33.00		
Add: Interest accrued up to 2002-03	8.23		
Less: Provision	41.23	0.00	0.00
Receivable from AFL	15.74		
Less: Provision	15.74	0.00	0.00
Interest free unsecured loan to AFL	165.00		
Less Recovered during the year	0.00		
Less: Provision	165.00	0.00	0.00
TOTAL	9,666.48	16,463.22	

Note 17 (a) : Refer Note 9(ii)

Note 17 (b) : The corporation has appointed as project proponent for holistic development of Great Nicobar Island, development of Netaji Subash Chandra Bose Islands. As a part of this role, the Corporation incurred significant expenditure on behalf of the respective departments. The Memorandum of Understanding (MoU) of holistic development of Great Nicobar Island project has been signed with Directorate on Industries .However, the Memorandum of Understanding (MoU) for development of Netaji Subash Chandra Bose Islands is still pending. As a result, the expenditure have been shown under advances in the financial statements. The expenditures are expected to be reimbursed by the respective departments once the fund is released or the MoU is finalised. Due to the pending of release of fund and signing of the MoU , these expenditures have been reported as advances in the financial statements.

Note 17 (c) : During the financial year 2023-24 an amount of Rs. 56.88 lakh booked as shortage against IMFL Shop Rangat out of this Rs. 33.07 Lakh has been recovered till 31st March 2025.

Note 17 (d) The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 90 years from 7th Dec'09 at an annual lease rent of '2.25 Cr p.a.The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep ware leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17(e): Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of '21.30 lakh for the period from 2001-2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Sri Vijaya Puram for recovery of such amount and Hon'ble High Court in it's order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In anther order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of '22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(f): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was '165 lakh. 100% provision has been made on such amount.

NOTE 18: Other Current Assets

(i) Advance to supplier (unsecured, considered good)	8.10	110.92
TOTAL	8.10	110.92

(` In Lakhs)

Note 19 : Revenue from operations	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
	Gross Sale			
Particulars	As at 31.03.2025	%	As at 31.03.2024	%
Sale of Products (A)				
i) Manufactured goods				
Dairy milk	1122.15		1,134.22	
Curd	66.90		69.04	
Other milk products	284.70		230.03	
	1473.75	3	1,433.29	3
ii) Traded goods				
IMFL	29,105.15		28,034.54	
POL	19,043.71		17,451.89	
Iron and Steel	-		-	
	48,148.86	93	45,486.43	93
Sub-total (A)	49,622.61		46,919.72	
Sale of Services (B)				
Tourism	1612.08		1,582.04	
Others				
Interest on term loan	1.04		2.24	
Lease rent of Land	399.65		388.06	
Ice Plant/ Cold storage	21.64		22.04	
Hire charges/car rental	95.38		56.55	
Other Income	20.09		37.58	
Sub-total (B)	2149.88	4	2088.52	4
Grand Total D = (A+B)	51,772.49	100	49,008.24	100

Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales/services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.

Note (b) : The sale of Ice Plant/ Cold storage include sale of Ice block only.

Note (c) : The corporation discontinue the operation of Iron and steel division during the year 2022-23

(` In Lakhs)

Note 20 : Other income				
i) Interest income:				
Interest on fixed deposits		1,328.95	1,164.35	
Interest on capital investment (IOC)		-	4.56	
Interest on loan to employees		0.20	0.33	
Interest on Refund of Income Tax U/s 244A		224.42	-	
ii) Others:				
Profit on sales of Assets		-	4.95	
Shortage/other recovery		-	-	
IMFL, Iron Steel & POL	162.12			
Liquidity Damage	2.50			
Transportation charges	19.29			
Staff meal	10.24	194.15	200.86	
Cancellation charges		0.96	1.42	
TOTAL		1,748.68	1,376.47	

(` In Lakhs)			
	As at		As at 31.03.2024
	31.03.2025	31.03.2024	
Note 21 : Cost of materials consumed			
Raw milk & Whole Milk Powder	1,011.19	1,044.07	
Groceries for Catering Division	2.76	186.14	
TOTAL	1,013.95	1,230.21	
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade			
IMFL	6,248.45	4,449.56	
Add: Goods-in-transit	594.20	633.63	
Petroleum products	18,143.94	16,550.76	
Add: Goods-in-transit	69.41	124.53	
Carriage inwards	1,502.13	1,325.87	
License fees	354.32	329.02	
Duty on import permit fees / excise duty	16,338.25	12807.46	
TOTAL	43,250.70	36,220.83	
Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade			
<i>Inventories (at close)</i>			
Finished goods	35.43		
Stock in trade	<u>7,192.70</u>	7,228.13	5,038.37
<i>Inventories (at commencement)</i>			
Finished goods	27.11		
Stock in trade	5,011.26	5,037.37	8,241.04
TOTAL	(2,189.76)	3,202.67	
Note 24: Employee benefit expenses			
Salary	1,991.15	1,764.58	
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary	175.72	180.91	
Gratuity	35.13	152.68	
Performance related incentive	220.71	104.57	
Training expenditure	0.80	0.98	
Staff Welfare	1.37	0.68	
Rent of employees accommodation	3.60	3.45	
LTC provision	24(b)	20.12	3.18
Provision for leave encashment	24(c)	25.95	357.75
TOTAL	2,473.83	2,568.78	
Note 24(a) : Gratuity Actuarial Assumptions			
Particulars	2024-25	2023-24	
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate	
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age	
Discount Rate	7.25% p.a.	7.25% p.a.	
Salary Escalation	6.25%	6.25%	
Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15			
Leave Travel Concession liability			
Particulars	2024-25	2023-24	
Number of Employees	220	235	
Actuarial Assumptions			
Rate of discount	6.5% P.A.	7.00% P.A.	
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.	
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate	
Actuarial Liability	` 30.61 lakh	` 46.99 lakh	

Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was `46.99 lakh. Against the said provision amount of `36.50 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of `20.12 Lakh and closing figure at the end of the year is `30.61 lakh as per valuation report.

Note 24(c) : Leave encashment benefit

Leave encashment liability

Particulars	2024-25	2023-24
Number of Employees	219	226
Total Monthly Salary	₹ 127.62 lakhs	₹ 123.48 lakhs
Total encashable leave	44787.25	48854.5
Normal retirement age	60 years	60 years

Actuarial Assumptions

Discounting rate	6.5% P.A	7.0% P.A
Rate of increase in Salary	10.00% P.A.	10.00% P.A.
Withdrawal rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality	IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave	₹ 1187.52 lakhs	₹ 1197.30 lakhs

Actuarial valuation has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹ 1197.30/- lakh. Against the said provision amount of ₹ 5.73 (PY ₹ 26.72) has been utilised during the year and provision created during the year is an amount of ₹ 25.95/- lakh and closing figure at the end of the year is ₹ 1187.52/- lakh as per valuation report.

Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<u>Consumption of Stores & Spares</u>	336.05	355.82
<u>Power & Fuel</u>		
Electricity	160.05	141.42
Fuel charges	127.45	160.37
<u>Rent</u>		
Office rent	1.72	1.07
Rent	312.77	283.91
<u>Repair & Maintenance</u>		
Repair & maintenance of computer	26.37	16.38
Repairs & maintenance of vehicles	9.13	9.68
Repairs & maintenance of buildings	215.10	55.16
Repairs & maintenance of furniture	0.90	2.94
Repairs & maintenance of machinery	56.64	57.09
Govt. audit expenses	4.04	1.99
Insurance	34.92	24.21
Interest and penalty on lease rent	195.42	-
Loss on sale of assets	0.64	-
Rates & Taxes	64.79	73.06
Water charges	25.99	21.45
Stores handling expenses	8.36	13.07
Trade discount on room tariff	62.95	58.29
Sanitation	28.67	23.67
Horticulture expenses	-	0.24
Wharfage expenses	0.11	0.05
Vehicle hire charges tourism	50.14	39.68
Crockery's hire charges	0.42	0.13
Uniform & liveries	2.59	5.06
Outsourcing manpower	632.26	552.11
Business promotion / hospitality	3.04	40.55
Bank charges	33.76	36.27
Watch and ward	103.13	90.05
CSR expenses	81.39	70.17
Hindi week expenses	0.32	-
Registration / Membership fee	0.18	0.25
Miscellaneous	0.76	0.65
GST block credit	314.29	248.61
Refreshment expenditure	10.35	15.77
TOTAL	2,904.70	2,399.17

(` In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	1.80	1.64
Printing & stationary	25.54	31.11
Postage & telegram	1.19	1.06
Telephone/telex/fax	25.22	27.62
Books & periodicals	3.61	2.71
Tenders publishing expenditure	8.68	25.27
Professional charges	35.93	29.58
Travelling expenses	16.04	22.62
	118.01	141.61
Note: 25(C) Other expenses		
Provision		
Provision for bad and doubtful debts	-	2.29
Provision for loss of investment	-	6.00
	-	8.29
Auditor's Remuneration (including Service Tax)		
- for Statutory audit	2.00	
- Tax audit	0.50	
- others service	0.30	
Internal audit expenses		
	2.80	2.80
	1.19	0.96
	3.99	12.05
Total of C		
Total Operation and other expenses (A+B+C+D)	3,026.70	2,552.84
Note: 26 Earning per share		
Amount available for equity shareholders (`)	4350.69	3331.60
Weighted average number of equity shares	10.97	10.97
Earning per share basic and diluted (`)	396.60	303.70
Face value per equity share (`)	100	100

Note – 27 : Corporate social responsibility expenses

a. Disclosure with regard to CSR activities

(` In Lakhs)

Particulars	31-Mar-2025	31-Mar-2024
Amount required to be spent by the company during financial year	81.39	69.39
Amount of Expenditure incurred	39.03	70.17
Excess / (Short) at the end of the year	(42.36)	0.78
Amount available for Set Off	0	0
Excess / (Short) amount spent at the end of year including previous year	(42.36)	0.78
Reason for shortfall	Not Applicable	Not Applicable
Details of related party transactions	Not Applicable	Not Applicable
Provision made with respect to a liability incurred	42.36	0

		(` In Lakhs)	
b. Provision		31-Mar-2025	31-Mar-2024
Particulars			
Opening balance		0	0
Additional provision during the year		42.36	0
Provision used during the year		0	0
Closing balance		42.36	0
c. Nature of CSR activities			(` In Lakhs)
Particulars		31-Mar-2025	31-Mar-2024
Health Promotion		30.00	52.00
Promotion of Education		4.53	15.00
Environment Sustainability		-	3.17
Livelihood Enhancement Project		4.50	
Total		39.03	70.17

Note - 28 : Capital-Work-in Progress (CWIP)

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2025 is as follows:

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
-	-	-	-	-	-

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2024 is as follows:

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	14.68	-	59.67	74.35

Note 29(i) Contingent Liabilities:

a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / Date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided.	Forum where dispute is pending
2009-10 and 2019-24	TDS/TCS return	`40,44,690/-	TDS/TCS quarterly return correction	`nil	`40,44,690/-	DC (IT), Faceless
2017-18	31/03/2023	`2,25,80,279/-	ITBA/AST/S/216/2022-23/1051825817(1)	`nil	`2,25,80,279/-	CIT(A), Kolkata
				Total	` 2,66,24,969/-	

b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2025

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff & Defendant	Financial Implication Assets /(Liability)
Money Suit No 66/2010	Court of Civil Judge (Senior Division)	ANIIDCO Ltd. -vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	`9,24,406/-

EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	₹22,60,043/-
2284 of 2019	Supreme Court	LINRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	₹5,47,46,091/-
ID Case No. 3	Labour Court	GM, ANIIDCO - Vs- G P Mani & Others	Not ascertainable
OS 09 of 2018	District Court, Sri Vijaya Puram	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	₹51,33,379/-

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of ₹10/- each amounting to ₹3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of ₹3.30 lakh with interest therein @18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Ernakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of ₹3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has made a provision for interest for an amount of ₹5.38 lakh included in current liability

Note 29(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account ₹ Nil lakh (Previous Year ₹ Nil) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is ₹ Nil (Previous Year ₹74.35 lakh)

Note 29(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ₹11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 29(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No. F.No 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum divided of @ 30% of the PAT or 5% of the net-worth whichever is higher. For the Financial Year 2024-25 proposed dividend is ₹15.02 Crore (Previous Year ₹10.00 Crore), subject to approval of Annual General meeting.

Note 29(v) Advance Tax

The financial statement disclose an unadjusted "Provision for Income Tax" of ₹6,858.74 lakh, classified under "Short-term Provision" as against an "Advance Payment of Income Tax" of ₹7,612.35 lakh. Recorded under "Short-term Loans and Advances". Assessments for all Assessment Years up to AY 2020-21, except for AY 2017-18, which is currently under appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals) (Faceless), have been finalized under section 143(3) of the Income Tax Act, 1961. The Corporation has adjusted these amounts against the "Advance Income Tax."

Note 29(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2025 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to '132 lakh has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division". The Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was ` Nil and the outstanding balance as on 31st March 23 amounting to '1,65.00 lakh, (previous year '165.00 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of ` 33.00 lakh on which accrued interest accumulated was '8.23 lakh - upto financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 29(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : ` 1,42,92,360 /- (PY ` 1,47,82,251/-)
- b. Net Loans & Advances : ` 1,45,56,258/- (PY ` 1,51,39,485/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances: 98.90% (PY 97.64%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - i. Sub-standard : ` 2,67,189/- (PY ` 4,58,525/-)
 - ii. Doubtful : ` 8,25,171 /- (PY ` 11,23,726 -)
 - iii. Loss Assets : ` 1,32,00,000/- (PY ` 1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : ` 1,68,62,766/- (PY ` 1,69,69,387/-)

Note 29(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

- (a) as auditor : audit fees ` 2,30,000/- (PY ` 2,30,000/-)
- (b) taxation matters: tax audit fees ` 50,000/- (PY ` 50,000/-)
- (c) company law matters ` Nil (PY ` Nil)
- (d) management services ` Nil (PY ` Nil)
- (e) cost audit fees ` Nil (PY ` Nil)
- (f) Other Services ` Nil (PY ` Nil)
- (g) reimbursement of Expenses ` Nil (PY ` Nil)
- (h) Total ` 2,80,000/- (PY ` 2,80,000/-)

Note 29(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration (sitting fee) to Managing Director, whole-time Directors and/or Manager: ` 49,737.
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors: ` 1,29,896.
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year ` Nil (previous year ` Nil). Remuneration has been paid to Managing Director for ` Nil (previous year ` Nil).

Note 29(x) Related party disclosure as per AS - 18:**A) Related Parties and their relationship:**

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: NIL
- iii) Associates: NIL

iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2025

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2024-25	2023-24
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Statement U/s 129(3) of Company Act, 2013 of M/s Andaman Fisheries Ltd is attached in **Annexure – A**.

Note 29(xi) Business with Micro, Small and Medium Enterprises

Transaction made with Micro and Small Enterprise, be defined as Micro and Small Enterprise under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, has been paid within 45 days.

Note 29(xii) Segmental Reporting:

Division-wise Segmental report is given in **Annexure – B**.

Note 30 : Additional Regulatory Information

The following are ratios for the year ended March 31, 2025 March 31, 2024

Particulars	Numerator	Denominator	31st March 2025	31st March 2024	Variance
Current Ratio	Current Liabilities	41163	3.32	43399	2.40
Debt-Equity Ratio (%)	Average Shareholder's Equity	12392	18078		38.37%
Return on Equity Ratio (%)	Earning After Interest, Tax Depreciation & Amortisation	13797	12.58	19519	17.79
		1097		1097	-29.32%
Inventory turnover ratio	Average Inventory	4351	3.97%	3332	3.04%
		1097		1097	30.59%
Trade Receivables turnover ratio	Average Trade Receivable	51772	4.09	49008	3.54
		12652		13826	32.94%
Trade Payables turnover ratio	Average Trade Payable	51772	39.67	49008	43.10
		1305		1137	-7.94%
Net Capital turnover ratio	Average Working Capital	26123	9.68	22779	8.32
		2697		2736	16.33%
Net Profit ratio (%)	Net Profit	51772	1.91	49008	2.07
	Net Sales			23636	-7.68%
Return on Capital employed (%)	Earning Before Interest & Tax	5743	11.09%	4441	9.06%
	Capital employed	51772		49008	22.42%
Return on investment (%)	Earning Before Interest & Tax	5743	19.12%	4441	16.64%
	Total Assets	30037		26686	14.90%
		5743	13.10%	4441	9.61%
				46205	36.32%
				43834	

Note 31 MSME Reporting:

The dues to Micro and Small Enterprises as required under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 to the extent information available with the company is given below:

Particulars	Current Year (` in Lakh)	Previous Year (` in Lakh)
(a) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to supplier as at the end of year : - Principal amount due to micro and small enterprises - Interest due	216.44	236.32
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	Nil	Nil
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006.	Nil	Nil
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.		
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006.	Nil	Nil
The Company identifies suppliers register under the MSME Act, 2006, by obtaining confirmation from all suppliers at the time of tender / information has been collated only to the extent of information received.		

Note 32 Regrouping:

Previous year's figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.

**ANDAMAN NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD
(ANIIDCO)**

(A Government Undertaking)

Statement pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 of the Companies Act 2013, read with rule 5 of Companies (Accounts) Rule, 2014 in the prescribed Form AOC-1 relating to subsidiary company

Part "A": Subsidiaries

1. SL No.	: 1
2. Name of the Subsidiary Company	: Andaman Fisheries Limited
3. Reporting period for the subsidiary concern, if different from the holding company's reporting period	: Reporting Period is same
4. Reporting currency and Exchange rate as On the last date of the relevant Financial Year in the case of foreign subsidiary	: Not Applicable
5. Share Capital	: ₹ 1,00,00,000
6. Reserves & Surplus	: (₹ 74,36,68,038.62)
7. Total Assets	: ₹ 21,33,141.82
8. Total Liabilities	: ₹ 73,58,02,617.44
9. Investments	: Nil
10. Turnover	: Nil
11. Profit before taxation	: (₹ 9,84,11,909.00)
12. Provision for taxation	: Nil
13. Profit after taxation	: (₹ 9,84,11,909.00)
14. Proposed Dividend	: Nil
15. % of Shareholding	: 100%

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

Sd/-
(Director)

Sd/-
(Managing Director)

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ANIIDCO)
 SEGMENTAL PROFIT & LOSS STATEMENT (DIVISION WISE) FOR THE PERIOD FROM APRIL 2024 TO MARCH 2025

Heads of account	IMFL	POL	TSM	MILK	C&F	Projects	Corporate Office	Total
Income								
Sales	29,105.73	19,044.64	1,629.66	1,473.74	96.42	400.39	21.92	51,772.49
Other Income	172.15	10.64	11.21	-	-	0.36	1,554.32	1,748.68
Total Income	29,277.88	19,055.28	1,640.87	1,473.74	96.42	400.75	1,576.24	53,521.17
Expenditure								
Cost of Material Consumed	22,738.66	18,250.59	336.20	1,026.96	0.01	0.07	0.10	42,352.58
Gross Profit	6,539.22	804.47	1,304.67	446.78	96.41	400.68	1,576.14	11,168.58
Administrative Overheads	138.71	214.67	575.18	124.60	5.59	345.47	296.25	1,700.47
Operation, Selling & Distribution	433.81	75.71	266.24	166.81	0.53	4.86	99.93	1,047.90
Remuneration to Employees	450.71	318.65	452.02	63.17	13.12	43.50	1,132.68	2,473.83
Depreciation	1.17	56.31	40.07	19.05	52.17	-	33.70	202.47
23,763.06	23,763.06	18,915.93	1,669.71	1,400.60	71.42	393.89	1,562.65	47,777.26
Profit before Corporate overhead								
5,514.82	139.35	(28.84)	73.14	25.00	6.86	-	5,730.32	
Previous Year	4,657.34	125.66	(109.10)	2.56	11.80	290.02	-	4,978.29
Less: Corp.Overheads	878.87	575.07	49.21	44.50	2.91	12.90	-	1,562.65
Profit after Adjustment	4,635.95	(435.72)	(78.05)	28.64	22.09	(5.23)	-	4,167.68
Previous Year	3,625.37	(496.74)	(166.06)	(48.56)	9.70	276.18	-	3,231.89
Add: Interest on FD and other income								1,576.24
Adjustment for Prov, Loss of Assets, write-off							0.64	
Total profit before tax								5,473.28

-Sd/-
 Chief Financial Officer
 Company Secretary

-Sd/-
 Director

-Sd/-
 Managing Director

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF M/S. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of M/s. **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** ("the Holding Company") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statement').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the basis of Qualified Opinion Section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the holding Company as at March 31, 2025 and its consolidated Profit including comprehensive income, consolidated changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1 Attention is invited to Note 14 of the Significant Accounting Policies and Notes to the Financial Statements regarding the valuation of inventories. The Company continues to value inventory at the lower of historical cost or estimated net realizable value. As per Notification No. 186 dated 05.09.2019 issued by the Andaman & Nicobar Administration, the manufacture, storage, import, transportation, distribution, sale, and use of PET bottles (for water, beverages, and alcoholic products less than 2L) has been banned. This regulatory action has rendered a substantial portion of the Company's inventory of PET-packaged goods un-saleable in the local market.

Despite the above, and notwithstanding that a similar observation was reported in the audit report for the previous year, the Company has not recorded any inventory write-down in the current year's financial statements. As per management records, the value of such affected inventory as on 31.03.2024 is '46.26 lakhs. Accordingly, the closing stock is overstated by '46.26 lakhs, and as a result, the net profit for the year is also overstated by the same amount.

2) As per the financial statements, an amount of '106.48 lakhs has been reported as claim receivable from Indian Oil Corporation (IOC) as at 31st March 2025. However, it has been brought to our notice that IOC has not acknowledged this claim, citing either non-submission or inadequacy of supporting documentation by the Corporation. Consequently, there is significant uncertainty surrounding the recoverability of this amount. In the absence of sufficient details and corroborative evidence regarding the nature, basis, and confirmation of the receivable, we are unable to determine whether the amount is indeed recoverable or if a provision for doubtful debts should have been recognised. This may potentially result in an overstatement of receivables and profit by '106.48 lakhs.

- 3) As per Article 3.2(i) of the "Agreement for GNI – Project", the Company is entitled to reimbursement of actual project-related expenditure along with an administrative charge of 20% plus applicable GST, excluding capital expenditure. However, it was noted that the Company has not raised formal tax invoices to the Administration in accordance with the terms of the agreement and has only issued a proforma invoice amounting to '581.70 lakhs for the period from August 2020 to March 2024. Consequently, no revenue has been recognised in the books for this period. This omission has resulted in a material understatement of both revenue and receivables, thereby distorting the financial performance and position reported as at 31st March 2025.
- 4) The Corporation operates through multiple verticals including liquor distribution, tourism development, and civil infrastructure projects. Each of these segments has unique operational, regulatory, and financial risks. However, the Corporation does not maintain a formal risk register or risk assessment documentation that identifies and evaluates the risks relevant to these segments.
- 5) The Corporation has incurred significant expenditure, including '1.19 crore on renovation of leasehold properties and the Megapode Resort, which is capital in nature. However, these amounts have been incorrectly charged to revenue under 'Repairs & Maintenance of Building' instead of being capitalized as fixed assets in accordance with Accounting Standard (AS) 10 – Property, Plant and Equipment. This misclassification has resulted in an understatement of both profit and fixed assets by the corresponding amount, indicating non-compliance with the applicable accounting standards on asset recognition and capitalization.
- 6) Discrepancies were noted between output supply reported in GSTR-1 and GSTR-3B, and in Input Tax Credit balance between the GSTN portal and the Company's books of account. In the absence of sufficient documentation and reconciliations, we are unable to determine the potential impact on the financial statements.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Other Matters:

We did not audit the financial statements of the subsidiary company viz M/s Andaman Fisheries Limited. Total Assets of Rs. 21.33 Lakhs and total loss of Rs. 984.12 Lakhs of M/s Andaman Fisheries Limited as on 31.03.2025 have been considered in Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on other Legal and Regulatory requirement below is not modified in this respect.

The financial statement of the subsidiary company for the year ended 31st March 2025 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statement on 25.07.2025.

Management's Responsibility for the consolidate Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position and consolidated financial performance of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the companies are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- Provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters disclosed in the notes to the financial statements:

1. The Company's internal audit system is inadequate given its size, complexity, and operations. The current framework lacks sufficient scope in critical areas such as statutory compliance, inventory control and valuation, and revenue recognition, posing a risk of undetected material misstatements and weakening internal controls. Additionally, the internal audit report for the fourth quarter has not been submitted as of the audit report date, highlighting a significant deficiency that impairs timely detection and rectification of errors or irregularities.
2. The financial statements include an amount of '35.40 lakhs under "Suspense Account(Credit)" and '0.42 lakhs under "PMF (Suspense) Account", which remain outstanding as at the balance sheet date. The management has not provided sufficient appropriate audit evidence to support the nature of these balances. In the absence of adequate information and documentation, we are unable to determine whether any adjustments to these amounts are necessary. Accordingly, we are unable to determine the impact, if any, on the financial statements.
3. We draw attention to the matter relating to the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) obligations for the financial year ended 31st March 2025. As explained to us and based on our examination of the records, the Company had a CSR obligation of '81.39 lakhs, out of which '33.03 lakhs was spent on CSR activities and '6.00 lakhs was deposited into the designated CSR bank account as required under Section 135(6) of the Companies Act, 2013.

The remaining unspent amount of '42.26 lakhs does not pertain to any ongoing project. Accordingly, the Company is required to transfer the said amount to a fund specified in Schedule VII within six months from the end of the financial year in accordance with Section 135(5) of the Act. As of the date of this report, the transfer has not yet been made, although the due date has not elapsed.

The Company has also indicated that, while it intends to comply with the statutory requirement, it will not be able to apply this unspent amount towards addressing certain identified local area needs. This is not in alignment with the guiding principle in the Company's CSR policy and the proviso to Section 135(5), which emphasizes giving preference to the local area of operation.

4. Based on the information made available to us, the Company has identified suppliers registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, through confirmations obtained from vendors and data compiled to the extent received. However, in the absence of sufficient and appropriate audit evidence, we are unable to verify delays, if any, in payments to such MSME suppliers, the corresponding liability for interest, and compliance with the provisions of the MSMED Act. (Refer Note 6(a) to the Standalone Financial Statements).
5. The Company had incurred an expenditure of '232.45 lakhs in prior financial years towards the "Niti Aayog Project." We have been informed through management representation that the Government of India has subsequently designated a different implementing agency for the project. However, as of the date of our audit, no formal communication, revised implementation framework, or documentary evidence detailing the transfer of responsibilities, treatment of previously incurred costs, or reallocation of funds to the newly appointed agency has been provided for our verification. Moreover, the Company has not clarified whether the expenditure already incurred will be recognised, reimbursed, or regularised by the new agency. In the absence of such information and sufficient supporting documentation, we are unable to assess the appropriateness of the recognition and classification of the said expenditure, or its potential impact on recoverability and any continuing obligations of the Company in relation to the project.
6. The Company has made investments in and extended loans and advances to its wholly owned subsidiary, M/s Andaman Fisheries Limited. As of 31st March 2025, the subsidiary has incurred significant accumulated losses and its operations have remained closed for a prolonged period, raising substantial doubt over its ability to continue as a going concern. Management has represented that a 100% provision has been made against these investments and advances, considering the impaired financial position of the subsidiary. However, in the absence of a formal fair valuation or an impairment assessment in accordance with Ind AS 36 (Impairment of Assets), and without adequate documentation supporting the basis for the provision, we are unable to assess the appropriateness and sufficiency of the provision recognised by the Company.
We also note that while there is no further financial exposure to the subsidiary, no formal revival or exit strategy has been prepared by management. In our view, it is prudent for the Company to undertake a structured evaluation of options such as restructuring, disposal, or winding up of the subsidiary to ensure appropriate closure and to avoid any potential future obligations or compliance risks.
7. The Company has recognized a provision of '6 lakhs towards loss on investment in Webcon Consulting (India) Ltd. However, no valuation of the shares was carried out to support this provision. In the absence of such valuation, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to assess the reasonableness of the provision. Accordingly, we are unable to comment on the possible adjustments, if any, required to the provision for loss on investment, the carrying value of the said investment, and the consequential impact on the financial statements for the year ended 31st March 2025."
8. Unlinked debits and credits are being carried forward in the accounts from previous years without proper identification or reconciliation. The existence of such un-reconciled balances

indicates a weakness in the accounting and reconciliation processes and may impact the correctness of account balances presented in the financial statements. In the absence of adequate justification and reconciliation for these items, we are unable to comment on the accuracy and completeness of the related account balances as presented in the financial statements.

9. As described in Note 13(a) to the financial statements, the Credit and Finance department does not maintain income recognition and asset classification on a borrower-wise basis in the accounting system. Instead, consolidated journal entries are recorded at the year-end based on the maintained register. Additionally, the standard practice of periodically reviewing the existence and value of security to ascertain the required provisions as per RBI norms is not followed. The Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the accuracy and completeness of income recognition, asset classification, and the provisions for required security valuation in accordance with RBI norms. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.
10. As disclosed in Note 4(b) to the financial statements, the grant-in-aid balance of `150.39 lakhs has remained unadjusted in the balance sheet for the current year as well as for several preceding years. Management has not provided sufficient and appropriate audit evidence to establish the existence and accuracy of this balance. Accordingly, we were unable to determine whether any adjustments to the reported amount are required. We recommend that the Company carry out a comprehensive reconciliation of the grant-in-aid records, supported by appropriate documentation, and effect necessary adjustments in the financial statements based on verified confirmations and approvals.
11. During the course of our audit, we reviewed the records of the Petroleum, Oil, and Lubricants (POL) Division and observed discrepancies between physical stock and book records at the Swaraj Dweep (Havelock) storage facility. Physical verification revealed shortages of 3,480.626 liters of High-Speed Diesel and 3,010.680 liters of Unleaded Petrol. We have been informed that the discrepancies were acknowledged by the responsible staff member, and the Company has initiated recovery proceedings. The value of the shortages has been accounted for under "Receivables from Staff" in the financial statements. While the accounting treatment has been disclosed, the underlying issue highlights a significant deficiency in the internal control system governing inventory management—particularly in areas of stock monitoring, periodic reconciliation, and custody controls at the divisional level—raising concerns regarding the effectiveness of controls in safeguarding the Company's assets.
12. The existing system for obtaining balance confirmations in respect of deposits, advances, trade receivables, and trade payables is inadequate. In a majority of cases, such external confirmations were not available. As a result, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence as required under SA 505 – External Confirmations, and are therefore unable to comment on the existence, accuracy, or completeness of these balances, or any potential adjustments or disclosures that may be required. Consequently, the impact, if any, on the standalone financial statements arising from the non-receipt of confirmations for trade receivables, trade payables, other current assets, and other current liabilities could not be determined.
13. We draw attention to Note 9 of the financial statements. Certain fixed assets, including vehicles that have exceeded their prescribed useful lives, continue to be carried at residual value without charging further depreciation. As per Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment, depreciation should continue until the asset is derecognised, and for assets that remain in use beyond their useful life, a reassessment of the asset's estimated useful life and residual value is required, with depreciation charged accordingly. The current practice results in a non-compliance with Ind AS 16, leading to an overstatement of fixed assets by `68.02

lakhs and an understatement of accumulated depreciation. We recommend that the Company undertake a one-time comprehensive review to identify and formally write off such obsolete assets, with appropriate approval from the Board, to ensure accurate financial reporting and adherence to the applicable accounting standards.

14. We observed that the Company currently invests its surplus funds in fixed deposits with scheduled commercial banks. However, no formal investment policy has been framed and approved by the management or the Board of Directors to govern the deployment of such surplus funds. In the absence of a documented investment policy, there is a lack of defined criteria with respect to risk assessment, diversification, maturity period, liquidity management, and yield optimization. Establishing a formal investment policy would help in ensuring transparency, consistency, and alignment with the Company's financial objectives, while safeguarding surplus funds.
15. We draw attention to Note 10(i) of the financial statements, which describes a pending arbitration matter involving a claim by the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) for interest at 18% per annum from May 1992, relating to the buy-back of 33,000 equity shares of `10 each under the equity participation scheme. The Company has recognised a provision of `5.39 lakh in respect of this claim. The matter is currently under arbitration pursuant to the appointment of an Arbitrator by the Hon'ble High Court at Ernakulam.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c) Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and rules made there under, as applicable;
 - e) The matter described in the basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section(2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.
 - g) The adverse remarks relating to the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control refer to our separate report in Annexure-'C'.
 - h) In terms of Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act regarding managerial remuneration are not applicable to the Company.

- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer to Note 27(i)(a)&(b) and 27(v) to the financial statements.
 - ii. The company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - iii. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - iv. The management has disclosed that, to the best of its knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:
 - a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
 - b. Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. As stated in Note 29(iv) to the consolidated financial statements:
 - a) The final dividend paid by the Holding Company during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend.
 - b) The Board of Directors of the Holding Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.
 - vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software systems. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

2. With respect to the matters specified in paragraphs 3(xxi) and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (the "Order"/"CARO") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, to be included in the Auditor's report, according to the information and explanations given to us, and based on the CARO reports issued by us for the Company and its subsidiaries included in the Consolidated financial statements of the Company, to which reporting under CARO is applicable, we report that there are no other qualifications or adverse remarks in this CARO reports.

For BABU AND BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

Place: Sri Vijaya Puram

Date: 25/07/2025

Sd/-
CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M.No.065814
UDIN: 25065814BMIFGY4129

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT, CENTRAL, KOLKATA.**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA, UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013, ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025.

The preparation of consolidated financial statement of Andaman & Nicobar Islands Integrated development Corporation Ltd., for the year ended 31 March 2025, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013, is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor, appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act, based on independent audit, in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 July 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated development Corporation Ltd., for the year ended 31 March 2025, under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated development Corporation Ltd., but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Andaman Fisheries Ltd., for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditor's report under section 143(6) (b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of
India**

Place: Kolkata

Date:

**Sd/-
(Uday Shankar Prasad)
Director General of Audit
Central (Kolkata)**

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st March 2025

(In Lakhs)

		Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
EQUITY AND LIABILITIES				
Shareholders' fund				
Share capital	2	1,097.01	1,097.01	
Reserves & surplus	3	29,094.38	25,745.64	
Non-current liabilities				
Other long term liabilities	4	181.45	179.03	
Long term provisions	5	1,223.68	1,261.34	
Current Liabilities				
Trade payables				
a. Micro enterprises and small enterprises	6	216.44	236.23	
b. Others		2,803.89	2,193.46	
Other current liabilities	7	2,172.01	1,817.76	
Short term provisions	8	7,235.53	13,867.15	
	TOTAL		44,024.39	46,397.62
ASSETS				
Non-current Assets				
Fixed assets				
a. Property, Plant and Equipment	9	2,348.45	2,354.54	
b. Intangible		4.52	3.66	
c. Capital work-in-progress		-	74.35	
Non current investments	10	-	-	
Long term loans & advances	11	32.34	26.19	
Deferred tax assets (Net)	12	291.01	349.50	
Other Non-current Assets				
Term loan by C&F division	13	9.76	14.62	
Goodwill (on consolidation)		169.45	169.45	
Current Assets				
Inventories	14	7,449.75	5,202.02	
Trade receivables	15	1,294.52	1,315.40	
Cash & cash equivalents	16	22,750.01	20,313.81	
Short term loans & advances	17	9,666.48	16,463.17	
Other current assets	18	8.10	110.91	
	TOTAL		44,024.39	46,397.62

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts

1 to 32

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ' in lakhs.

For M/s Babu & Badat

Chartered Accountants

FRN - 321009E

(Imran Hashim Badat)

Partner

Membership No. 065814

Place: Sri Vijaya Puram

Date: 25/07/2025

UDIN: 25065814BMIFGY4129

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer)

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Pravesh Ranjan Jha
(Director)
DIN : 10942830

Sd/-
Chanchal Yadav
(Managing Director)
DIN : 07487074

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2025

(` in Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Revenue:			
Revenue from operations	19	51,772.49	49,008.23
Other income	20	1,748.68	1,376.58
Total Revenue		53,521.17	50,384.81
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	1,013.95	1,230.21
Purchases of Stock-in-Trade	22	43,250.70	36,220.83
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	(2,189.76)	3,202.67
Employee benefit expenses	24	2,473.83	2,568.78
Depreciation and amortization Exp.	9	204.07	169.98
Operation and other expenses	25	3,027.15	2,553.41
Total Expenses		47,779.94	45,945.87
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax		5,741.22	4,438.94
Exceptional items - Provision written back		15.92	1.49
Profit Before extraordinary items and tax		5,757.14	4,440.43
<i>Less: Provision for Current Tax</i>		1,442.34	1,195.03
<i>Less: Provision for Deferred Tax made</i>		58.49	-
<i>Add: Excess Provisions of Income Tax</i>		92.32	-
<i>Add: Provision for Deferred Tax written back / Made</i>		-	84.14
Balance available for appropriation		4,348.63	3329.54
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	396.41	303.51

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 32

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements. The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07/2025
UDIN: 25065814BMIFGY4129

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial
Officer)

Sd/-
Pravesh Ranjan Jha
(Director)
DIN : 10942830

Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Chanchal Yadav
(Managing Director)
DIN : 07487074

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)
CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2025

Particulars	For the year ended 31.03.2025	(` in Lakhs) For the year ended 31.03.2024
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<i>Net profit before tax and extraordinary items</i>	5,741.22	4,438.94
Adjustments for :		
Depreciation	204.07	169.98
Interest on Fixed Deposit	(1,328.95)	(1,164.35)
Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	-	8.29
Provision written back	15.92	1.49
Lease Rent Income	(399.65)	(388.06)
Operating profit before working capital changes	4,232.62	3,066.29
Adjustment for :		
Decrease / (Increase) in Inventories	(2,247.52)	3,421.64
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	20.88	(364.68)
Decrease / (Increase) in Accrued Interest	15.23	(244.81)
Decrease / (Increase) in Current Loans & Advances	6,712.71	(1,873.02)
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	356.68	(236.86)
Increase / (Decrease) in Trade Payables	590.95	(668.54)
Decrease / (Increase) in other Current Assets	87.57	139.94
Increase / (Decrease) in Short Term Provisions	(7,981.64)	(1,124.39)
Decrease / (Increase) in Term Loan from C&F Division	4.86	10.62
Decrease / (Increase) in Dividend Tax	83.98	-
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	1,875.82	2,126.19
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	399.65	388.06
Increase / (Decrease) in Long Term Provision	(37.66)	295.00
Decrease / (Increase) in Long Term Loans & Advances	(6.15)	24.13
Addition to Fixed Assets (net)	(201.38)	(384.07)
Change in Capital Work-in-Progress	74.35	2.10
Interest on Fixed Deposit	1,328.95	1,164.35
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.54	2.35
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	1560.30	1,491.92
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	(999.93)	-
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES - (C)	(999.93)	-
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	2,436.19	3,618.13
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	20,313.81	16,695.68
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	22,715.01	20,313.81
	2,436.19	3,618.13

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2025

1. The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Figures in brackets indicate cash outgo.
3. Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to confirm to the current period classification.
4. Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	(` In Lakhs)	
	Amount	Amount
Cash and cash equivalents	772.30	1,271.76
Other Bank balances	21,824.11	18,945.08
Balances with Non-Scheduled Banks	7.81	16.44
Cash in hand	145.79	80.53
TOTAL	22,750.01	20,313.81

5. Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `31.06 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY `28.63 Lakh)

This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 25/07/2025
UDIN: 25065814BMIFGY4129

Sd/-
P. Raghu Ram
(Chief Financial Officer) Sd/-
Basuki Nath Sah
(Company Secretary)

Sd/-
Pravesh Ranjan Jha
(Director) Sd/-
Chanchal Yadav
(Managing Director)
DIN : 10942830 DIN : 07487074

Notes to Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2025.

NOTE 1: Summary of Material Accounting Policies and explanatory information

1. Basis of Preparation:

The Corporation is holding the Shares of M/s Andaman Fisheries Ltd. from the date of its incorporation (1992) and became a majority share holder from 19th August 2004. Subsequently M/s Andaman Fisheries Ltd. became a 100% subsidiary company w.e.f 26th June 2007 and Consolidated Financial Statement has been prepared from the FY 2013-14. The Company holds 10,00,000 equity shares, of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10 each fully paid-up, which is 100% of paid-up capital. Out of such shares 33,000 equity shares of `10 each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer.

2. Principles of Consolidation:

CFS has been prepared based on various assumptions noted below:-

- I. The financial statements of the subsidiary company (AFL) have been restated for aliening the same with the financial statement of the Parent (ANIIDCO) Company.
- II. Cost of control has been calculated based on cost to the parent of its investment in a subsidiary as on 1st April 2013 inspire of the actual date of 19th August 2004 (i.e., majority share holding), on which investment in subsidiary was made. Since Subsidiary Company was having negative net worth as on the date of acquisition (assumed to be 01.04.2013 and the carrying amount of investment in subsidiary is different from its cost (` Nil) in parent company, the carrying amount is treated as difference and such amount is treated as Goodwill in CFS in the Financial Year 2014-15.
- III. As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions except depreciation and other events in similar circumstances and presented in the same manner as the company's separate financial statements.
- IV. Loan from Credit and Finance division of ANIIDCO to the subsidiary has been treated as "Loss Assets" under State Finance Corporation Act and no interest charged thereon and 100% provision has been made for the same in Parent company's book. Further full provision has been made for any loan to subsidiary along with Interest in the book of parent company. The data related to such loans and interest there on are aliened and adjusted with General Reserve only for the purpose of consolidation.
- V. The financial statement of the company and its subsidiary company are combined on a line-by-line basis by adding together the book value of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intercompany transactions in accordance with the accounting standard 21- "Consolidated Financial Statements".
- VI. The audited consolidated financial statements have been prepared for the first time during the Financial Year 2014-15.

3. Other Significant Accounting Policies:

These are set out under "Significant Accounting Policies" as given in the Company's separate financial statements.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2025

(` In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE : 2	Share Capital	
<u>Authorised</u>		
50,00,000 Equity shares of `100/- each	5,000.00	5,000.00
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>		
10,97,006 (Previous year 10,97,006)		
Equity Shares of ` 100 each, (of which 17,546 shares issued other than cash)	1,097.01	1,097.01
TOTAL	1,097.01	1,097.01

Note 2 (a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Balance at the commencement of the year	1,097.01	1,097.01
Shares issued during the year	-	-
Shares brought back during the year	-	-
Balance at the end of the year	1,097.01	1,097.01

Note 2 (b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.

SI No.	Name of the Shareholder	% of holding	No of equity shares
1	The President of India	85	933,348
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15	163,658

Details of Shareholders for previous year remain same.

Note 2(c) Board vide it's agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of `100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to ` 17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.

NOTE : 3

Reserves & Surplus

a) General reserves :

At the commencement of the year	25,745.64	22,416.10
Less : Transfer to Proposed Dividend	999.93	-
Add: Transfer from surplus	4,348.63	3,329.54
At the end of the year	29,094.35	25,745.64

b) Surplus in statement of profit and loss:

At the commencement of the year	0.02	0.01
Add: Profit for the year	4,348.63	3,329.53
<u>Less: Appropriations:</u>		
Transfer to general reserve	4,348.63	3,329.54
At the end of the year	0.03	0.02
	29,094.38	25,745.64

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE : 4	Other long term liabilities		
<u>Credit guarantee fund:</u>			
Opening balance	4(a) 28.64		
Add: Income generated as per last account	-		
Addition during the year	2.42		
Total fund	31.06		
Less: Utilised during the year	-	31.06	28.64
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>	4(b) 150.39		
Add: Received during the year	-	150.39	150.39
Less: Utilised during the year	-		
TOTAL		181.45	179.03

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is `28.64 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilised as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2025 is ` 31.06 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (`135.63 Lakh), the Grant in aid received (`190 Lakh) in FY 2016-17 out of which Rs.175.24 lakh has been expended till 31.03.2025:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	` 14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			` 150.39

NOTE : 5 Long term provisions

Provision for leave encashment	1,141.24	1,154.89
Provision for Gratuity	67.16	75.26
Provision for LTC/AFSP	15.27	31.18
Provision against standard assets	0.01	0.01
TOTAL	1,223.68	1,261.34

NOTE : 6 Trade payable

Trade payable		
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)	216.44	236.23
ii) Other trade payables	2,803.89	2,193.46
TOTAL	3,020.33	2,429.69

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available with the company and confirmation received, as at the year end an amount of ` 216.44 lakh. (previous year : ` 236.23/-) is due with such enterprises.

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2025 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	216.44				216.44
(ii) Others	2,744.33	1.78	11.96	45.81	2,803.89
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,960.77	1.78	11.96	45.81	3,020.33

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2024 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	236.23				236.23
(ii) Others	2,041.60	92.74	25.01	34.10	2,193.46
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,277.83	92.74	25.01	34.10	2,429.69

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE : 7	<u>Other current liabilities</u>		
Received in advance			
<u>Other payables</u>			
Deposit payable to :			
<u>Others</u>	21.35	21.35	21.35
<u>Advance from customers</u>		16.74	16.74
Liquor license fees payable to DC	48.95		
Outstanding liabilities for expenses	56.26		
EMD/Security deposits from suppliers	68.54		
Interest on buy back of AFL shares	5.39		
Taxes payable	73.97		
Tiny Loan Scheme	0.04		
Others	34.62	287.77	305.89
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)	10.00	10.00
Advance from sundry debtors		1,836.75	1,463.78
TOTAL		2,172.01	1,817.76

Note 7(a) The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which `10 lakh remain un-utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Sri Vijaya Puram.

		(` In Lakhs)	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTES : 8 Short term provisions			
Provision for performance related scheme		266.79	141.58
Provision for CSR Expenses		42.36	-
Provision for leave encashment		46.28	42.41
Provision for LTC/AFSP	8(a)	15.34	15.81
<i>Others</i>			
Provision for Income tax :			
- for AY 2017-18	1477.61		
- for AY 2021-22	741.75		
- for AY 2022-23	884.06		
- for AY 2023-24	1117.95		
- for AY 2024-25	1195.03		
- for AY 2025-26	1,442.34	8(b)	6,858.74
Provisions in Subsidiary Company		6.02	6.02
TOTAL		7,235.53	13,867.15

Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. `131.16 lakh.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTE 9

Sl. No.	Particulars of the Assets	Gross Block			Depreciation			Net Block		
		Original Cost as on 1.4.2024	Addition during the year	Adjustment during the year	as at 31.03.2025	Accumulated Depreciation as on 1.4.2024	Provided	Adjusted/ Transfer	Total as at 31.03.2025	As at 31.03.2025
A. TANGIBLE ASSETS										
1	LAND	67.48	-	-	67.48	-	-	-	67.48	67.48
2	BUILDING	2,503.64	24.81	-	2,528.45	793.57	83.81	877.38	1,651.07	1710.07
3	POL TANK AT KATCHAL, KAMORTA, TERESSA	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
4	PLANT & MACHINERY	701.81	-	-	701.81	480.17	33.54	513.71	188.10	221.64
5	FURNITURE & FIXTURE	239.82	4.80	-	244.62	197.57	8.27	205.84	38.78	42.25
6	VEHICLE	1024.16	134.48	0.74	1,157.91	776.03	54.87	830.89	327.01	248.13
7	OFFICE EQUIPMENT	23.16	0.44	-	23.60	17.05	1.06	18.11	5.49	6.11
8	ELECTRICAL INSTALLATION AND EQUIPMENT	140.58	6.29	-	146.87	106.18	5.90	112.08	34.78	34.40
9	COMPUTER	201.37	26.47	1.80	226.04	176.96	13.38	190.31	35.74	24.46
10	CROCKERY	19.92	-	-	19.92	19.92	-	19.92	-	-
11	LINEN	21.25	-	-	21.25	21.25	-	21.25	0.00	-
TOTAL TANGIBLE ASSETS		4943.20	197.29	2.54	5,137.96	2,588.67	200.83	-	2789.49	2348.45
B. INTANGIBLE ASSETS										
	SOFTWARE	43.15	4.09	-	47.25	39.49	3.24	-	42.73	4.52
										3.66
C. CAPITAL-WORK IN PROGRESS		74.35	-	74.35	-	-	-	-	-	74.35
TOTAL ASSETS (A+B+C)		5,060.70	201.38	76.89	5,185.20	2,628.16	204.07	-	2,832.22	2,352.97
PREVIOUS YEAR		4682.68	384.07	4.45	5062.30	2459.77	169.98	-	2629.75	2432.55
Net Block										

Note 9(i) : The Company took over the Milk Plant from Animal Husbandry Department of A&N Administration along with buildings, plant & machineries and other assets of milk production unit, at free of cost in the year 1991-92. These fixed assets are not included in the block of fixed assets shown in accounts. Further assets purchased out of Grant in aid during the year for setting up of milk supply chain from Diglipur to Sri Vilayra Puram via order no. 2135 dt. 29/10/2012 of Directorate of animal husbandry, A&N Administration is shown at nominal value of ₹ 1 each as per AS-12 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Note 9(ii) : The corporation has constructed petrol pump at Katchal, Kamorta and Teressa for an amount of ₹ 552.10 lakh. The cost of such asset is recoverable from Indian Oil Corporation Ltd. under factoring of capital cost over a period of 10 years starting from 01.04.2014. Hence the entire assets has been shown at a nominal value of ₹ 1 each and remaining amount is shown as receivable from IOC Ltd under the head "Short term loans & advances", a/c/- (ref. to Note 17(a)). No depreciation has been charged on the said assets.

Note 9(iii) : Value of land comprises three lands amounting ₹26.01 lakh, which is leased-out for 90 years period to develop tourism projects. Detail of such lease is given in note 17(d).

Note 9(iv) : Physical verification of assets is being carried out by the officials of the company twice a year.

Note 9(v) : The corporation has 50.68 ha. of land, out of which 2.79 ha. of land shown at Nil value. Note 9(vi) : The company has taken over some Assets on lease rent basis from the Andaman & Nicobar Administration with following terms:

a) Hornbill Nest : lease rent ₹ 0.20 lakh p.m alongwith profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 07/09/2029

b) Water sport Equipments : Profit sharing 20% after tax. The lease is valid upto 31/05/2031

c) Dolphin Resorts : lease rent of ₹ 2.25 lakh p.m alongwith profit sharing 30%, after tax.

Lease rent paid in advance and share of profit are paid on completion of accounts for the year.

Note 9(vii) : Capital Work-in progress amount ₹ 74.35 lakhs for construction plan made for expansion of Meenandi which subsequently used for transaction of Meenandi.

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE 10 : Non current investment			
(valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company) 9,67,000			
Equity Shares @ `10 each, valued at cost.	69.65		
(33000 equity shares@ `10/ each pending transfer)			
Less : Provision for loss on investment in AFL8	69.65	-	-
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.			
4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost	40.00		
Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.	40.00	-	-
(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd.			
30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of `.10 per share, carried at cost.	6.00		
Less : Provision for loss on WEBCON Consulting (India) Ltd.	6.00	-	-
	TOTAL		
		-	-

Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of `10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ 15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in its 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is `5.39 lakh (Gross amount `8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made.

Note 10(ii) : The Company has invested `40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since its formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.

Note 10(iii) : The Company has invested `6 lakh in the Equity Shares of WEBCON Consulting (India) Ltd. by subscribing to 30,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 2012. Due to lack of detailed information on the company shares, the non-receipt of any dividends, the absence of publicly available financial statements, and the fact that the investments are in unlisted companies with no market valuation available the management has decided to create a provision for potential loss on investment.

NOTE 11: Long term loans & advances

<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		1.78	1.37
House building advance to employees		-	0.58
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		30.56	24.24
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	-	-
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88	-	-
Less: Provision	5.88	-	-
	TOTAL	32.34	26.19

NOTE 12: Deferred tax assets (Net)

a. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		9.51	11.42
Provision for doubtful debts and advances		516.99	527.57
	Total	526.50	538.99
b. Deferred tax liabilities			
Depreciation and amortisation		179.94	163.17
Provision for doubtful debts and advances		55.55	26.32
	Total	235.49	189.49
Net deferred tax Assets / (liabilities)		291.01	349.50

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)			
(a) Term loan (considered good)	13.39		
Term loan (considered doubtful)	-		
Less: Provision for sub standard assets	3.63	9.76	14.62
(b) Loan to related party			
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00		
Less: Provision made	132.00	-	-
TOTAL		9.76	14.62

Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance of `151.39 lakh. Total sum of 'Nil (Previous year 'Nil) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered `6.97 lakh, (Previous year `14.33 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to `0.00373 Lakh (Rupees Three hundred seventy three only) (Previous year Provision written back `0.03406 Lakh) and provision written back on sub-standard assets during the year is `1.06 Lakh, (previous year provision written back was `1.45 Lakh). From the year 2022-23 division stop disbursement of loan.

Note 13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to `132 Lakh /-, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary company M/s AFL has charges interest of `8.45 crore (Previous year `7.25 crore) in their books of accounts.

NOTE 14 : Inventories			
<i>Raw material</i>			
Raw milk	96.33		
Stock of provisions at hotel	70.15	166.48	113.93
<i>Finished goods</i>			
Constituted milk	31.72		
Paneer	0.07		
Curd	0.14		
Cow milk	3.50	35.43	27.11
Stock in trade			
Petroleum products	506.90		
Add: Goods-in-transit	69.41		
IMFL products	6,022.21		
Add: Goods-in-transit	594.20	7,192.72	5,011.26
Stores & spares - Milk plant		55.12	49.71
TOTAL		7,449.75	5,202.02

Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.

NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good			
(i) Over six months from due date of payment	939.56		
(ii) Below six months from due date of payment	584.39	1,294.52	1,315.40
Doubtful			
(i) Over six months from due date of payment	229.43		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	229.43	-	-
TOTAL		1,294.52	1,315.40

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2025 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	584.39	91.24	190.01	428.88	229.43	1,523.95
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						229.43
						Trade Receivable 1,294.52

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2024 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	584.96	361.76	207.80	160.88	244.27	1,559.68
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						244.27
						Trade Receivable 1,315.40

(In Lakhs)

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2023
NOTE 16 : Cash and cash equivalents		
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	1.18	85.74
Indian Bank, Chennai	12.36	0.57
State Bank of India, Sri Vijaya Puram	157.70	444.45
HDFC Bank, Sri Vijaya Puram	47.13	69.38
Canara Bank, Secretariat	78.60	58.04
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	1.96	24.70
Canara Bank, Campbell Bay	4.90	36.78
State Bank of India, Hut bay	45.67	34.49
State Bank of India, Rangat	15.51	2.79

State Bank of India, Mayabunder	11.80	4.20
State Bank of India, Diglipur	121.51	137.04
State Bank of India, Swaraj Dweep	91.37	50.03
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	7.31	5.10
State Bank of India, Kamorta	28.87	19.78
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.05	1.98
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	0.97	2.10
State Bank of India, (Sri Vijaya Puram)	1.03	3.14
State Bank of India, (Delanipur)	0.96	1.95
State Bank of India, (Baratang)	1.00	14.29
State Bank of India, (Kadamtala)	22.05	19.75
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	1.02	4.85
ICICI Bank	32.83	34.36
Axis Bank	79.34	209.62
Indian Bank, Sri Vijaya Puram, AFL	6.18	6.63
	772.30	1,271.76
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts	7.81	16.44
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	7.81	16.44
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.25	0.48
Postal stamps in hand	-	-
Cash at shops	145.54	80.05
	145.79	80.53
	925.90	1,368.73
(b) Other Bank balances		
with upto 12 months maturity		
Punjab National Bank	2800.00	-
Canara Bank	1700.09	6,900.00
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	150.43	19.38
Union Bank of India	3300.00	-
Bank of Baroda	5,500.00	5,000.00
Indian Overseas Bank	-	1,300.00
State Bank of India, , Sri Vijaya Puram	4790.91	2,937.65
ICICI Bank	150.00	89.25
HDFC Bank	2002.11	1,505.00
Axis Bank	994.00	742.00
Add: Interest accrue thereon	436.57	451.80
	21824.11	18,945.08
Total cash and cash equivalents	22750.01	20,313.81
Note 16(a) Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `31.06 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ` 28.63 Lakh)		

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
NOTE 17: Short term loans & advances			
House building advance to employees		0.58	0.30
Computer advance to employees		0.80	2.50
Advance for civil work		30.65	136.78
Claim receivable from IOC		106.49	37.59
Other advances to employees		4.81	4.38
Niti Aayoog Project		232.45	267.08
Indian Oil Corporation (capital factoring)	17 (a)	21.89	21.89
Pre-paid expenses		1.50	0.00
Input IGST		0.00	1.13
Input CGST/UTGST		1.38	14.44
Advance payment of Income Tax (including TDS)			
- for AY 2017-18		1,520.79	
- for AY 2021-22		747.04	
- for AY 2022-23		983.78	
- for AY 2023-24		1,295.26	
- for AY 2024-25		1435.96	
- for AY 2025-26		1629.52	
Advance payment of dividend tax		7612.35	14695.01
Add: During the year		0.00	83.98
Deposit /advances with Govt. and others [note 17b]		1,327.48	703.61
Advance to suppliers and contractors		302.26	469.04
Other Advances [note 17c]		23.84	25.49
Unsecured, considered doubtful			
(Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered		10.18	
Less: Provision		10.18	0.00
Other Advances		4.34	
Less: Provision for dad debt		4.34	0.00
Deposit /advances with Govt. and others		4.19	
Less: Provision		4.19	0.00
Advance to suppliers and contractors		5.19	
Less: Provision for loss of advances		5.19	0.00
Lease Rent receivable [note 17d]		107.99	0.00
Less: Provision for lease rent		107.99	0.00
Provident fund deposit [note 17e]		43.90	
Less: Provision		43.90	0.00
Loans and advances of related parties			
Unsecured loan to AFL		33.00	
Add: Interest accrued up to 2002-03		8.23	
Less: Provision		41.23	0.00
Receivable from AFL		15.74	
Less: Provision		15.74	0.00
Interest free unsecured loan to AFL [note 17f]		165.00	
Less Recovered during the year		0.00	
Less: Provision		165.00	0.00
TOTAL		9,666.48	16,463.17

Note 17(a) : Refer Note 9(ii)

Note 17(b) : The corporation has appointed as project proponent for holistic development of Great Nicobar Island, development of Netaji Subash Chandra Bose Islands. As a part of this role, the Corporation incurred significant expenditure on behalf of the respective departments. The Memorandum of Understanding (MoU) of holistic development of Great Nicobar Island project has been signed with Directorate on Industries .However, the Memorandum of Understanding (MoU) for development of Netaji Subash Chandra Bose Islands is still pending. As a result, the expenditure have been shown under advances in the financial statements. The expenditures are expected to be reimbursed by the respective departments once the fund is released or the MoU is finalised. Due to the pending of release of fund and signing of the MoU , these expenditures have been reported as advances in the financial statements.

Note 17 (c) : During the financial year 2023-24 an amount of Rs. 56.88 lakh booked as shortage against IMFL Shop Rangat out of this Rs. 33.07 Lakh has been recovered till 31st March 2025

Note 17 (d) : The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 90 years from 7th Dec'09 at an annual lease rent of '2.25 Cr p.a.The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep ware leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17 (e) Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of '21.30 lakh for the period from 2001-2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Sri Vijaya Puram for recovery of such amount and Hon'ble High Court in it's order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In anther order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of '22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(f): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was '165 lakh. 100% provision has been made on such amount.

(` In Lakhs)

NOTE 18: Other Current Assets	As at		As at	
	31.03.2025		31.03.2024	
(i) Advance to supplier (unsecured, considered good)		8.10		110.91
TOTAL		8.10		110.91

Note 19 : Revenue from operations

Particulars	Gross Sale			
	As at 31.03.2025	%	As at 31.03.2024	%
Sale of Products (A)				
i) Manufactured goods				
Dairy milk	1,122.15		1,134.22	
Curd	66.90		69.04	
Other milk products	284.70		230.03	
	1,473.75	3	1,433.29	3
ii) Traded goods				
IMFL	29,105.15		28,034.54	
POL	19,043.71		17,451.89	
	48,148.86	93	45,486.43	93
Sub-total (A)	49,622.61	96	46,919.72	96

Sale of Services (B)				
Tourism	1,612.08		1,582.05	
Others	1.04		2.24	
Interest on term loan	399.65		388.06	
Lease rent of Land	21.64		22.04	
Ice Plant/ Cold storage	95.38		56.55	
Hire charges/car rental	20.29		37.58	
Other Income				
Sub-total (B)	2,149.88	4	2,088.52	4
Grand Total = (A+B)	51,722.49	100	49,008.24	100

Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales /services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.

Note (b) : The sale of Ice Plant / Cold storage includes sale of Ice block only.

(` In Lakhs)

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Note 20 : Other income		
<i>i) Interest income:</i>		
Interest on fixed deposits	1328.95	1,164.35
Interest on capital investment (IOC)	-	4.56
Interest on loan to employees	0.20	0.33
Interest on Refund of Income Tax U/s 244A	224.42	-
<i>ii) Others:</i>		
Profit on sales of Assets	-	5.06
Shortage/other recovery :		
IMFL, Iron Steel & POL	162.12	
Liquidity Damage	2.50	
Transportation charges	19.29	
Staff meal	10.24	
Cancellation charges		
	TOTAL	1,748.68
		1,376.58
Note 21 : Cost of materials consumed		
Raw milk & Whole Milk Powder	1011.19	1,044.07
Groceries for Catering Division	2.76	186.14
	TOTAL	1013.95
		1,230.21
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade		
IMFL	6248.45	4,449.56
Add: Goods-in-transit	594.20	633.63
Petroleum products	18,143.94	16,550.76
Add: Goods-in-transit	69.41	124.53
Carriage inwards	1,502.13	1,325.87
License fees	354.32	329.02
Duty on import permit fees / excise duty	16,338.25	12,807.46
	TOTAL	43,250.70
		36,220.83

Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade

<i>Inventories (at close)</i>			
Finished goods	35.43		
Stock in trade	7192.70	7228.13	5,038.37
<i>Inventories (at commencement)</i>			
Finished goods	27.11		
Stock in trade	5011.26	5038.37	8,241.04
	TOTAL	(2189.76)	3,202.67

Note 24: Employee benefit expenses

Salary		1,991.15	1,764.58
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary		175.72	180.91
Gratuity	24(a)	35.13	152.68
Performance related incentive		220.17	104.57
Training expenditure		0.08	0.98
Staff Welfare		1.37	0.68
Rent of employees accommodation		3.60	3.45
LTC provision	24(b)	20.12	3.18
Provision for leave encashment	24(c)	25.95	357.75
TOTAL		2,473.83	2,568.78

Note 24(a) : Gratuity

Actuarial Assumptions

Particulars	2024-25	2023-24
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age
Discount Rate	7.25% p.a.	7.25% p.a.
Salary Escalation	6.25%	6.25%

Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15

Leave Travel Concession liability

Particulars	2024-25	2023-24
Number of employees	220	235
Actuarial Assumptions		
Rate of discount	6.5% P.A.	7.20% P.A.
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Actuarial Liability	₹ 30.61 lakh	₹ 46.96 lakh

Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹ 46.99 lakh. Against the said provision amount of ₹ 36.50 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of ₹ 20.12 Lakh and closing figure at the end of the year is ₹ 30.61 lakh as per valuation report.

Note 24(c) : Leave encashment benefit

Leave encashment liability

Particulars	2024-25	2023-24
Number of Employ	219	226
Total Monthly Salary	₹ 127.62 lakhs	₹ 123.48 lakhs
Total encashable leave	44787.25	48854.5
Normal retirement age	60 years	60 years
Actuarial Assumptions		
Discounting rate	6.5% P.A.	7.0% P.A.
Withdrawal rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality	IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave encashment	₹ 1187.52 lakhs	₹ 1197.30 lakhs

Actuarial valuation has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was ₹ 1197.30/- lakh. Against the said provision amount of ₹ 35.73 (PY 26.72) has been utilised during the year and provision created during the year is an amount of ₹ 25.95/- lakh and closing figure at the end of the year is ₹ 1187.52/- lakh as per valuation report.

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<i>Consumption of Stores & Spares</i>	336.05	355.82
<i>Power & Fuel</i>		
Electricity	160.05	141.42
Fuel charges	127.45	160.37
<i>Rent</i>		
Office rent	1.72	1.07
Rent	312.77	283.91
<i>Repair & Maintenance</i>		
Repair & maintenance of computer	26.37	16.38
Repairs & maintenance of vehicles	9.13	9.68
Repairs & maintenance of buildings	215.10	55.16
Repairs & maintenance of furniture	0.90	2.94
Repairs & maintenance of machinery	56.64	57.09
Govt. audit expenses	4.04	1.99
Insurance	34.92	24.21
Interest and penalty on lease rent	195.42	
Loss on sale of assets	0.64	
Rates & Taxes	64.79	73.06
Water charges	25.99	21.45
Stores handling expenses	8.36	13.07
Trade discount on room tariff	62.95	58.29
Sanitation	28.67	23.67
Horticulture expenses	-	0.24
Wharfage expenses	0.11	0.05
Vehicle hire charges tourism	50.14	39.68
Crockery's hire charges	0.42	0.13
Uniform & liveries	2.59	5.06
Outsourcing manpower	632.26	552.1
Business promotion / hospitality	3.04	40.55
Bank charges	33.76	36.27
Watch and ward	103.13	90.05
CSR expenses	81.39	70.17
Hindi week expenses	0.32	-
Registration / Membership fee	0.18	0.25
Miscellaneous	0.76	0.65
GST block credit	314.29	248.61
Refreshment expenditure	10.35	15.77
TOTAL	2,904.70	2,399.17
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	1.80	1.64
Printing & stationary	25.54	31.12
Postage & telegram	1.19	1.06
Telephone/telex/fax	25.37	27.88
Books & periodicals	3.61	2.71
Tenders publishing expenditure	8.68	25.27
Professional charges	35.93	29.58
Travelling expenses	16.04	22.62
	118.16	141.89

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Note: 25(C) Other expenses		
Provision		
Provision for bad and doubtful debts	-	2.29
Provision for loss of investment	-	6.00
Auditor's Remuneration (including Service Tax)	-	8.29
- for Statutory audit	2.30	
- Tax audit	0.50	
- others service	0.30	
Internal audit expenses	3.10 1.19	3.10 0.96
Total of C	4.29	12.35
Total Operation and other expenses (A+B+C)	3,027.15	2,553.41
Note: 26 Earning per share		
Amount available for equity shareholders (')	4,348.63	3,329.54
Weighted average number of equity shares	10.97	10.97
Earning per share basic and diluted (')	396.14	303.51
Face value per equity share (')	100	100

Note - 27 : Corporate social responsibility expenses

a. Disclosure with regard to CSR activities

(` In Lakhs)

Particulars	31-Mar-25	31-Mar-24
Amount required to be spent by the company during financial year	81.39	69.39
Amount of Expenditure incurred	39.03	70.17
Excess / (Short) at the end of the year	(42.36)	0.78
Amount available for Set Off	0	0
Excess / (Short) amount spent at the end of year including previous year	(42.36)	0.78
Reason for shortfall	Not Applicable	Not Applicable
Details of related party transactions	Not Applicable	Not Applicable
Provision made with respect to a liability incurred	42.36	0

b. Provision

(` In Lakhs)

Particulars	31-Mar-25	31-Mar-24
Opening balance	0	0
Additional provision during the year	42.36	0
Provision used during the year	0	0
Closing balance	42.36	0

c. Nature of CSR activities

(` In Lakhs)

Nature of CSR activities	31-Mar-24	31-Mar-23
Health Promotion	30.00	52.00
Promotion of Education	4.53	15.00
Environment Sustainability	-	3.17
Livelihood Enhancement Project	4.50	-
Total	39.03	70.17

Note - 28 : Capital-Work-in Progress (CWIP)

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2025 is as follows:

(` In Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	-

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2024 is as follows:

(` In Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	14.68	-	59.67	74.35

Note 29(i) Contingent Liabilities:

a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided	Forum where dispute is pending
2009-10 and 2019-24	TDS/TCS return	₹ 40,44,690/-	TDS/TCS quarterly return correction	₹ nil	₹ 40,44,690/-	DC (IT), Faceless
2017-18	31/03/2023	₹ 2,25,80,279/-	ITBA/AST/S/216/202 2-23/1051825817(1)	₹ nil	₹ 2,25,80,279/-	CIT(A), Kolkata
Total					₹ 2,66,24,969/-	

b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2024

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff & Defendant	Financial Implication Assets / (Liability)
Money Suit No 66/2010	Court of Civil Judge(Senior Division)	ANIIDCO Ltd. -vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	₹ 9,24,406/-
EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	₹ 22,60,043/-
2284 of 2019	Supreme Court	LINRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	₹ 5,47,46,091/-
ID Case No. 3	Labour Court	GM, ANIIDCO - Vs- G P Mani & Others	Not ascertainable
OS 09 of 2018	District Court, Sri Vijaya Puram	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	₹ 51,33,379/-

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of ₹10/- each amounting to ₹3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of ₹3.30 lakh with interest therein @ 18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Ernakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of ₹3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has made a provision for interest for an amount of ₹5.38 lakh included in current liability.

Note 29(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account ₹ Nil lakh (Previous Year ₹ Nil) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is ₹ Nil (Previous Year ₹74.35 lakh)

Note 29(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ₹11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 29(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No. F.No 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum divided of @30% of the PAT or 5% of the net-worth whichever is higher. For the Financial Year 2024-25 proposed dividend is ₹15.02 Crore (Previous Year ₹10.00 Crore), subject to approval of Annual General meeting.

Note 29(v) Advance Tax

An unadjusted amount of `6858.74 lakh has been shown as "Provision for Income tax" under "Short term provisions" as against "Advance payment of Income Tax" of `7612.34 lakh under "Short term loans and advances". The assessment up to AY 2020-21 except AY 2017-18 is over u/s 143, and the Corporation is has adjusted the same against "Advance Income Tax".

Note 29(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2025 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to `132 lakh- has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division". The Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was `Nil and the outstanding balance as on 31st March'23 amounting to `165 lakh, (previous year `165 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of `33.00 lakh on which accrued interest accumulated was `8.23 lakh- upto financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 29(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : `1,42,92,360/- (PY `1,47,82,251/-)
- b. Net Loans & Advances : `1,45,56,258/- (PY `1,51,39,485/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances: 98.90% (PY 97.64%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - iv. Sub-standard : `2,67,189/- (PY `4,58,525/-)
 - v. Doubtful : `8,25,171/- (PY `11,23,726 -)
 - vi. Loss Assets : `1,32,00,000/- (PY `1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : `1,68,62,766/- (PY `1,69,69,387/-)

Note 29(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

(a) as auditor : audit fees	: `2,30,000/- (PY `2,30,000/-)
(f) taxation matters: tax audit fees	: `50,000/- (PY `50,000/-)
(g) company law matters	: `Nil (PY `Nil)
(h) management services	: `Nil (PY `Nil)
(i) cost audit fees	: `Nil (PY `Nil)
(f) Other Services	: `Nil (PY `Nil)
(h) reimbursement of Expenses	: `Nil (PY `Nil)
(h) Total	: `2,80,000/- (PY `2,80,000/-)

Note 29(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration (sitting fee) to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: `49,737.
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors: `1,29,896.
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year ` Nil (previous year ` Nil). Remuneration has been paid to Managing Director for ` Nil (previous year ` Nil).

Note 29(x) Related party disclosure as per AS - 18:**A) Related Parties and their relationship:**

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: Nil
- iii) Associates: Nil
- iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2025

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2024-25	2023-24
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Note 29(xi) Business with Micro, Small and Medium Enterprises

Transaction made with Micro and Small Enterprise, be defined as Micro and Small Enterprise under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, has been paid within 45 days.

Note 30 : Additional Regulatory Information

The following are ratios for the year ended March 31, 2025 March 31, 2024

Particulars	Numerator	Denominator	31st March 2025	31st March 2024	Variance
Current Ratio	Current	Current Liabilities	41169	3.31	43405 18115 2.40 38.25%
Debt-Equity Ratio (%)	Long Term Debt + Short Team Debt	Average Shareholder's Equity	12428	12.61	19555 1097 17.83 -29.26%
Return on Equity Ratio (%)	Earning After Interest, Tax Depreciation & Amortisation	Average Shareholder's Equity	13833	1097	4349 3.96% 1097 3330 3.04% 30.61%
Inventory turnover ratio	Net Sales	Average Inventory	1097	51772	4.09 12652 49008 3.54 32.94%
Trade Receivables turnover ratio	Net Sales	Average Trade Receivable	1097	51772	39.67 13826 49008 43.10 -7.94%
Trade Payables turnover ratio	Net Purchase	Average Trade Payable	1097	1305	26123 2725 9.59 22779.01 2764 8.24 16.32%
Net Capital turnover ratio	Turnover	Average Working Capital	1097	51772	51772 27016 1.92 23607 2.08 -7.69%
Net Profit ratio (%)	Net Profit	Net Sales	1097	5741	51772 11.09% 4439 49008 9.06% 22.43%
Return on Capital employed (%)	Earning Before Interest & Tax	Capital employed	1097	5741	30191 19.02% 4441 16.54% 14.99%
Return on investment (%)	Earning Before Interest & Tax	Total Assets	1097	5741	44024 13.04% 4439 46398 9.57% 36.31%

Note 31 MSME Reporting:

The dues to Micro and Small Enterprises as required under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 to the extent information available with the company is given below:

Particulars	Current Year (` in Lakh)	Previous Year (` in Lakh)
(f) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to supplier as at the end of year : - Principal amount due to micro and small enterprises - Interest due	216.44	236.32
(g) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	Nil	Nil
(h) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006.	Nil	Nil
(i) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.		
(j) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006.	Nil	Nil

The Company identifies suppliers register under the MSME Act, 2006, by obtaining confirmation from all suppliers at the time of tender / information has been collated only to the extent of information received.

Note 32 Regrouping:

Previous year's figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.

**Additional information- pursuant to Para 2 of general instructions for the preparation of
Consolidated Financial Statements for the year 2024-25**

Name of the entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	as % of Amount consolidated net assets	Amount (` in Crore)	as % of Amount consolidated net profit	Amount (` in Crore)
1	2	3	4	5
Parent	132.32	301.91	120.67	57.41
Subsidiaries				
Indian				
AFL	-32.32	-73.37	-20.67	-9.84
Foreign				
Minority Interest in all Subsidiaries				
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Joint Ventures (As pre proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Total	100.00 %	228.54	100.00 %	47.59